खण्ड-219, अंक-6
मंगलवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(28 फरवरी, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 219 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद शर्मा श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली ख़ां, श्री

ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर , श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
चालाप्रसाद कुरील, श्री
ंडेराय, श्री

टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुज़फ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम,श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा श्रम मंत्री, श्रीमती, सुचेता कृपलानी भी उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गहरौली तथा जैतपुर वेला ताल में ग्राम सभापति के चुनाव की मतगणना रोकना

**१--श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम गहरौली, ब्लाक मुस्करा, जिला हमीरपुर में ग्राम सभापति के चुनाव से सम्बन्धित मतगणना रोक दी गई है जो दिनांक २७ जनवरी, १९६१, को होनी थी ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--जी हां, निर्वाचक निदेशक (पंचायत) ने मतगणना रोकी थी क्योंकि उन्होंने गांव सभा गहरौली के प्रधान के निर्वाचन में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त किया था जिस पर मतगणना से पूर्व जांच कराना आवश्यक समझा गया। जिले से रिपोर्ट अब तक प्राप्त हो गई है जिस पर निर्वाचन निदेशक ने पूर्ण विचार किया है। जिला मैजिस्ट्रेट को मतगणना कराने तथा परिणाम घोषित करने के आदेश जारी हो गये हैं।

**२--श्रीमती राजेन्द्रकुमारी--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम जैतपुर वेलाताल, ब्लाक जैतपुर वेलाताल, जिला हमीरपुर में ग्राम सभापति के चुनाव से सम्बन्धित मतगणना रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, इस गांव सभा में भी निर्वाचन निदेशक (पंचायत द्वारा मतगणना रोकी गई थी क्योंकि उन्होंने गांव सभा के प्रधान के निर्वाचन में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध म एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त किया था। जिले से रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है इस पर पूर्ण विचार करने के पश्चात् जिला मैजिस्ट्रेट को मतगणना कराने तथा परिणाम घोषित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी--माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब वहां कोई लड़ाई झगड़ा या संघर्ष नहीं हुआ था तो फिर यह मतगणना रोकने का क्या कारण था ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, वैसे तो शिकायत सदस्यों के चुनाव में झगड़े की भी थी, लेकिन यह प्रधान का जो चुनाव रोका गया इसमें शिकायत यह थी कि जिस समय वहां चुनाव हो रहा था वहां जो रोशनाई दी जाती है, मुहर, उसमें रोशनाई नहीं थी और उसके बाद जो मुहर है वह तोड़ दी गई थी और इस किस्म की शिकायत थी कि यह कार्यवाही वहां के अधिकारियों से मिलकर उम्मीदवारों ने कराई। इसलिये इस चीज़ की जांच की जरूरत पड़ी। जांच कराई गई। जांच में वह चीज़ ठीक सिद्ध नहीं पाई गई। अब निदेशक पंचायत राज ने अन्डर सेक्शन १२ बी० बी० उसे यहां से रोकना जरूरी नहीं समझा। हां, जो शिकायतें उनकी हैं वे पेटीशन के द्वारा देखी जा सकती हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब ग्राम गहरौली में सभापति का चुनाव हो रहा था तो उस समय बूथ नम्बर ४ पर चुनाव अधिकारियों के द्वारा बैलट पेपर्स पर माननीय सदस्या की पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह लगाये जा रहे थे और इसके सम्बन्ध में विरोधी उम्मीदवार की तरफ से जो माननीय सदस्या की पार्टी के नहीं हैं उनकी तरफ से कोई लिखित शिकायत की गई थी कि प्रिसाइडिंग आफिसर उन अधिकारी को चुनाव क्षेत्र के बाहर कर दे? यदि हां, तो क्या वह अधिकारी निकाल दिये गये?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप जो माननीय सदस्या की पार्टी कह रहे हैं तो माननीय सदस्या की पार्टी का मेरे पास कोई वजूद नहीं है। मैं इसलिए इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। आप किसी पार्टी विशेष का नाम लें और कैंडीडेट का भी नाम लें, तो मैं इजाजत दूंगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लालचन्द जो उम्मीदवार था, उसकी ओर से यह शिकायत की गई कि दूसरे उम्मीदवार केदारनाथ गुरुदेव के पक्ष में चुनाव अधिकारी स्वयं चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर्स में लगा रहे हैं और जब वह लगा रहे थे तो उनको वहां से अलग करने की प्रार्थना की गई थी?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, शिकायत आई थी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गई और उनको उस सम्बन्ध में क्या दंड दिया गया?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने अपने उत्तर में संकेत किया था चुनाव के सम्बन्ध में कि चुनाव में कमियां हैं और गल्तियां हैं। उनके लिये पिटीशन की जाती है और पिटीशन में प्रविधान भी है, किन्तु चुनाव के दौरान में नामज़दगी होते समय जब चुनाव हो रहा हो और कोई ऐसी कमी, जो नियम और विधान के बिलकुल विपरीत हो रही हो, उस सिलसिले में धारा १२ बी० बी० के अनुसार पंचायत निदेशक को ठीक करने के कुछ अधिकार हैं। पंचायत निदेशक इन चीज़ों की थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं कि कोई बात बिलकुल विधान या नियम के विपरीत हुई या नहीं और केवल उसी सीमित रूप में कोई कार्यवाही करते हैं। इसमें उन्होंने शिकायत की और उन शिकायतों की, जैसा कि उत्तर में कहा गया, जांच की गई। पंचायत निदेशक ने यह मुनासिब समझा, धारा १२ बी० बी० के अनुसार, कि वह कोई कार्यवाही करें, चुनाव की मतगणना हो जाने दें और उसके बाद जो उनकी शिकायतें हैं वह उसके पिटीशन में जा सकती हैं और यहां पंचायत निदेशक की इस कार्यवाही का कोई असर पिटीशन के ऊपर नहीं पड़ेगा। यह मुनासिब नहीं समझा गया कि उन शिकायतों के ऊपर पंचायत निदेशक कोई इंटरफियर करें चाहें वह अपनी जगह पर सही हों।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि जब मतदान हो चुका तो क्या जो वर्तमान नियम १२ बी० बी० है उसके मुताबिक मत गणना रोकी जा सकती है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, रोकी जा सकती है। १२ बी० बी० में यह कहा गया है कि अगर कोई चुनाव ऐसा हो रहा हो कि जिसमें बिधान के बिल्कुल बिपरीत होने की बात हो तो पंचायत चुनाव के डाइरेक्टर उस चीज को रोक सकते हैं और उसी के अनुसार उन्होंने इस बात को उचित समझा कि उसकी इंक्वायरी करायें। इंक्वायरी के बाद उन्हें यह आवश्यकता महसूस हुई कि १२ बी० बी० के मुताबिक कोई कार्यवाही इस चुनाव में करें। उन्होंने मतगणना होने के आदेश जारी कर दिये किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि चुनाव में ऐसी बात नहीं हुई। वह बात अगर हुई है तो उसका पिटीशन में चर्चा किया जा सकता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या स्वशासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की कार्यवाही चुनाव के बीच में इंटरफियरेंस---पंचायत निदेशक ने केवल यहीं पर की है और कहीं नहीं की है, ऐसा क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, केवल यहीं की बात नहीं है और जगह भी हुआ है, काफी जगह हुआ है। पूरे आंकड़े इस समय मेरे पास यहां नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह---क्या प्रत्येक जगह पर जो पंचायत निदेशक ने इस प्रकार का इंटरफियरेंस किया था उसको गलत समझा गया और उन्होंने हर जगह पर उसे वापस ले लिया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---इतनी डिटेल तो वह यहां नहीं जानते होंगे। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री गेंदासिंह---यह तो स्पष्ट होगा कि पंचायत निदेशक की इस प्रकार की कार्यवाही अनावश्यक समझी गयी और उनको इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा कि इंक्वायरी के लिये रोक रखा था। जब इंक्वायरी का तो उसमें उन्होंने उन आरोपों को गलत समझा कि यह चार्जेज ठीन नहीं हैं। यह पहले उन्होंने कहा था, और इसलिये ये फैसला किया कि चलने दो।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चुनाव किस दिन हुआ था तथा किस अवधि के भीतर इसकी मतगणना हो जानी चाहिये ? क्या इस के लिये कोई आदेश थे ?

श्री कैलाशप्रकाश---चुनाव सम्भवतः जनवरी में किसी दिन हुआ होगा, ठीक तारीख मुझे याद नहीं है और मतगणना की भी तारीख नियत कर दी जाती है, लेकिन जैसा कि मैं ऊपर निवेदन कर चुका हूं यहां शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् पंचायत निदेशक यह आवश्यक समझा कि उन शिकायतों की वह जांच करें और तब तक के लिये उन्होंने उस चुनाव को रोका। जब उस शिकायत की जाच यहां आ चुकी, उन्होंने उसके ऊपर विचार किया और विचार करने के पश्चात् वह इस नतीजे पर पहुंचे कि धारा १२ बी० बी० के अन्तर्गत उसमें कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मौजा गहरौली के चुनाव में १४४ लगी थी और साथ ही साथ क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब दफा १४४ लगी थी तो लोगों ने हथियारों का इस्तेमाल किया और उसकी शिकायत विरोधी पक्ष वालों की तरफ से जिलाधीश को की गयी थी ?

श्री अध्यक्ष—क्या चुनाव के बीच में ?

श्री धनुषधारी पांडेय—जी हां।

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, दफा १४४ लगी थी और यह भी सही है कि वहां की यह शिकायत भी आयी थी कि आपस में झगड़ा भी हुआ। फायर भी किये गये, लोगों को डराया धमकाया भी गया। यह शिकायत आयी थी।

श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—इस चुनाव के सिलसिले में क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि जमींदार पार्टी ने इस चुनाव में बंदूक की फायरिंग की, फरसा, बल्लम .....

श्री अध्यक्ष—मैं फिर कहूंगा कि जमींदार पार्टी कोई है नहीं। कोई पार्टी का नाम आप लेना चाहते हैं लें, किन्तु ऐसे फर्जी बनाकर नाम न लें।

श्री डूंगरसिंह—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि किसी उम्मीदवार की तरफ से फरसा, बल्लम, फायरिंग आदि का प्रबन्ध किया गया था और उसके फलस्वरूप बूथ ४ पर कोई वोटर वोट देने नहीं आया और दूसरे बूथ पर भी लोग भाग गये ?

श्री अध्यक्ष—क्या चार्ज था ? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री डूंगरसिंह—क्या इस चुनाव की बाबत इस बात की शिकायत आयी है कि इसमें फरसा, बल्लम और बंदूक की फायरिंग का गुंडा पार्टी ने इस्तेमाल किया और उस के फलस्वरूप बूथ नं० ४ पर कोई वोटर वोट देने नहीं आया और दूसरे बूथ पर बहुत से वोटर चले गये और इस शिकायत के फलस्वरूप जब बूथ ४ पर दुबारा चुनाव कराया गया तो शिकायत करने वाली पार्टी के लोग ही आये ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, शिकायत आई थी। वहां पर सदस्यों का चुनाव हो रहा था और उस समय लोगों को डराया गया, धमकाया गया और फायर भी किया गया। इस तरह की शिकायत यहां पर आई। उस सिलसिले में जांच भी कराई गयी। चूंकि यह मामला पिटीशन में जा सकता है इसलिये जांच की पूरी बात बताना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। इतना मैं बता देना चाहता हूं कि पंचायत डाइरेक्टर के द्वारा जांच कराने के बाद यह मुनासिब समझा गया कि १२ बी० बी० के अन्तर्गत वह कोई कार्यवाही न करें और जो चुनाव से संबंधित मतगणना रोकी गयी थी उसको जारी करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताना मुनासिब समझेंगे कि इस शिकायत में जो आरोप थे, मारने व धमकाने आदि के, उसमें ऐसा करने वालों के कुछ नाम भी थे ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—मुझे इस समय व्यक्तियों के नाम याद नहीं हैं।

श्री रामायणराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सज्जन ने शिकायत की उनका संबंध शासक पार्टी से है ?

श्री कैलाशप्रकाश—शिकायत की जांच करते वक्त इस बात का कोई खयाल नहीं रखा जाता कि उसका संबंध किस पार्टी से है।

श्री मदन पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी ने की और क्या उस अधिकारी ने उन लोगों का भी बयान लिया जिनके विरुद्ध शिकायत थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—वहां उस उम्मीदवार ने, जो आपस में पंचायत के प्रधान का चुनाव लड़ रहा था, शिकायत की और उसकी जांच कलेक्टर व कमिश्नर से कराई गयी और उसकी रिपोर्ट आई हुई है।

श्री अध्यक्ष—(विरोधी पक्ष से) मैं समझता हूं आपको विशेष प्रश्न नहीं करना चाहिये, जांच आपके पक्ष में हुई। आपत्ति तो इधर वाले लोगों को होनी चाहिये। (हंसी)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि चुनाव किस तारीख को हुआ और चुनाव के बाद, यानी कितने दिनों के बाद, इस मतगणना को रोकने के आदेश जारी किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं पहले ही कह चुका हूं कि चुनाव कौन सी तारीख को हुआ, ठीक तारीख मुझे याद नहीं है। जनवरी में किसी दिन हुआ, शायद १४ जनवरी हो। उसकी जो गिनती की तारीख मुकर्रर की गई थी, जो हर जगह के लिये मुकर्रर की जाती है, उससे पहले यहां शिकायत आ गई थी और उससे पहले ही आदेश जारी कर दिये गये कि गिनती न की जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगले प्रश्न की संख्या पुकारने पर)

श्री डूंगरसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न संख्या २ के सप्लीमेंटरीज तो रह ही गये हैं। जैतपुर पंचायत तो अभी रह ही गई है जो कि वहां से ८० मील के फासले पर है।

श्री अध्यक्ष—दोनों का सिद्धांत एक ही है। १५-२० मिनट एक ही प्रश्न पर मैंने दे दिये। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिये और यह मामला एलेक्शन पेटीशन में जायगा तो उस पर असर भी नहीं पड़ना चाहिये। जब यह बात है तो मैं और अधिक प्रश्न, जिनका असर एलेक्शन पिटीशन पर पड़ जाय, करने की इजाजत नहीं दूंगा।

१२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न ७० के उत्तर का शोधन

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
७०—श्री माताप्रसाद—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की मछली शहर तहसील के सातों तलिया, बड़ेला (मछली शहर कस्बे के पास) दूसरे बड़ेला (चौकी खुर्द रामपुर खुर्द के पास) चितांव बगदहा और कुड़ेला तालों से जल निकासी की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?	७०—जी हां, प्रश्न में कथित चितांव बगदहा तथा दूसरे बड़ेला को छोड़कर बाकी तालों से जल निकासी की योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रश्न संख्या ७० के दिये गये उत्तर में कुछ त्रुटि थी। उसमें निम्न रूप में संशोधन कर दिया जाय।

जी हां, प्रश्न में कथित चितांव तथा दूसरे बड़ेला को छोड़कर बाकी तालों से जल निकासी की योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से किन-किन पर काम शुरू हो गया है ?

श्री राममूर्ति—नोटिस की आवश्यकता है। इसके बारे में मैं तैयार होकर नहीं आया था, मैंने संशोधित उत्तर ही पढ़ दिया है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

विनायकपुर क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों की कमी

*१—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तथा १९५९-६० में गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील के विनायकपुर क्षेत्र के बहुत से ग्राम प्रधानों तथा क्षेत्रीय विधायक के सुझाव वहां सूखे से बचाव के लिये सिंचाई की छोटी योजनाओं के संबंध में सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—नलकूप बनवाने के हेतु केवल एक प्रार्थना-पत्र श्री रामशुक्ल सभापति का दिनांक जून, १९५८ को प्राप्त हुआ था।

असमतल तथा अनुपयोगी भूमि होने के कारण तथा बिजली की लाइन उस क्षेत्र से २६ मील दूर होने के कारण नलकूप लगाना अस्वीकृत कर दिया गया था।

*२—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार उपर्युक्त क्षेत्र के हरदी डाली ग्राम में नाले पर बांध बनाकर उस क्षेत्र की कई हजार एकड़ रबी तथा खरीफ की फसलों की सिंचाई की व्यवस्था करने की कोई योजना बना रही है ?

श्री राममूर्ति—कोई योजना नहीं है।

*३—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास सन् १९५९ में छोटी सिंचाई योजनाओं के संबंध में घाघरा नाला, डंडी नाला, बघेला, पयास, बेलहा नालों पर फाटकदार पुल बनाकर सूखे के समय में जड़हन की सिंचाई और रबी की सिंचाई के लिये वहां के सभापतियों ने प्रस्ताव पास करके और क्षेत्रीय एम०एल०एज० ने सुझाव भेजा था ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास तो जो जवाब है वह पढ़ दिया। अगर माननीय सदस्य मेरे पास लिखवाकर भिजवा दें तो और ज्यादा छानबीन करवा लूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मान्यवर, मेरा प्रश्न सं० १ सीधे सीधे-इसी सम्बन्ध में था कि "सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तथा १९५९-६० में गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील के विनायकपुर क्षेत्र के बहुत से ग्राम प्रधानों तथा क्षेत्रीय विधायक के सुझाव वहां सूखे से बचाव के लिये सिंचाई की छोटी योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?"

तो श्रीमन्, छोटी योजनाओं के सम्बन्ध में ही हमारा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब दिया था कि नलकूप बनाने के हेतु एक प्रार्थना-पत्र आया था।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---विनायकपुर क्षेत्र एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और धान की फसल के लिये बहुत ही मशहूर है, फिर मंत्री जी किस आधार पर कहते हैं कि वहां की भूमि खेती के अनुपयुक्त है और नलकूप नहीं लगाये जा सकते ?

श्री राममूर्ति---मेरे पास जो वहां से उत्तर आया है वह यही है कि वहां की भूमि समतल नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी फिर से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि विनायकपुर की जमीन बहुत उपजाऊ है और धान पैदा करने के लिये मशहूर है ? इसलिये वहां से जो उत्तर आया है वह गलत है और निराधार बातें उस में हैं ? वहां के कलेक्टर ने जो एन० ई० एस० ब्लाक का मुआयना किया है उसकी ३१-१०-६० की रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि घाघरा नाले पर पुल बनाया जाकर ४ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है, तो क्या उसके संबंध में कोई योजना बनाई जा रही है ?

श्री राममूर्ति---मेरी नजर में कलेक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं है । वहां से जो जवाब मुझे मिला, वह मैंने आपके सामने पढ़ दिया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि उसके बारे में अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है तो क्या वह कृपा करके इसका कारण बतायेंगे कि वहां इतने एकड़ भूमि जो सिंचाई के लिये पड़ी है उसके लिये अभी तक कोई योजना क्यों नहीं बनाई गई और क्या उसके लिये आगे कोई योजना बनाने का विचार है ?

श्री राममूर्ति---यह बात तो सही है कि ज्यों-ज्यों रुपया मिलता जाता है हर जिले में कोई न कोई योजना बनती ही रहती है । अभी किसी योजना के न बनने का कारण यही बताया कि जमीन असमतल और बिजली भी बहुत दूर है, इसलिये नलकूप बनाने में बहुत रुपया खर्च होगा ।

श्री रामायणराय---माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिजली २६ मील दूर है, लेकिन जिस प्रकार से दूसरे स्थानों पर डीजल से ट्यूबवेल चलाये जाते हैं उसी प्रकार यहां भी चलाने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आपने जवाब का एक ही हिस्सा लिया, वह कहते हैं कि बिजली दूर से आती है और जमीन असमतल है । उन्होंने दो कारण बताये, लेकिन आप एक ही कह रहे हैं ।

श्री मदन पाण्डेय---३१-३-६० को डी० एम० ने जो ब्लाक का मुआयना किया था उसकी रिपोर्ट एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने हमें दी है । उसमें कलेक्टर ने लिखा है---

"There is a *nala* known as Ghaghara Nala in village Khanua in Arazi Pharenda near village Hardidali. This *nala* falls into the river Danda. During the period of deficit rainfall, the villagers of villages Haldi, Bairihwa, Hardidali. Bargadahi, Khanua, Arazi Pharenda and Pharendi have utilized this *nala* for irrigating *kharif* crops by constructing about 3 miles *guls* and minor canals for irrigating their fields. It is said that if a regulator is cons ructed on this *nala*, it will be possible to have some substantial stores of water for irrigation of *rabi* also."

यानी वहां के लोग हर साल श्रमदान करते हैं और नालियां बना लेते हैं तो उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है उनको सहायता करने की कि जिससे उनका स्थायी प्रबंध हो जाय ?

श्री राममूर्ति—जैसा कि कहा गया बहुत सा काम श्रमदान से किया गया है। उससे तो स्वंय का लाभ भी होता है और देश का भी हित होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ऐसी कोई इत्तला है तो आप उसको मेरे पास भेज दीजिये, मैं उसके बारे में जांच करा लूंगा। अगर स्कीम बन सकी और हमारे पास रुपये का सुभीता हुआ तो काम जरूर करा दिया जायगा।

गोरखपुर जिले की उत्तर पूर्वी सीमा पर गंडक का मार्ग बदलने की आशंका

*४—**श्री मदन पाण्डेय**—क्या यह सत्य है कि गोरखपुर जिले की उत्तर-पूर्वी सीमा पर बहने वाली विशाल गंडक नदी नैपाल सीमा के अन्तर्गत अपने पूर्ववर्ती मार्ग को दो मील पूरब छोड़कर परसौनी गाँव से सट कर बहने लगी है जिससे उक्त नदी के मार्ग बदलने की सम्भावना पैदा हो गई है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

श्री मदन पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रश्न के करने के बाद क्या किसी अधिकारी से इसकी जांच करायी गई? यदि हाँ, तो जो रिपोर्ट उस अधिकारी ने दी, उसको पढ़ने की कृपा मंत्री जी करेंगे?

श्री राममूर्ति—उसकी रिपोर्ट तो मेरी नजर से नहीं गुजरी है, लेकिन मैंने नक्शा देखा तो मैंने पाया कि जिस गांव का जिक्र किया गया है वह गांव नैपाल की सीमा पर है। यह बात सही है, जो कहा गया है, कि नदी का एक छोटा सा लूप निकल गया है जो उस गांव के पास है, लेकिन इंजीनियर का यह कहना है कि इस छोटे से नाले से यह सम्भावना नहीं है कि सारी दरिया इस तरफ ही घूम जाय। आदरणीय सदन को यह इत्तला भी मैं दे दूं कि जब बड़ी गंडक योजना पर काम शुरू होगा तो यह भी तय हुआ है कि ९० मील का जो बांध बनेगा उसको छितौनी बांध से जोड़ दिया जायगा। उसके बन जाने से जो आशंका आगे के लिये दिमाग में पैदा हुई है, वह भी नहीं रह जायगी।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी किसी अधिकारी द्वारा जांच कराने का कष्ट करेंगे कि पिछली बाढ़ के वक्त उसी परसौनी गांव के पास उस नदी की तीन धारायें—बहुआर, शीतलापुर, लक्ष्मीपुर से गयीं जिससे सारे गोरखपुर के उत्तरी हिस्से में बाढ़ आ गई और वहां की जनता का आम खयाल यह है कि वह नदी अपना रास्ता बदलने वाली है, तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री जी सिंचाई विभाग को यह आदेश देंगे कि त्रिवेणी बंध जो बनने वाला है उसे शीघ्र से शीघ्र बांधा जाय ताकि अगले साल बाढ़ आने के पहले ही बांध बन कर तैयार हो जाय?

श्री राममूर्ति—शीघ्र बनने वाला तो है नहीं, जिस तरह से उसका फेज प्रोग्राम बना है उसी हिसाब से उस पर काम किया जायगा। अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे किसी खास गांव के बारे में जांच कराने के लिये, तो उसकी जांच और करा ली जायगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय मं त्री जी को ज्ञात है कि बड़ी गंडक से नहर निकालने की जो बात चल रही है जिसका सर्वे हो चुका है उसका रास्ता इसलिये बदला गया है कि कटाव बहुत निकट आ गया है और यह आशंका पैदा हो गई है कि कहीं छोटी गंडक और बड़ी गंडक दोनों मिल न जायं?

श्री राममूर्ति—इसकी इस वक्त मुझे इत्तला नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी सूचना है जिसके आधार पर वह सदन को बतला सकते हैं कि परसौनी गांव डिसके पास से वह नाला आता है, उससे परसौनी गांव ही कट सकता है?

श्री राममूर्ति—इस वक्त मेरे पास कोई इत्तला नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—इस बात को देखते हुये कि मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा "जी नहीं" और उसके पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि "एक छोटा नाला उस नदी से निकल गया है", तो इस बात को देखते हुये कि छोटे नाले का जो रूप है वह बढ़ कर पूरी नदी के रूप को बदल सकता है, वह सिंचाई विभाग के किसी एक्सपर्ट से इस बात की जांच करायेंगे जिससे भविष्य में जो हजारों एकड़ जमीन के बह जाने का खतरा है, उससे उस गांव को बचाया जा सके ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि जो कुछ जांच पड़ताल सिंचाई विभाग के आफिसर द्वारा हुई, उसकी जो राय थी वह मैंने आपके सामने पढ़ दी ।

श्री रामायणराय—माननीय मंत्री जी ने कहा कि गंडक योजना प्रारम्भ होने के बाद बांध बन जायगा । तो यह योजना कितने करोड़ रुपये की है और कब तक पूरी तरह से काम शुरू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—योजना के काम के लिये सर्वे और एस्टीमेट बनाने का जो काम था वह करीब-करीब समाप्त हो चुका है और आशा की जाती है कि निकट भविष्य में उस योजना पर काम जारी कर दिया जायगा ।

*५–६—**श्री मदन पांडेय तथा श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—[सातवें बुधवार के लिये प्रश्न १३—१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*७—९—**श्री ऊदल**—[८ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १३–१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

जल कुंभी से खाद बनाने वालों को अनुदान

*१०—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह जलकुंभी से खाद बनाने वाले किसानों को कितने रुपये का अनुदान देती है तथा इस योजना की मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—जलकुंभी से खाद बनाने वाले किसान को सरकार ८ रुपये प्रति टन की दर से तैयार जलकुंभी की खाद पर अनुदान देती है ।

पूर्वी जिलों में अनेक तालाब और झीलें हैं जिनमें जलकुंभी की अधिकता है । इससे बनाई गई खाद उपज के लिये लाभदायक है । इस योजना के अन्तर्गत जलकुंभी तालाबों से निकाल कर सुखा ली जाती है । फिर ८′ × ६′ × ३′ के गढ़ों में जो तीन टन सूखी खाद जलकुंभी के लिये पर्याप्त समझी जाती है, एकत्र की जाती है । दो से तीन माह में खाद तैयार हो जाती है । ऐसा अंदाज है कि एक टन जलकुंभी खाद बनाने के लिये १० टन ताजी जलकुंभी चाहिये जिसको निकालने का खर्च औसतन ८० रुपये है । जो किसान या गांव सभा या पंचायत अनुदान पाना चाहते हैं उन्हें अपनी लागत से ८ रुपये प्रति टन कम पर यह खाद बेचना होती है और सरकार इस हानि को ८ रुपया प्रति टन का अनुदान देकर पूरा करती है । संबंधित विकास क्षेत्र के कृषि निरीक्षकों द्वारा प्रमाणित करने पर यह अनुदान दिया जाता है ।

श्री ऊदल—मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि इस योजना को ज्यादा व्यापक बनाने के लिये सरकार ने अबतक क्या क्या कदम उठाये हैं ताकि यह योजना किसानों तक पहुंच जाय ?

श्री चरणसिंह—मैं ठीक तो नहीं समझ पाया हूं कि आपका मतलब क्या है, लेकिन प्लानिंग के डेवलपमेंट आफिसर्स प्रचार का काम करते हैं और यह सब ब्लाक के कर्मचारियों द्वारा और विभाग के द्वारा किसानों को बताया जाता है ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने बताया कि खाद जो लोग खरीदते हैं उनको दी जाती है, किसानों को भी जो अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके सम्बन्ध में भी कोई योजना बनी है और अनुदान देते हैं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, जैसी योजना बनी है उसके अनुसार अनुदान उन्हीं को दिया जाता है जो खाद बनाकर दूसरों को देते हैं, वह अपने खेत में इस्तेमाल करने को नहीं दी जाती, इसमें यह नुक्स मालूम होता है इसलिये इस को हम फिर रिएक्जामिन कर रहे हैं, इस पर फिर से विचार किया जायगा ।

श्री रामायणराय—यह ८० रुपये की लागत से एक टन जलकुम्भी का खाद जो बनता है उसका मूल्य कितना होता है ?

श्री चरणसिंह—मैं तो इसका जबाव दे चुका हूं । उसमें लिखा है कि ८० रुपया खर्च होता है । इसमें लिखा है कि "ऐसा अन्दाज है कि १ टन जलकुम्भी खाद बनाने के लिये १० टन ताजा जलकुम्भी चाहिये जिसको निकालने का खर्च ८० रुपया है ।"

श्री रामायणराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस तैयार खाद का दाम कितना होगा जिसकी लागत ८० रुपया बताई गई है ?

श्री चरणसिंह—मैं समझता हूं कि ८० रुपया फी टन है, बाकी इसमें कोई और बारीकी हो तो मुझे नहीं मालूम है ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्तमान बजट सेशन में जो पहले के आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें कितना रुपया सबसीडी दी जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह—तीसरी योजना में तो बहुत रुपया रखा गया है । वैसे १९५८–५९ में २५ हजार रखा गया था और उसमें से १३,२६० रुपया खर्च हुआ, १९५९–६० में भी २५ हजार रखा गया था और उसमें से २३ हजार खर्च हो गया और १९६०–६१ में भी २५,००० रखा गया है । इसमें से अब तक कितना खर्च हुआ इसके आंकड़े अभी मौजूद नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन—जिस १ टन खाद बनाने में ८० रुपया खर्च होता है बाजार में उस १ टन खाद के दाम क्या होंगे ?

श्री चरणसिंह—वह बाजार में तो बिकती नहीं इसलिये दाम मालूम नहीं हैं ।

गढ़ा तथा नवलपुर व्यौरा गांव की डकैतियां

*११—**श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि गत ८ मार्च, मंगलवार को थाना अजीतमल, जिला इटावा के गांव गढ़ा हरौली में दिन को ३ बजे पुलिस भेष में २०–२५ रायफल धारी डाकुओं ने गोलियां चलाईं और करीब एक लाख का सामान लूट ले गये और उसी रात को उसी थाने के अन्तर्गत गांव नन्द पुरवा के श्री परसे जाटव के यहां १०–१५ डाकुओं ने डाका डाला और ५ हजार का सामान लूट ले गये जिसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई ? क्या डाका डालने के पहले डाकू लोग गढ़ा के एक यज्ञ में शामिल हुये थे ? क्या उसी थाने के नवलपुर व्यौरा गांव में भी इसी हफ्ते में एक मल्लाह के यहां डाका पड़ा ?

श्री चरणसिंह—८ मार्च, १९६० को थाना अजीतमल के अन्तर्गत कोई डकैती नहीं पड़ी । पर २ मार्च, १९६० को ग्राम गढ़ा कासदा में २०, २५ आदमियों ने पुलिस वर्दी में डकैती डाली और करीब १५,००० रु० का माल लूट ले गये, कोई गोली आदि नहीं चलाई गई । ग्राम गढ़ा में कोई यज्ञ भी नहीं हुआ । ग्राम भरें में डकैती से पहले यज्ञ हुआ था पर उसमें डकतों के सम्मिलित होने की तस्दीक नहीं होती ।

उक्त तारीख को ग्राम पुरवा नन्दलाल में भी कोई डकैती नहीं पड़ी । एक व्यक्ति परसे जाटव ने २५–२–६० को थाने पर डकैती की इत्तला दी परन्तु तफतीश पर मामला बनावटी पाया गया ।

मार्च, १९६० के पहले सप्ताह में नवलपुर व्यौरागांव में भी कोई डकैती नहीं पड़ी । वहां २४/२५ फरवरी, १९६० को डकैती श्री जानकी के यहां पड़ी थी जिसमें १० आदमियों का चालान किया गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस जमाने की ये वारदातें हैं उस वक्त वहां कौन एस० पी० था और कौन थाना अजीतमल का इंचार्ज था ?

श्री चरणसिंह—एस० पी० हैं श्री जी० एस० आर्य । दो साल से वही एस० पी० हैं । थानेदार कौन था, यह मुझे नहीं मालूम है ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २ मार्च, १९६० को डकैती पड़ी जिसमें कि २०–३० पुलिस वेषधारी डकैत थे और जो १५ हजार का सामान लूट ले गये, वह डकैती दिन में पड़ी थी या रात में और थाने में उसकी रिपोर्ट हुई या नहीं ?

श्री चरणसिंह—रिपोर्ट तो थाने में हुई । डकैती दिन में पड़ी या रात में, यह मैं अभी बतलाये देता हूं । (कुछ रुक कर) दिन में पड़ी ३ और ४ बजे के बीच ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस डकैती के सिलसिले में अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं ?

श्री चरणसिंह—इस डकैती के सिलसिले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । लाखनसिंह गैंग ने डकैती डाली थी और डकैती डालकर मध्यप्रदेश को चले गये थे ।

श्री अध्यक्ष—लाखनसिंह के नाम से आप बिलकुल चुप हो गये ?

थाना इन्चार्ज तम्बौर के विरुद्ध हाईकोर्ट द्वारा लगाये गये आरोप की जांच

*१२—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि क्रिमिनल अपील श्री लल्लूसिंह वगैरह बनाम स्टेट का निर्णय जिला न्यायाधीश (सेशन जज), सीतापुर के न्यायालय से दिनांक २२ अप्रैल, १९६० को हो चुका है और क्या यह सत्य है कि इस निर्णय में न्यायाधीश ने थाना इंचार्ज, तम्बौर के विरुद्ध "स्ट्रिक्चर" पास किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—जी हां । पैरा ५०० पुलिस रेगूलेशन्स के अन्तर्गत जांच किये जाने के आदेश दिए गये हैं । जांच से यदि "स्ट्रिक्चर" सही पाये जायंगे तो थाना इंचार्ज के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच के आदेश प्रश्न प्राप्त होने के पहले दिये जा चुके थे या बाद में दिये गये ?

श्री चरणसिंह—यह मुझको नहीं मालूम । मेरा खयाल है कि पहले दे दिये गये थे, लेकिन मुझको तारीख नहीं मालूम है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब २२ अप्रैल, १९६० को न्यायाधीश ने स्ट्रिक्चर पास किया था तो तब से आज तक कार्यवाही करने में क्यों देर हुई ?

श्री चरणसिंह—अभी कोई खास देर नहीं हुई। उसमें एस० पी० तहकीकात करता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देखता है, फिर कमिश्नर के यहां जाता है, तब जाकर कार्यवाही होती है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रैग्यूलेशन के पैरा ५०० में सरकार को यह अधिकार नहीं है कि किसी न्यायालय के निर्णय के बाद उसके निर्णय पर उसकी जांच की जाय ?

श्री अध्यक्ष—वह कई दफा जबाव दे चुके हैं, मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, प्रश्न यह है कि जब न्यायालय के निर्णय में वह थानेदार अपराधी घोषित कर दिया गया तो फिर पुलिस रैग्यूलेशन पैरा ५०० में क्यों इसकी जांच करने की जरूरत पड़ी ?

श्री अध्यक्ष—इसका वह जबाव दे चुके हैं। बात यह है कि यह स्ट्रिक्चर है। यह नहीं है कि उसके ऊपर मुकदमा चलाकर एक साल की सजा दे दी हो और फिर यह जांच कराते हों। अदालत के स्ट्रिक्चर के ऊपर वह विभागीय जांच करते हैं, वह यहजवाब दे चुके हैं, और उनका यह कायदा है।

मंकी ब्रिज, लखनऊ के निकट गोमती में लड़की का शव मिलना

*१३—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ७ मार्च, १९६१ को मंकी ब्रिज, लखनऊ के पास गोमती नदी में दो औरतों की लाश तैरती हुई मिली है ? यदि हां, तो उपर्युक्त दोनों औरतें कहां-कहां की रहने वाली हैं तथा सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह—दिनांक ७-३-६० को केवल एक लड़की की लाश गोमती नदी में मिली थी। यह लड़की लखनऊ शहर के मुहल्ला आर्यनगर की रहने वाली थी। घटना आत्महत्या की पाई गई और जांच समाप्त कर दी गई।

श्री ऊदल—जो लाश मिली थी उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था ? यदि हां, तो उससे मृत्यु का क्या नतीजा निकला ?

श्री चरणसिंह—पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन उससे मौत का कारण नहीं मालूम हो सका।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—मंत्री जी बतायेंगे कि किस आधार और सूचना पर वह कह रहे हैं कि महिला ने आत्महत्या की थी ?

श्री चरणसिंह—उस लड़की का बाद में एक पत्र मिला था।

श्री प्रतापसिंह—सदन की जानकारी के लिये उस पत्र की मुख्य-मुख्य बातें मंत्री जी पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—पत्र मेरे पास नहीं है और न मैं इसे जरूरी समझता हूं।

तम्बौर थाने के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि अगस्त, १९५९ में थाना तम्बौर, तहसील बिसवां (जिला सीतापुर) से सम्बन्धित ऐसा प्रार्थना-पत्र इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था जिसमें उपर्युक्त थाने के अन्तर्गत पड़ी कई डकैतियों के लिये यह लिखा था कि रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई और कई डकैतियों के सम्बन्ध में लिखा था कि आम दफाओं में जुर्म को घटाकर लिखा गया है ?

श्री चरणसिंह--दिनांक २७-८-५९ को एक प्रार्थना-पत्र आई० जी० पी० को दिया गया था । इसमें उक्त थाने के अन्तर्गत पड़ी कुछ डकैतियों की रिपोर्ट थाने पर दर्ज न किए जाने के बारे में शिकायत की गई थी ।

*१५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हां, तो उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र में क्या यह भी प्रार्थना की गई थी कि इन आरोपों की जांच प्रदेश के सी० आई० डी० विभाग द्वारा कराई जाय और सी० आई० डी० विभाग द्वारा जांच कराई गई ?

श्री चरणसिंह--उक्त प्रार्थना पत्र में ऐसी प्रार्थना की गई थी और सी० आई० डी० द्वारा जांच भी कराई गई ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--मंत्री जी बतायेंगे कि सी० आई० डी० ने मुकम्मिल जांच करके अपनी रिपोर्ट दी है या अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

श्री चरणसिंह--जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वह माननीय सदस्य के परपज के लिये काफी है। शिकायत यह थी कि १३ डकैतिया पड़ीं और ३ दर्ज हुईं, लेकिन तहकीकात में मालूम हुआ कि १२ डकैतियां दर्ज थीं और १ डकैती दर्ज नहीं की । यह उसका कसूर था इसलिये उस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही हो रही है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--मंत्री जी बतायेंगे कि सी० आई० डी० ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सीतापुर जिले में कुछ उच्चपदस्थ कर्मचारी हैं और जब तक वे इस जिले में रहेंगे तब तक जांच स्वतंत्रतापूर्वक नहीं हो सकती ?

श्री चरणसिंह--मैंने सी० आई० डी० की रिपोर्ट नहीं देखी कि क्या लिखा है।

श्री रामायणराय--मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त थानेदार के खिलाफ कार्यवाही विद्यमान मंत्री के काल में हुई है या पहले मंत्री के समय में ?

श्री चरणसिंह--इसका जवाब देने के लिये मैं तैयार नहीं हूं ।

श्री प्रतापसिंह--मंत्री जी सी० आई० डी० की रिपोर्ट देख कर सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--अभी तो जवाब देने का समय है । उसके लिये आप दूसरा सवाल कर सकते हैं ।

*१६-१७--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--[१४ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१८--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--[६ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१९-२०--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)--[१४ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

विधान भवन के सजावट की योजना

*२१--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या विधान भवन की दीर्घाओं और उसके विशेष स्थानों को आर्ट गैलरी के रूप में सजाने की योजना उस के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप-रेखा होगी ?

श्री राम मूर्ति---सरकार का विधान भवन की दीर्घाओं और विशेष स्थानों को आर्ट गैलरी के रूप में सजाने का कोई विचार नहीं है परन्तु विधान भवन में कुछ विशिष्ट स्थानों पर राष्ट्र की परम्परा एंव संस्कृति तथा स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बन्धित एवं राष्ट्रीय नेताओं के तैल चित्र और मूर्तियां लगाने की एक योजना १.२५ लाख रु० लागत पर १९५९-६० से कार्यान्वित की जा रही है जिसकी रूप-रेखा का विवरण मेज पर रक्खी हुई तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आश्रे पृष्ठ ५३२-५३३ पर)

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि १९५९ से अब तक योजना के कितने भाग की पूर्ति हो चुकी है और उसके बाद कितना व्यय हो चुका है ?

श्री राममूर्ति---अब तक करीब ६६ हजार रुपये का सामान तैयार हो चुका है और बाकी जिनके आर्डर्स हो चुके हैं सम्भवतः वे बनने की हालत में हैं ।

श्री रामायणराय---जिन नेताओं के चित्र लगेंगे उसका फैसला कौन करेगा ?

श्री राममूर्ति---सन् १९५६ में एक कमेटी स्थापित हुई थी जिसके चीफ मिनिस्टर साहब सभापति थे और जिसके जनाब भी मेम्बर थे । उसके १३ मेम्बर थे । इस कमेटी ने एक सब कमेटी बनाई जिसमें ६ मेम्बर साहबान थे । इन कमेटियों के जरिये से यह सब छान-बीन होती है और वही तय करती हैं । उसके माध्यम टाउन प्लानर रखे गये हैं । उनके जरिये से यह काम हो रहा है ।

श्री मदन पाण्डेय---यह जो १३ आदमियों की कमेटी बनी हुई है और उसके बाद ६ आदमियों की कमेटी बनी हुई है उनमें अधिकारी हैं अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति हैं और यदि सदन के सदस्य हैं तो विरोधी दल के कौन कौन हैं ?

श्री राममूर्ति---चेयरमैन चीफ मिनिस्टर साहब हैं और सदस्य ये हैं, स्पीकर साहब, चेयरमन, लेजिस्लेटिव कौंसिल, श्री एस० एल० मेहर, गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्टस एंड क्राफ्ट्स, लखनऊ, श्री एम० एम० नागर, डायरेक्टर, स्टेट म्यूजियम, कैसरबाग, लखनऊ, श्री ए० के० हलदर, डायरेक्टर, मिनिस्टरी आफ प्रोडक्शन, आल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, बंगलोर, श्री सुधीर काश्तगीर, कला निकेतन, देहरादून । प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्टस, लखनऊ, श्री एच० राय चौधरी, ३, राय बिहारी लाल रोड, लखनऊ, श्री बीक्सेन, आर्ट स्कूल, लखनऊ, डाक्टर मोती चन्द्र, डायरेक्टर, प्रिन्स आफ वेल्स म्युजियम, बम्बई, श्री एम० ए० सिद्दिकी, सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट, यू०पी०, पी० डब्ल्यु० डी०, लखनऊ, श्री एम० एस० विष्ट, चीफ इंजीनियर, यू० पी०, पी० डब्ल्यु० डी०, लखनऊ और श्री बी० एस० अग्रवाल, क्युरेटर, म्युजियम, मथुरा ।

सब कमेटी---चेयरमेन, चीफ सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट, सदस्य ---डाक्टर मोतीचन्द्र डायरेक्टर, प्रिन्स आफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई, डाक्टर वी०एस० अग्रवाल, प्रोफेसर आफ इंडोलाजी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस-५, श्री एम०, एम० नागर, डायरेक्टर स्टेट म्यूजियम, लखनऊ, श्री एस० काश्तगीर, प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, लखनऊ, श्री राय कृष्ण दास, डायरेक्टर, भारत कला भवन, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ५, श्री एम० जहीर, आई० ए० एस०, ज्वाइंट सेक्रेट्री, डिपार्टमेंट आफ इंडोलाजी, विधान भवन, लखनऊ ।

श्री मदन पाण्डेय---लगभग ६० हजार रुपये का जो व्यय हो चुका है मूर्तियां तथा भित्त चित्र का सामान खरीदने में, क्या इनमें आचार्य नरेन्द्र देव जैसे मनीषियों की भी मूर्ति भित्त चित्र में खरीदी गयी है ?

श्री राममूर्ति––बड़ी लम्बी लिस्ट है। इसे भी कहिये पढ़ना शुरू कर दूं।

श्री अध्यक्ष––सिर्फ एक ही आदमी का नाम वह जनाना चाहते हैं।

श्री राममूर्ति––सब पढ़ूं तो पता लगेगा।

श्री अध्यक्ष––मालूम होता है उनका नाम नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––यह जो सजावट होने जा रही है यह विधान भवन की किन दीर्घाओं तथा किन विशेष स्थानों में होगी ?

श्री राममूर्ति––इसको भी अगर आपकी आज्ञा हो तो लिस्ट पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष––पढ़ दीजिये।

श्री राममूर्ति––विधान सभा कक्ष, अध्यक्ष प्रवेश मध्य गुहा, समिति कक्ष नं० ८०, नवीन समिति कक्ष नं० ८४, तिलक हाल, विधान परिषद् हाल, विधान परिषद् हाल भित्त चित्र, प्रवेश हाल सीढ़ी। त्रिकोणाकार दीवारें। प्रवेश हाल, मध्यवर्ती गलियारा, मध्यवर्ती पथ विधान सभा हाल का सभा कक्ष, अध्यक्ष प्रवेश मध्यगुहा, बड़ा जीना, प्रवेश द्वार की बरसाती, कांसे की मूर्तियां, पुस्तकालय, विधानदलीप मीटिंग हाल, मुख्यमंत्री सभा कक्ष, प्रवेश हाल प्रथम तल।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नेताओं की लिस्ट है उसमें अपने प्रदेश के सत्तावनी क्रान्ति के कुछ नेताओं की मूर्तियां या तस्वीरों का भी प्रोपोजल है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा हो कि इसकी एक नकल करा के आप माननीय सदस्यों को दे दें क्योंकि इसमें सभी लोग दिलचस्पी रखते हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन के विशिष्ट स्थानों पर चित्र और मूर्तियां इत्यादि की सजावट के लिये किन-किन उच्च आर्टिस्टों को यह काम दिया गया है ?

श्री राममूर्ति––अध्यक्ष महोदय, वह लिस्ट तो मेरे पास इस वक्त नहीं है। अगर माननीय सदस्य मुझको लिख कर दें तो मैं जहां और चीजें छपवा कर दूंगा वहां यह भी दे दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––इस सदन की दीर्घाओं और सदन के आसपास जो प्रिसिक्ट्स आफ दि हाउस हैं किस प्रकार उनको सजाया जायगा या आकर्षक बनाया जायगा, यह सदन का काम है। तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष से कोई राय ली या जो सदन की समिति है उससे कोई राय ली क्योंकि यह तो हाउस का काम है गवर्नमेंट ने अपने ऊपर कैसे ले लिया ?

श्री राममूर्ति––मुझे इसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं क्योंकि पहले काम हो चुका है और उसका कोई नोट मेरे सामने आया भी नहीं। बाकी जनाब उसमें तशरीफ रखते थे और कौंसिल के चेयरमैन साहब भी थे। शायद आप उसके बारे में कुछ जानते हों।

रासायनिक तथा मैले की खादें

*२२––**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)––क्या गृह मंत्री रासायनिक खादों के सम्बन्ध में निम्मांकित तथ्य प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ––

(अ) १ अप्रैल, १९६० को सरकार के पास कितनी तौल और कितनी कीमत की कौन-कौन सी रासायनिक खादें स्टाक में थीं ?

(ब) १ अप्रैल, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० तक कितनी-कितनी तौल की कौन-कौन सी रासायनिक खादें कितनी-कितनी कीमत में और खरीदी गयीं ?

श्री चरणसिंह---

(अ) वांछित सूचना तालिका (क) में दी हुई है ।

(ब) वांछित सूचना तालिका (ख) में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३४ पर ।)

*२३---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि १ अप्रैल, १९५७ से १ अप्रैल, १९६० तक सरकार द्वारा मंगाई गई रासायनिक खादों की खपत न होने के बावजूद रासायनिक खादें प्रतिवर्ष मंगाई जाती रही हैं ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२४---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की ओर से खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिये मैले की खाद प्रदेश में किन-किन स्थानों में मिलती है और क्या सरकार ने उसे खेतों तक पहुंचाने के लिये क्या यातायात के साधनों की कोई सुविधा दे रखी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरणसिंह---मैले की खाद ३६२ स्थानीय निकायों में बनाई जाती है । सूची कार्यालय में देखी जा सकती है । इस खाद का खेतों तक पहुंचाने के लिये १६ सरकारी ट्रकें उपलब्ध हैं । दो दो ट्रक हर क्षेत्रीय केन्द्र पर रहती हैं और जहां कहीं ढुलाई के लिये बुलाई जाती हैं, ढुलाई करती हैं । उनका किराया ढुलाई मैले की खाद की खाइयों के स्थान से काश्तकार के पास पहुंचाने के स्थान तक आने जाने की दूरी पर ०.६९ नये पैसे प्रति मील के हिसाब से लिया जाता है, जोकि वाहन में लगा पैट्रोल व तेल वगैरह की कीमत मात्र है ।

औरंगाबाद थाना क्षेत्र में चोरियां

*२५---**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दनशहर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में थाना औरंगाबाद में अक्तूबर, १९६० से दिसम्बर, १९६० तक कितनी चोरी, डकैती व राहजनी की घटनायें हुईं और तत्सम्बन्धित कितने चालान हुये ?

श्री चरणसिंह---इस अवधि में चोरी की ३ घटनायें हुईं परन्तु तहकीकात के पश्चात् भी उनका पता न लग सका । डकैती व राहजनी की कोई घटना नहीं हुई ।

*२६---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[१४ मार्च, १९६१ के लिये स्थागित किया गया ।]

गिरगिटही जलाशय का टूटना

*२७---**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गिरगिटही जलाशय का बांध (तुलसीपुर-गोंडा) एकाएक लगभग ३०० फुट का एक हिस्सा बह जाने की वजह से पूरा का पूरा खाली हो गया ?

श्री राममूर्ति---१ अक्तूबर, १९६० को गिरगिटही जलाशय १०० फीट लम्बाई में टूट गया था जिसके कारण बांध पूरा खाली हो गया ।

*२८—श्री झारखंडेराय—क्या यह सही है कि यह बांध अभी ३–४ साल पहले लाखों रुपये की लागत से तयार हुआ था ?

श्री राममूर्ति—बांध सन् १९५६ में बन कर तैयार हुआ था। मार्च, १९६० तक बांध तथा नहर इत्यादि में २६,९५,८२१ रुपया व्यय हो चुका है।

*२९—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इसकी मरम्मत तथा इसे पुनः पानी से भरने के हेतु, ताकि रबी की सिंचाई के लिये पानी मिल सके, सरकार क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—बांध की मरम्मत का कार्य पूरा हो गया है। जनवरी, १९६१ में पानी बरसने से जलाशय में पानी सिल (Cill) से ३ फीट ऊपर तक भर गया था लेकिन मांग न होने के कारण सिंचाई अभी तक नहीं हुई।

श्री झारखन्डे राय—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जो बांध का एक हिस्सा टूट कर बह गया उसके मुख्य कारण क्या थे ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, बांध के नीचे जो नहर बनी हुई थी उसमें करीब सौ, दो सौ गज के ऊपर लोगों को पता लगा कि एक झरना सा निकलने लगा है प्रेशर के साथ। तो उसकी छानबीन हुई कि आखिर यह पानी कहां से आ रहा है। जो असिस्टेण्ट इंजीनियर उस जगह पर थे उनको जब खबर हुई तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश की और यह पता लगा कि शायद झील में कुछ नीचे से कटिंग ऐक्शन हो रहा है। फिर उन्होंने बड़ी दौड़–धूप की रेत के बोरे वगैरह डाले गये तो वह रुक गया। रात भर के बाद फिर सुबह को दूसरी जगह से बहुत पानी निकलने लगा और फिर बढ़ते-बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया और तमाम कोशिशों के बाद भी बांध टूट गया।

श्री झारखण्डेराय—अब जब इस बांध की मरम्मत हो गयी है तो क्या इस बात की पूरी गारंटी कर ली गयी है कि जिस कारण से पहले बांध टूटा अब उसके टूटने की सम्भावना नहीं है ?

श्री राममूर्ति—मेरा खयाल है कि विभाग के कर्मचारियों ने ऐसी गारन्टी अपने दिमाग में कर ली होगी क्योंकि उसका दोबारा टूटना कोई पसन्द नहीं करेगा।

*३०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—[१५ मार्च, १९६१ के लिय प्रश्न ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जालौन जिले में डाकुओं द्वारा लड़कों का अपहरण

*३१—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में डाकुओं द्वारा १९६० में कितने लड़कों का अपहरण करने की घटनायें हुईं और उनको तलाश करने की क्या कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गयी या की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—जिला जालौन में सन् १९६० ई० में डाकुओं द्वारा लड़कों के अपहरण करने की दो घटनाएं हुईं, उनमें से एक में पुलिस द्वारा खोज के परिणामस्वरूप डाकुओं ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया और वह घर वापस आ गया। दूसरी घटना के सम्बन्ध में पुलिस सरगर्मी से खोज कर रही है। अभी तक लड़का प्राप्त नहीं हो रहा है।

नोट—तारांकित प्रश्न २९ के उपारान्त प्रश्नोत्तर कर समय समाप्त हो गया।

सिंगरामऊ तथा रामगंज रजबहों से रबी को क्षति

*३२—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज के थाना बदलापुर क क्षेत्र में बहने वाल सिंगरामऊ रजबहा तथा रामगंगा रजबहा दिसम्बर, १९६० तथा जनवरी १९६१, में कई दिनों तक अधिक पानी होनेके कारण अपने बन्धों के उपर से बहे ? यदि हां, तो इस प्रकार पानी की मानवकृत बाढ़ से कितने एकड़ रबी की कृषि को हानि हुई तथा क्या इस हानि का कोई प्रतिकर सरकार देगी ? यदि हां, तो कितना ?

श्री राम मूर्ति—रामगंगा नामक कोई रजबहा इस क्षेत्र में नहीं है, परन्तु उक्त समय से सिंगरामऊ तथा रामगंगा रजबहों में बैंक के ऊपर पानी बहने से कोई घटना नहीं हुई। हां, सिंगरामऊ रजबहे के ४ मील ५ फर्लांग १०० फीट पर एक खांदी हो जाने के कारण और रामगंज रजबहे के टेल पर कुछ पानी अधिक पहुंचने से लगभग २५ एकड़ रबी की क्षति हुई और उसके लिये अनुमानित प्रतिकर १,६६४ रुपया २७ नये पैसे दिया जायगा।

कौलाना में श्री गोविन्दराम की हत्या

*३३—**श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि १९ नवम्बर, १९६० की रात में मथुरा जिले के नौझील क्षेत्र के कौलाना नामक गांव में श्री गोविंदराम के यहां सशस्त्र डकैतों ने कई हजार का माल लटा और मना करने पर श्री गोविंदराम को गोली से मार कर घायल कर दिया जिनकी मौत मथुरा अस्पताल में पहुंचते ही हो गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—श्री गोविंद राम के यहां डकैती नहीं पड़ी। किन्तु ऐसी एक घटना संबंधित ग्राम में दिनांक १६/१७-११-१९६० की रात को हुई जिसमें डाकुओं ने श्री हरप्रसाद तथा श्रीमती अनारदेवी नामक व्यक्तियों के मकान से माल लूटा। इसी घटना में डाकुओं ने श्री गोविंदराम को गोली मार दी जिससे उनकी मृत्यु मथुरा अस्पताल में पहुंचते ही हो गई ?

इस घटना के बारे में तीन व्यक्तियों का चालान किया गया है।

इंचार्ज थाना, सदना के विरुद्ध आरोप की जांच

*३४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार बनाम जुबेर दफा ३०२, सेशन ट्रायल नं० ६४, थाना सदना, जिला सीतापुर, का जो निर्णय जिला एवं सेशन जज, सीतापुर के न्यायालय से दिनांक ३० जुलाई, १९६० को हो चुका है और जिसमें माननीय न्यायाधीश ने सदना थाने के इंचार्ज के विरुद्ध जो पार्टीबन्दी का आरोप लगाया है तथा समस्त अभियुक्त निर्दोष पाये हैं उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह—पैरा ५०० पुलिस रेगूलेशन के अन्तर्गत जांच की जा रही है। जांच से यदि "स्ट्रिक्चर" सही पाये जायेंगे तो थाना इंचार्ज के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

थाना मनकापुर के विरुद्ध शिकायतें

*३५—**श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)—क्या सरकार दिनांक ७ अक्तूबर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जो यह कहा गया था कि उसकी जांच हो रही है, सी० आई० डी० वहां इंक्वायरी कर रही है कलेक्टर क्वायरी कर रहे हैं, एस० पी० इंक्वायरी कर रहे हैं तथा डी० आई० जी० को भी कहा गया है कि इंक्यायरी करें उस सम्बन्ध में चारों अधिकारियों की जांच में जो रिपोर्ट हुई, वे अलग-अलग क्या हैं और उसके फलस्वरूप क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—७-१०-६० को माननीय सदस्य के उक्त प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि उस मामले की जांच सी० आई० कर रहे हैं। सदस्य द्वारा जब यह प्रश्न प्राप्त हुआ तो पता लगा कि अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय भूल से सी० आई० के बजाय सी० आई० डी० कहा गया था जिसके लिये खेद है। वास्तव में स्थिति यह है कि इस मामले की जांच सी० आ.ई० (सर्किल इंस्पेक्टर) ने की, न कि सी० आई० डी० ने। सर्किल इंस्पेक्टर की जांच से पता लगा कि वादी ने निर्दोष व्यक्तियों को गलत प्रथम सूचना (F. I. R.) में नामजद किया था, इसलिये इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

एस० पी० ने इस केस की रिपोर्ट जिलाधीश और डी० आई० जी० को भेजी। जिलाधीश की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई और मामले में कोई और कार्यवाही न करने का निर्णय किया गया। डी० आई० जी० ने अलग से कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजी।

*३६—**श्री बलदेवसिंह**—क्या सरकार ने मनकापुर थाना (जिला गोंडा) के किसी अधिकारी के विरुद्ध मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का आदेश दिया है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चरणसिंह—जी हां। उक्त जांच के लिये आदेश दिया गया था किन्तु जांच से संबंधित एक रिवीजन हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के फलस्वरूप जांच रोक दी गई है।

महाराजपुर थाना तथा शास्त्री नगर पुलिस चौकी, जिला कानपुर के विरुद्ध शिकायतें

*३७—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको थाना महाराजपुर, जिला कानपुर के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ २ सितम्बर, १९६० का भेजा हुआ कोई शिकायती पत्र मिला है?

श्री चरणसिंह—जी हां। एक व्यक्ति का शिकायती पत्र मिला था।

*३८—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायती-पत्र में क्या-क्या मुख्य शिकायतें थीं और उनको दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चरणसिंह—मुख्य शिकायतें यह थीं कि पुलिस ने प्रार्थी को मारा और एक झूठा जुवे का मुकदमा बनाकर जेल भेज दिया।

जुएं का मुकदमा अदालत के विचाराधीन है और इस शिकायत पर इस समय कोई जांच सम्भव नहीं है। प्रार्थी को पुलिस द्वारा मारने की शिकायत पर दोबारा जांच करने के आदेश दिये गये हैं।

*३९—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ४ अगस्त, १९६० का भेजा हुआ कानपुर शहर के शास्त्री नगर पुलिस चौकी के पुलिस कर्मचारियों तथा उस क्षेत्र के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के खिलाफ कोई शिकायती-पत्र प्राप्ति हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री चरणसिंह—इस सम्बन्ध में एक श्री महेशचन्द्र पाठक का दि० ४-८-६० का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसे मूल रूप में जिलाधीश कानपुर को निपटारे के लिये भेज दिया गया था। जिलाधीश ने बताया है कि यह प्रार्थना-पत्र एस० पी० के कार्यालय में खो गया है और उसकी तलाश की जा रही है। श्री महेशचन्द्र का भी पता लगाया जा रहा है और उनसे प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करके जांच की जायेगी।

श्री गोविन्द मालवीय के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में एक दुखद घटना का जिक्र करना है और वह यह है कि माननीय गोविन्द मालवीय जी इस संसार में नहीं रहे। माननीय गोविन्द मालवीय हमारे देश के उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में विद्यार्थी जीवन से हिस्सा लिया। वह उस परिवार के थे जिस परिवार ने राष्ट्रीयता के इतिहास में अपनी एक अमर कहानी लिख दी है। महामान्य मदनमोहन मालवीय जी के यह सुपुत्र अपने पिता के साथ सदा देश के उन कार्यों में पिता के जीवन-काल में और उसके पर्यन्त जुटे रहे, जिन कार्यों के द्वारा इस देश का और प्रदेश का सार्वजनिक जीवन ऊंचा उठा और अपनी सेवाओं के द्वारा उन कार्यों का उन्होंने सम्पादन किया, वे चिरस्मरणीय रहेंगे।

सन् १९२० से, जब से देश में गांधी जी के नेतृत्व में आजादी का आन्दोलन कांग्रेस के तत्वावधान में प्रारम्भ हुआ उसी समय से उन्होंने देश के सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेना प्रारम्भ किया। वह उन चन्द व्यक्तियों में से थे जो गांधी जी की पुकार पर जेल गये और जेल जा कर उन नवयुवकों के समक्ष उन्होंने मिसाल प्रस्तुत की जो उस समय देश की आजादी के कार्यों में जुटे हुये थे और जुटना चाहते थे। उनका परिवार, जैसा मैंने कहा राष्ट्रीयता के लिये, उसकी भावना के प्रसार के लिये, प्रसिद्ध रहा है और जब तक राष्ट्रीयता के इतिहास के पन्ने और खास करके इस प्रदेश की राष्ट्रीयता के इतिहास के पन्ने जीवित रहेंगे तब तक इस परिवार का नाम सदा इतिहास में ऊंचा माना जाता रहेगा। माननीय गोविंद मालवीय ने जैसा मैंने कहा, जब-जब आजादी की लड़ाई की आवाज और उसकी पुकार आई, उस आजादी की लड़ाई में जब-जब त्याग और तपस्या करने का प्रश्न उठा, बराबर उन्होंने उस त्याग, तपस्या और बलिदान के कार्यों में हिस्सा लिया।

१९३०,१९३२ और १९३३ में वह जेल गये और जेल की यातनाओं को उन्होंने सहा। १९३१ में वह अपने पिता के साथ उस कार्य के सम्पादन में विदेश गये जहां उनके पिता जी राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस में उन प्रश्नों के ऊपर विचार करने के लिये गये थे जिनका विचार राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस में होने को था और जिनका सम्बन्ध देश की आजादी से था। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि १९३१ में गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी कांफ्रेंस की तरफ से और महामना मालवीय जी देश के बड़े नेताओं की ओर से उस राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस में गये थे। यह अपने पिता जी के साथ उनके निजी सचिव के नाते उनके साथ गये थे। वह अपने पिता जी को अपनी सूझ-बूझ, सलाहों और अनुभवों से उन कार्यों में जिनका समाधान राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस में होना था, सहायता करते रहे। उस कांफ्रेन्स के उपरान्त १९३२ के आन्दोलन में वह जेल गये। १९३३ में जब उनके पिता जी कलकत्ता कांग्रेस सेशन के सभापति चुने गये तो उसमें भी उनके साथ वह कलकत्ता गये और रास्ते में अपने पिता जी के साथ और अन्य साथियों के साथ आसंसोल जेल में पकड़ कर रखे गये। उसके बाद उन्होंने अपने प्रदेश में एक इंश्योरेंस कम्पनी की रचना की और उन कार्यों में भी थोड़ा समय दिया। जबकि वह अपना समय इन कार्यों में देते थे तो अपने पिता जी को उन कार्यों के सम्पादन में बराबर सहायता और सहयोग देते थे जिनकी जिम्मेदारी महामना मालवीय जी ने अपने कंधों पर ले रखी थी। हम में से कौन ऐसा है जो महामना मालवीय जी को भूल सकता है, उनके परिवार की सेवाओं को भूल सकता है, जब तक हिन्दू विश्वविद्यालय हमारी नजरों के सामने बना रहेगा तब तक महामना मालवीय जी की और उनके सुपुत्र गोविंद मालवीय जी की याद आती रहेगी।

१९४२ में जब क्विट इंडिया का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तो उसमें गोविंद मालवीय जी फिर पकड़े गये। वहां से छूटने पर फिर देश के सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लेते रहे। १९३७ में जब यहां कांग्रेस ने अपने कंधों पर सरकार की जिम्मेदारी ओढ़ी थी, वह प्रतापगढ़ जिले से इस सदन के सदस्य चुन कर आये और अपनी असेम्बली के काल में उन सार्वजनिक प्रश्नों के हल करने में हिस्सा लेते रहे जो इस सदन के समक्ष बराबर आते रहे।

जैसा कि मैंने अभी कहा १९४२ के आन्दोलन में वह पकड़े गये, उसके बाद जब वह १९४५ में छूट कर आये उसके उपरान्त भी वे बराबर उन कार्यों में दिलचस्पी लेते रहे जिन कार्यों में उनके पिता जी दिलचस्पी लेते थे। हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्यों में उन्होंने सदा अपने पिता जी की सहायता की और पिता जी के देहावसान के बाद वे उस विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर बने। अपने वाइस-चांसलर के कार्य-काल में उन्होंने विश्वविद्यालय की जो सेवायें कीं वे भी प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकर्ता को भलीभांति विदित हैं और वह विश्वविद्यालय जो उनके पिता के कार्यकाल में उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा था उनकी वाइस-चांसलरशिप में भी उस विश्वविद्यालय ने काफी प्रगति की और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से काफी धनराशि उपलब्ध करके कई विभागों का निर्माण कराया और कई को अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया।

कांस्टीटुएन्ट असेम्बली के सदस्य के नाते उन्होंने उन प्रश्नों के हल करने में भी दिलचस्पी ली जो कांस्टीटुएन्ट असेम्बली में देश के संविधान के निर्माण के सिलसिले में समय-समय पर प्रस्तुत हुये थे। उसके उपरान्त उन्होंने और भी सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लिया और आजकल वह लोक सभा के सदस्य थे। सुल्तानपुर से वह कांग्रेस की ओर से लोक सभा के प्रतिनिधि चुनकर आये थे। जब तक वह लोक सभा के सदस्य रहे बराबर लोक सभा की कार्यवाहियों में दिलचस्पी लेते रहे और अपना समय विभिन्न प्रश्नों के हल करने में और प्रदेश की रचना के सिलसिले में व्यतीत करते रहे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वह कम उम्र में ही हमारे बीच से सदा के लिये उठ गये। परन्तु वह हमारे बीच में जो कार्य करके गये हैं, जो मिसाल सार्वजनिक जीवन में अपने कार्यों के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत की है, वह सदा हमें प्रेरणा देने वाली रही है और जैसा मैंने कहा कि जब तक इस देश और प्रदेश में राष्ट्रीयता का इतिहास जीवित रहेगा, उनके पिता का और उनका नाम सदा गौरव के साथ लिया जाता रहेगा और हमारे सार्वजनिक जीवन में हमें सदा प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।

हम सब आज दुखी हैं और हम सब अपनी समवेदना उनके परिवार के पास इस अवसर पर भेजना चाहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनके निधन से जो तकलीफ हम सब साथियों को और इस सदन के सदस्यों को हुई है उस तकलीफ को दर्शाते हुये इस सदन की ओर से और इस सदन के सदस्यों की ओर से आप हमारी समवेदना उनके सुपुत्र और उनके घर वालों तक पहुंचा दीजिये जिनके ऊपर कि इस निधन से वज्रपात–सा हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो बात मैंने समवेदना सम्बन्धी आपसे व्यक्त की है उसे आप भेजने की कृपा करेंगे। मैं इन चन्द शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि अपने पुराने साथी और इस सदन के साथी के प्रति अर्पित करता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)––अध्यक्ष महोदय, गोविन्द मालवीय जी के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन ने प्रकट किये हैं उन से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। गोविन्द मालवीय जी इस प्रदेश के उन इने गिने नवयुवकों में थे जिन्होंने गांधी जी की आवाज पर असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। इस आदरणीय सदन के सभी सदस्यों को ज्ञात होगा कि महामना मालवीय जी असहयोग आन्दोलन के उस भाग के पक्ष में नहीं थे जिसमें यह कहा गया था कि विद्यार्थी पढ़ना-लिखना छोड़ कर आन्दोलन में भाग लें। इतने बड़े और प्रभावशाली पिता के पुत्र होते हुये भी और उनके साथ रहते हुये भी गोविन्द मालवीय उन लोगों में थे जिन्होंने अपना पढ़ना लिखना छोड़ा और असहयोग आन्दोलन में साथ दिया। स्वयं वे ही नहीं बल्कि पूरा परिवार, चार के चारों भाई बावजूद अपने पिता के विरोध में सब असहयोग आन्दोलन में शरीक हुये। सारा जीवन उन्होंने समाज-सेवा में बिताया। इस आदरणीय सदन में जिस समय वह सदस्य थे उस समय के माननीय सदस्यों को याद होगा कि वह बड़े प्रभावशाली वक्ता थे। वे ऐसे सुन्दर और ऐसे प्रभावशाली ढंग से अपनी बात पेश करते थे कि उनके विरोधी भी उनकी बात के

[श्री त्रिलोकीसिंह]

कायल हो जाते थे। वह हमारे बीच में नहीं रहे यह दुःख की बात है। मैं मान्यवर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी ओर से और इस तरफ के बैठने वाले तमाम माननीय सदस्यों की तरफ से आप उनके दुःखी परिवार को हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, गोविन्द मालवीय जी के निधन का समाचार जब मुझे अचानक मिला तो मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया से मेरा एक बड़ा भाई उठ गया। हमारा निजी ढंग पर भी गोविन्द जी से घनिष्ठ संबंध था। हमें याद है कि सन् १९४२ के आन्दोलन में हम लोग जब वाराणसी जेल में थे तो यदि गोविन्द जी हमारे साथ न रहे होते तो मुझे अपने स्वास्थ्य के बनाने में वह सफलता न मिलती जो कि उनके रहने से मिली थी। हमें ऐसे अवसर भी याद आते हैं जबकि गोविन्द जी और हमारे विचारों में गहरा मतभेद हुआ है। मगर मतभेद के रहते हुये भी एक बड़े भाई का स्नेह हमें बराबर उनसे मिलता रहा। गोविन्द जी के निधन से हमें अचानक उस दिन की भी याद आई जब पूज्य महामना मालवीय जी की मृत्य हुई थी और हम दोनों ने अपने कंधों पर उनके शव को रखा था।

एक दिन की घटना है कि गोविन्द जी अपने इन्श्योरेन्स के कार्यालय में बैठे थे और मैं मालवीय जी के यहां बैठा हुआ था। उन्होंने कुछ समाचार कहने के लिये अपने घर को फोन किया और मैं भी दूसरी जगह फोन कर रहा था। परन्तु वह बराबर कह रहे थे कि तुम फोन रख दो, तुम कौन हो जो हमारे घर पर बैठे हुये हो तो स्वभावतः आप परिचित हैं, कि हमारा क्या उत्तर होना चाहिये था। जब उन्होंने कहा कि तुम कौन हो तो मैंने कहा कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं और इस घर को मैं अपने से कम नहीं समझता। जब उन्होंने कहा कि तुम कौन बोल रहे हो, मैं गोविन्द मालवीय बोल रहा हूं, तब मैंने कहा कि मैं राजनारायण बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई तुम पहले अपना फोन कर लो तो बाद में मैं कर लूंगा, मैं पहचान नहीं पाया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं। हमको गोविन्द जी के साथ रहने के, घनिष्ठ सम्पर्क में रहने के बहुत अवसर आये हैं।

सन् १९४० में जब व्यक्तिगत आन्दोलन चला और उसके बाद १९४२ में जब जन क्रान्ति आन्दोलन चला और उसमें वह गिरफ्तार हुये तो मैं बराबर वहां मौजूद था। सन् १९४२ में जब उनकी गिरफ्तारी हुई—वह ९ तारीख की शाम को ही गिरफ्तार हो गये थे और फिर वहां से हम लोग कैसे हटे और उस ४२ के आन्दोलन का किस प्रकार से संगठन हुआ यह एक लम्बी कहानी है। गोविन्द जी से स्वतंत्रता-संग्राम को हमेशा बल मिलता था। जो लोग क्रान्तिकारी तबके के थे, जो उस जमाने में अंग्रेजी शासन को हटाने के लिये बम, पिस्तौल और बंदूक को इस्तेमाल करना चाहते थे उन लोगों को भी गोविन्द जी से बहुत मदद मिलती थी। उनकी सहायता के बहुत से ऐसे अवसर याद आते हैं कि जब उनके यहां से मदद मिलती थी। एक बार मैं गोविन्द जी के घर बैठा हुआ था तो चारों तरफ से पुलिस ने उनके मकान को घेर लिया। तब उस समय उनके परिवार वालों ने मुझे बड़े साहस के साथ उस घर से निकाला था। वह सारी घटनायें कल से लेकर आज तक नजर के सामने आ रही हैं।

गोविन्द जी की जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संग्राम में देन थी उसी प्रकार से शिक्षा जगत में भी उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की थी। काशी विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर वह विराजमान रहे हैं और हमको इस बात के कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि अपने आदरणीय बड़े महापुरुषों की इच्छा को न मानते हुये भी गोविन्द जी को वायस-चांसलर के पद पर बैठाने में हमारी पूरी-पूरी कोशिश रही। हमारे और उनके विचारों में गहरी खाई होते हुये भी हम और गोविन्द जी एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और स्नेह का विचार रखते हुये अपने विचारों पर दृढ़ रहे हैं। गोविन्द जी बहुत ही प्रवीण वक्ता थे और अंग्रेजी इतनी अच्छी बोल लेते थे कि मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग बोल पायेंगे। हिन्दी में भी उनकी

बोलने में ऐसी कुशलता थी, ऐसी कला थी कि मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा और शायद दूसरे लोग भी उन के समकक्ष नहीं टिक पायेंगे। जैसे मजदूरों का सवाल आया तो उन्होंने कहा कि :

"When I am the Vice-Chancellor of the Hindu University, what is the need of your Labour Union ? Dissolve it."

जब मैं इस विश्वविद्यालय का उपकुलपति हूं तो मजदूर संगठन की क्या आवश्यकता है ? क्या तुम नहीं समझते कि मेरे द्वारा मजदूरों का हित होगा ? मैंने कहा, मालवीय जी हर, तानाशाह ऐसा ही कहा करता है । क्षमा कीजिये, मैं आपके विचारों का नहीं हूं । मजदूर संगठन रहेगा और मजदूर संगठन अपने हितों को बराबर अपनी दृष्टि से देखता रहेगा । उसका नतीजा हमको भोगना पड़ा और जेल काटनी पड़ी, उस समय जब यहां माननीय लालबहादुर शास्त्री जी गृह मंत्री थे । लेकिन ईमानदारी के साथ मैं इस बात को महसूस करता हूं कि विचारों में विषमता रहते हुये भी हम में एक दूसरे के प्रति अगाध स्नेह, आदर, श्रद्धा और भक्ति थी । मैं अब भी मानता हूं उस बात को इस अवसर पर । गोविन्द जी एक कमासुत पूत थे । हमारे यहां कमासुत पूत कहा जाता है । उनका परिवार बड़ा है । मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनके परिवार पर जो बोझ इस समय पड़ रहा है गोविन्द जी के निधन से, वह उससे कैसे पार पा सकेगा । मैं चाहता हूं कि वह शक्ति और वह बल उनके परिवार के लोगों में पैदा हो कि गोविन्द जी के न रहने पर भी वे बिना किसी हिचक और दिक्कत के अपनी कठिनाइयों और मुसीबतों पर काबू पा सकें ।

श्रीमन, माननीय नेता सदन ने, नेता विरोधी दल ने, जिन भावों को व्यक्त किया है गोविन्द जी के प्रति, मैं अपनी सहमति उनसे प्रकट करता हूं और अपने को उस से संबद्ध करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि आप उन के दुखित परिवार के पास हमारी और हमारे दल की और हमारे समकक्ष विचार रखने वाले जितने लोग हैं, उन सब की समवेदना और सहानुभूति उस दुखित परिवार के पास पहुंचायेंगे । मैं इन शब्दों के साथ गोविन्द जी के प्रति अपना आदर पुनः प्रकट करते हुये अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं ।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय राजनारायण जी ने स्वर्गीय गोविन्द मालवीय जी के संबंध में जो भावनायें व्यक्त की हैं और उनके व्यक्तित्व तथा गुणों की जो चर्चा की है उन सब से मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

माननीय गोविन्द मालवीय सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र थे और जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा और माननीय राजनारायण जी ने भी कहा, वे अच्छा बोलने के गुण में भी अपने पिता के ही सुयोग्य पुत्र थे । मेरे लिये उनका स्वर्गवास व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखदायी है । चूंकि मुझे सन् १९२० से उनके साथ स्वाधीनता-संग्राम में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ४०, ४१ वर्ष तक मेरा उनका स्नेह संबंध रहा और सन् १९४१-४२ में, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के आन्दोलन में भी नैनी जेल में उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला । इसके अतिरिक्त, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, सन् १९४६ से सेंट्रल असेम्बली और कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली दोनों में मुझे उनके साथ काम करने का सुअवसर मिला है, मेरा उनका स्नेह संबंध बहुत गहरा था और उसमें कभी कोई कमी नहीं हुई । यदाकदा विचारों में, अंत में आकर कुछ मतभेद हुआ हो, लेकिन उन मतभेदों के कारण अपने संबंध में कोई कमी नहीं हुई है । आज मैं यह अनुभव करता हूं कि मेरा छोटा भाई मुझे छोड़कर चला गया । इन सब भावनाओं के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनके शोक---संतप्त परिवार को आप समवेदना प्रकट करें और सब पार्टियों के नेताओं के साथ-साथ हमारी समवेदना भी उनके परिवार को भेज दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय गोविन्द मालवीय जी के संबंध में माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल के सभी साथियों को उनसे सम्बद्ध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जीवन में जो भी उन्होंने कार्य किये हैं, वे सराहनीय हैं। आज यह दुख का विषय है कि इस तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति हमारे देश से उठते जा रहे हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। मैं पुनः अपनी और अपने दल की ओर से उनके दुखी परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं। आपसे अनुरोध है कि हमारी भी समवेदना उनके दुखी परिवार को भेजने की कृपा करें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, गोविन्द मालवीय जी एक महान व्यक्ति के पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन भर इस बात का प्रयास किया कि वे उस महान व्यक्ति के एक सुयोग्य पुत्र सिद्ध हो सकें। इस कार्य में अपने जीवन में वे पूरी तरह सफल रहे। वे किस प्रकार अपने विरोधियो को भी अपने पक्ष में कर लेते थे, इसका एक उदाहरण मुझे याद है। जब वाराणसी विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर बनने की बात आई, उस समय विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों के एक सेक्शन ने उनका विरोध भी किया था। किन्तु जब वे उस पद पर पहुंच गये तो उन्होंने जिस लगन और तत्परता से छात्रावास, विद्यालय भवनों के निर्माण में जो कार्य किया उसे उनके पिता महामना मालवीय जी के अतिरिक्त, पहले और कोई उप कुलपति नहीं कर सका था। जिस प्रकार की इस क्षेत्र में उन्होंने सेवा की उससे उन्होंने अपने विरोधियों को भी अपने पक्ष में कर लिया था, उन्होंने विद्यार्थियों के लिये सुख-सुविधा की व्यवस्था कर कई छात्रावासों का भी निर्माण किया। उनके इन सब कार्यों से उनके विरोधी भी उनके प्रशंसक बन गये। ऐसे व्यक्ति के हमारे बीच से उठ जाने से हमारे प्रदेश की एक महान क्षति हुई है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की समवेदनाओं को प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उनको उनके दुखित परिवार को पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---स्वर्गीय गोविन्द मालवीय जी के असामयिक निधन के ऊपर नेता सदन तथा अन्य पार्टियों के नेताओं ने जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं और उनकी सेवाओं के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की है और आदर व्यक्त किया है, उन विचारों से मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। जिस प्रकार अन्य नेताओं ने अपने निजी संबंध के बारे में चर्चा की, मेरा भी उनके साथ काफी घनिष्ट संबंध राजनीतिक कार्य करते हुये रहा है। मैं जानता हूं, वे एक सच्चे राष्ट्रीय व्यक्ति थे और सदैव अपने देश की आजादी के लिये तड़पते रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने पिता से थोड़ा मतभेद रख कर भी अपने विद्यार्थी जीवन को समाप्त कर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया। वे करीब ८ बार जेल भी गये।

वह बहुत अच्छे वक्ता थे। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उनके पूज्य पिता की वक्तृता प्रसिद्ध थी उसी प्रकार से उनकी वक्तृता भी सदैव प्रसिद्ध रही है। मुझे इस आदरणीय सदन में सन् १९३७ से १९३९ तक उनकी वक्तृता को सुनने का अवसर मिला। उससे पहले मैंने उनको उस तरह से नहीं सुना था, केवल बातचीत ही होती रही थी इसीलिये जब मैंने उनको पहली मर्तबा सुना तो मुझे आशा हुई थी कि वे एक दिन हमारे अच्छे नेताओं में से होंगे, जहां तक कि पार्लियामेंटरी पद्धति का सवाल है। दुर्भाग्य से उन्हें एक बीमारी, बेरी-बेरी ने पछाड़ दिया कई महीने तक, मैंने उनको देखा भी था, वह इतने अशक्त हो गये थे कि मुझे उसी वक्त लगा कि कहीं वे चले न जायं, परन्तु ईश्वर की कृपा से उन्होंने फिर से स्वास्थ्य प्राप्त किया। यद्यपि उन्हें वह शक्ति नहीं मिली और मैं तो समझता हूं कि यही कारण है कि इतनी कम अवस्था में उनके ऊपर फिर रोग ने आघात किया और वह हमारे बीच से चले गये। इस पर इतनी छोटी उम्र में उनकी सेवायें काफी बड़ी हैं और वह हमें सदैव याद रहेंगी। उनके सारे कुटुम्ब की ही ऐसी सेवायें रही हैं जोकि हमारे देश में सदा याद रहेंगी क्योंकि उसका मूर्तमान प्रतीक "काशी हिन्दू

विश्वविद्यालय" हमारे बीच में मौजूद है । वह जब तक हमारे बीच में रहेगा हम इन पिता के पुत्र को आदरपूर्वक स्मरण करते रहेंगे । उनके चले जाने से हम सब को जो दुख हुआ है जो अभी इस सदन ने व्यक्त किया उसे मैं उनके संतप्त परिवार को इस सदन की समवेदना के साथ भेज दूंगा। मैं आशा करता हूं कि उनके परिवार के और लोग भी इसी प्रकार आगे बढ़ कर काम करेंगे और इस परिवार की कीर्ति बढ़ायेंगे और इस महान दुख का धीरज के साथ सामना कर सकेंगे । अब हम उठें और दो मिनट तक परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए खड़े हुये ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण जी ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव भेजा था जिसको मैं अनिश्चितता के आधार पर स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत जिला नैनीताल के तराई क्षेत्र में काश्तकारों से जमीन खाली कराने के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकृष्ट करने के लिये श्री प्रतापसिंह ने एक प्रश्न भेजा था जिसको मैंने स्वीकार कर लिया है । वह इस प्रकार है "जिला नैनीताल के तराई भावर के क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में एक हजार से अधिक लोगों को सरकार के द्वारा जमीन एलाट कर दी थी जिसको काश्तकारों ने आबाद भी कर लिया और अपने रहने के लिये मकानात भी बनवाये परन्तु हाल में सरकार ने उन एलाटमेन्ट्स को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है जिसके आधार पर सरकार की ओर से जमीन खाली करने की नोटिस काश्तकारों को दी जा चुकी है जिसमें २५० परिवारों से अधिक के लोगों की आजीव-कोपार्जन की एक नयी समस्या सरकार ने खड़ी कर दी है जिससे भारी असंतोष जिले के किसानों में फैल चुका है और परिस्थिति बहुत गम्भीर हो गई है । इस विकट समस्या की ओर मैं माननीय माल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं" ।

इसके सम्बन्ध में माननीय माल मंत्री कब वक्तव्य देना चाहेंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—८ तारीख को दूंगा ।

बादशाहनगर (लखनऊ) के पास लाइन के किनारे बम्बई के एक व्यक्ति की लाश पाये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—माननीय भीखालाल जी द्वारा ध्यान आकृष्ट करने के लिये एक प्रश्न उपस्थित किया गया था उस पर आज माननीय गृह मंत्री वक्तव्य देंगे ।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—२१-२२ फरवरी, १९६१ की रात को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक सैनिक ने, जो बादशाहनगर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर था, आधी रात के बाद असिस्टैन्ट स्टेशन मास्टर, बादशाह नगर को सूचना दी कि एक व्यक्ति स्टेशन के पास ही रेल से कट कर मर गया है । ए० एस० एम० ने तुरन्त ही चौकी निशातगंज को सूचना दी । चारबाग स्टेशन के थाना जी० आर० पी० को भी सूचना पहुंची, जी० आर० पी० के सब-इन्सपेक्टर तुरन्त घटना-स्थल पर पहुंचे । मृतक के शरीर के टुकड़े वहां पर पाये गये जिनको पुलिस वालों ने एकत्रित किये । निरीक्षण पर यह भी पता चला कि मृतक के शरीर का कटना स्टेशन की नयी बिल्डिंग के पास से आरम्भ हुआ था । और बाराबंकी की ओर २३७ कदम तक जारी रहा । मृतक के शरीर के टुकड़े तथा खून इस दूरी में जगह-जगह पर रेल की पटरियों के बीच तथा बाहर पाये गये । २४० रुपये के नोट, जो संभवतः मृतक की सदरी की जेब में थे ट्रेन के पहियों से कट गये थे, वहां पर पाये गये । इसके अलावा एक चाबी का गुछा, और एक कागज का टुकड़ा, जिस पर

[श्री चरणसिंह]

जगन्नाथ चौधरी लिखा था, वहां पर मिले। एस० आई० ने पंचायतनामा भरा और शरीर को पोस्ट मार्टम के लिये सिविल सर्जन के पास भेजा। सिविल सर्जन की राय में मृत्यु का कारण "Deadly injuries to vital parts of body due to railway track accident" था। जांच से पता लगा कि बादशाह नगर के रेलवे स्टेशन के प्वाइन्ट्स मैन को एक बक्स, एक बाल्टी, एक झोला, एक छाता २१-२-६१ को करीब ११ बजे रात में प्लेटफार्म पर मिले थे। प्वाइंट्स-मैन ने यह सामान ए० एस० एम० को दिया। ए० एस० एम० ने चाबी लेकर बक्स खोला और उसमें २०० रुपये के नोट व कीमती कपड़े मिले। एक नोट बुक भी उसमें मिली जिसमें कई आदमियों के पते लिखे थे। यह सब सामान जी० आर० पी० के सुपुर्द कर दिया गया।

अभी तक की जांच से यह भी पता लगा है कि नं० ३४ डाउन जनता एक्सप्रेस के तीसरे दर्जे के डिब्बे में कुछ झगड़ा हुआ था और एक मुसाफिर ने बादशाह नगर स्टेशन पर चिल्ला कर मदद मांगी और कहा कि लोग उसको लूटना चाहते हैं और उसका जीवन खतरे में है। आर० पी० एफ० के सैनिक ने, जिसने इस चिल्लाहट को सुना था, अन्य मुसाफिरों से इसके बारे में पूछा तो उसको पता चला कि यह व्यक्ति पागल था और उसको घर ले जाने में दिक्कत कर रहा था। आर० पी० एफ० के सैनिक ने इसलिये उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मुसाफिरों ने उसे बादशाह नगर स्टेशन पर उतार दिया।

जी० आर० पी० के थानेदार इस केस की जांच कर रहे हैं परन्तु अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि यह घटना किस प्रकार घटी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि अब तक की जांच से यह पता लग पाया है या नहीं कि यह व्यक्ति कहां का था और कहां से सफर करके लखनऊ आया हुआ था ?

श्री चरणसिंह---यह व्यक्ति गालिबन गोरखपुर का था और बंबई से आया था।

श्री भीखालाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या पुलिस को जांच के दौरान में इस बात का पता लगा कि उस व्यक्ति ने जब कि वह चारबाग स्टेशन पर था और उसने ट्रेन बदली तो उसी समय उसने वहां पर तैनात पुलिस को यह सूचना दी कि बदमाश उसका पीछा कर रहे हैं। लगातार उसने तीन डिब्बे तब्दील किये, लेकिन बदमाशों ने बराबर उसका पीछा किया ?

श्री चरणसिंह---अब तक की तहकीकात से इस तरह की कोई सूचना या इन्फार्मेशन पुलिस के पास नहीं है कि उस व्यक्ति ने पुलिस को या रेलवे के अधिकारियों को कोई इस प्रकार की सूचना दी हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जांच से इस बात का पता लगा गया है कि जो पागल व्यक्ति बादशाहनगर स्टेशन पर उतारा गया वही वह व्यक्ति था जो कट कर मर गया ?

श्री चरणसिंह---यह अभी नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति पागल था जो रेल से उतारा गया। सैनिक ने जो दूसरे लोगों से पछा, उन्होंने कहा कि वह पागल था। हो सकता है वह पागल न हो। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जिस व्यक्ति की लाश पायी गयी वह वही व्यक्ति था।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस बात का भी पता लगाया गया है कि जो बक्स मिला, जिसमें २०० रुपये मिले, यह उसी आदमी का था जिसको पागल कहा जाता है ?

श्री चरणसिंह—सम्भवतः वही होगा, लेकिन आज मैं यह बात केटेगोरिकली कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि वही था। जो कुछ पता कागज वगैरह से या जो लोग वहां थे उनसे पूछ कर क्लू मिल सका, पता लगा है और पुलिस सारी बातों की जांच खोज कर रही है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति ट्रेन से कट कर मरा, उसके पास जो सामान मिला है, जो बक्से में सामान मिला और जो कुछ रुपये तथा कागज पत्र मिले, उससे पुलिस को कुछ पता लगा ह कि इनका आपस में कोई सम्बन्ध है ?

श्री चरणसिंह—मैंने अर्ज किया कि इसकी जांच हो रही है। इस तरह से जिरह करना जैसे गवाहों से कचेहरी में होती है, मुनासिब नहीं होगा। मैं खुद इसकी तहकीकात किये होता तो इस बात का जवाब दे सकता था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि ऐसी घटनायें आये दिन एन० ई० आर० में हुआ करती हैं जैसे —चोरी, डकैती, कत्ल आदि, तो उनको बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार की ओर से इसकी जांच के लिये कोई विशेष व्यवस्था की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक है।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति को माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उसे पागल समझ कर उतार दिया गया, क्या जांच से यह पता चला है कि उसी पागल व्यक्ति ने स्टेशन मास्टर के पास जाकर सचना दी कि कुछ बदमाश लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और उनसे मेरी हिफाजत की जाय ?

श्री चरणसिंह—मैंने यह कब कहा कि उसको पागल समझ कर उतार लिया गया। आर० पी० एफ० के सैनिकों ने जब लोगों से पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि यह पागल है और एक व्यक्ति न यह भी कहा कि यह मेरा भाई है और इसे मैं घर ले जा रहा हूं इसलिये यह चिल्ला रहा है। तो हो सकता है कि वह बिलकुल पागल न हो और कुछ बदमाश वाकई उसे लूटना चाहते हों। जो कुछ भी हो उसको वहां उतार दिया गया क्योंकि उसमें सेंस आफ इनसिक्योरिटी पैदा हो गयी थी। अब रहा यह कि किसी अधिकारी से कहा या नहीं, तो मैं कह चुका हूं कि उसने किसी भी पुलिस अधिकारी या रेलवे कर्मचारी से कुछ नहीं कहा।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की जहमत गवारा फरमायेंगे कि जब वह उतारा गया तो उसका भाई भी उतारा गया या नहीं ?

श्री चरणसिंह—इसकी मुझे कोई इत्तला नहीं है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि वह भाई था भी या नहीं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विधेयकों पर विचार के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष––मैं सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी २८ फरवरी, १९६१ की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के सामान्य विवाद, खंडशः विचार तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय––

१––उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१	.. ६ मार्च, १९६१ को १ घंटा,
२––उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१	.. ६ मार्च को उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज विधेयक पारित होने के बाद शेष समय और ७ मार्च को सदन के उठने तक ।
३––उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक १९६०	.. १ दिन (८ मार्च) ।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)––अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१ तथा उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१ तथा उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)––अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३५–५४२ पर)

†उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ (क्रमागत)††

श्री अध्यक्ष––अब उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ पर विचार जारी होगा। कल श्री मोतीलाल अवस्थी बोल रहे थे। वह आरम्भ करें।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)––अध्यक्ष महोदय, मैं कल उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ के संबंध में यह कह रहा था कि यह विधेयक तीन या चार बातों को लेकर ही हमारे सामने लाया गया है। इन तीन चार बातों में मुख्यतः मैंने बताया था कि मंत्रियों और राज्यमंत्रियों का वेतन १,२०० से घटाकर १,००० किया गया है और उनके निवासस्थानों में कुछ परिवर्तन किया गया है। इस के साथ-साथ अध्यक्ष तथा सभापति के वेतन में भी उसी प्रकार कमी कर के और सभा सचिवों का वेतन भी कम कर के कुछ निवास की सुविधायें देने आदि का इसमें समावेश है। वेतनों मे कमी करने के बारे में मैं पहले कुछ कह चुका हूं अतः मैं अब केवल सभा सचिवों के संबध में ही अपने को सीमित रखना चाहता हूं।

इसके पहले मैं थोड़ी बात यह कह दूं कि यह जो संशोधन हमारे सामने है उसमें अध्यक्ष, सभापति, मंत्री, राज्यमंत्री आदि के निवास स्थानों के बारे में जो परिवर्तन करने की बात इसमें है उसमें अब यह कहा गया है कि "उक्त निवास स्थान का रख-रखाव सार्वजनिक व्यय जैसे ऐसे मान अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं।" यह मानों के संबंध में जो परिवर्तन हुआ है वह इस कारण से भी हुआ मालूम होता है कि पहले रख-रखाव के संबंध में किसी प्रकार के मान मुकर्रर करने की बात नहीं थी और यह छोड़ दिया गया था। पहले यह कहकर छोड़ दिया गया था कि रखरखाव का खर्च सार्वजनिक व्यय से लिया जायगा, उसका परिणाम यह होता था कि भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यय अलग-अलग स्थानों पर होते थे और वह सरकार देती थी। प्रतिनिहित विधायन समिति ने बड़ी योग्यता से इस त्रुटि की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। अब मैं यह मान सकता हूं कि सरकार की डेलीगेटेड पावर्स में स्केल्स मुकर्रर हो जायेंगे कि रखरखाव पर किस सीमा तक खर्च किया जाय लेकिन अच्छा होता कि इन मानों की उच्चतम और निम्नतम सीमा मुकर्रर हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। प्रतिनिहित अधिकारों में बहुत अनिश्चित अधिकार देना मैं उचित नहीं समझता। यहां सरकार को जो प्रतिनिहित अधिकार दिय गये हैं वह अनिश्चित-से है। इनसे कोई सीमा मुकर्रर नहीं हो पाती है कि अधिक से अधिक और कम से कम इसमें क्या मान रखा जायेगा।

अब सभा सचिव के सबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस विधेयक में यह एक नई बात है कि सभा सचिव को अवैतनिक रखने की बात कही गई है। जो पहले ६०० रुपया मिलने का प्राविधान था वह हटा दिया गया है। यह अवश्य प्रशंसनीय बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने यह चाहा है कि उन्हें कुछ दैनिक भत्ता मिलता रहे जिसके संबंध में सरकार नियमों द्वारा व्यवस्था करे। अब फिर प्रतिनिहित अधिकार की बात आती है। जब इस प्रकार का अधिकार दिया जाय तो कुछ न कुछ इशारा अवश्य होना चाहिये उसकी सीमा के संबंध में।

---

†१७ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

††२७ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

हो सकता है वह ६०० रुपया ही हो। हो सकता है इससे भी अधिक हो। प्रतिनिहित अधिकारों को देते हुए इस सदन को आधकार है कि अपने मन्तव्य को प्रकट कर दे। इससे यह मंशा बिलकुल प्रकट नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त एक परिवर्तन इसमें यह भी है कि जिस रूप में अध्यादेश था, ठीक उसी रूप में यह नहीं है, कुछ परिवर्तन किया गया है। ज्ञापन में दे दिया गया है, जैसा कि नियम है कि अध्यादेश से अगर परिवर्तित रूप हो विधेयक का तो ज्ञापन दिया जाय, तो ...

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--जो अध्यादेश के अतिरिक्त बढ़ी हुई उपधारा है, उसको मैं आपके समक्ष पढ़ देना चाहता हूं। इसमें लिखा है :--

> "प्रत्येक सभा सचिव अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक, जिसमें पूर्वोक्त निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय, एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (Compensatory Allowance) पाने का अधिकारी होगा।"

इसकी शब्दावली की शिकायत तो मैं नहीं करूंगा हालांकि वह ऐसे अटपटे ढंग की है कि जिसके कई अर्थ निकल सकते हैं। फिर भी मैं उसके भाव पर जाता हूं, सरकार ने यह रखा है कि सभा सचिव को एक फर्निस्ड निवास स्थान मिल जाय और उसको प्रतिनिहित अधिकारों में छोड़ रखा है। किस प्रकार का फर्निस्ड स्थान मिले उसकी कोई सीमा मुकर्रर नहीं है। इसमें भी सीमा मुकर्रर हो जानी चाहिये। लेकिन सभा सचिव के लिये जो किया गया है इसमें और ही विशेषता है। वह यह है कि "..... कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा ....." वह निवास स्थान लखनऊ में ही होगा। मैं जानना चाहूंगा कि जब मंत्री, राज्य मंत्री, सभापति, अध्यक्ष और उपमंत्री के लिये यह कहा गया कि लखनऊ के निवास स्थान के साथ-साथ प्रदेश के किसी अन्य स्थान में भी जहां कहीं वह हों, सत्र के १ हफ्ता पहले या पीछे सत्र बुलाया जाय, वहां भी व्यवस्था है। लेकिन केवल सभा सचिव के लिये लखनऊ के अलावा किसी दूसरे निवास स्थान, सज्जित निवास स्थान, की व्यवस्था इस उपधारा में नहीं है। परिणाम यह होगा कि जो उपधारा होगी वह केवल यह कह कर चुप रह जायगी कि लखनऊ के अलावा दूसरी जगह निवास स्थान करने का अगर मौका मिले, जैसा कि अन्य लोगों को मिलने का अवसर होगा, तो उन्हें केवल कमपेंसेटरी एलाउन्स पाने का ही अधिकार होगा। मैं मिसाल दूं जब कभी अध्यक्ष, सभापति, मंत्री, उपमंत्री या राज्य मंत्री को नैनीताल में कार्य के लिये जाने की आवश्यकता पड़ जाय तो ऐसी स्थिति में उनको सज्जित निवास स्थान मिलेगा और सभा सचिव केवल १०० रुपये पाने का अधिकारी होगा जैसा कि लखनऊ में पाते हैं यदि स्थान न मिले। तो यह एक कमी है। केवल लखनऊ में सज्जित निवास स्थान की बात कह करके दूसरी जगह के लिये कुछ नहीं कहा गया। सभा सचिव के लिये यह दिक्कत नहीं सोची गई।

एक चीज की ओर माननीय शाह जी ने संकेत किया कि इनको मासिक वेतन जो सदस्यता के नाते मिलता है वह इनसे छट जायगा या मिलेगा ? उसके सुधार के लिये माननीय जगदीश प्रसाद जी की तरफ से सरकार ने कुछ दुरुस्ती करने की कोशिश की। मैं चाहूंगा सभा सचिव के बारे में सरकार ने जो तब्दीलियां कीं, पहले अध्यादेश में कोई बात सोची। निवास स्थान की बात सोची नहीं थी, विधेयक में निवास की बात सोची और सोचते-सोचते उनके सदस्यता के वेतन की बात भूल गये। लखनऊ के निवास स्थान की बात सोची तो अन्य जगह के लिये नहीं सोचा। तो ३ दफा परिवर्तन करने के बाद भी सभा सचिव के बारे में कई दिक्कतें हमारे सामने हैं। इसलिये जो विधेयक है इसमें बहुत सी खामियां और कमियां हैं जिन के बारे में विचार करने के लिये प्रवर समिति का प्रस्ताव समुचित है। इस विधेयक में प्रतिनिहित अधिकार अधिक दे दिये गये हैं चार-चार अधिकार हैं जो खंड २, ३, ४ में बराबर दिये हुये हैं और ज्ञापन में कहा गया है कि "विधायन के प्रतिनिधान की ये समस्त प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, यह सामान्य प्रकार की नहीं एक विशेष प्रकार की हैं। इस प्रतिनिधान की जितनी प्रस्थापनायें हैं इनको इस विधेयक में दे करके हम कुछ कमी सी देखते हैं इसका भी सुधार होना आवश्यक है। इस वक्त भी आवश्यकता है और फिर इसके बाद पूर्ण रूप से एक निश्चित राय हम सकेंगे और हमारी कमेटी जांच कर सकेगी।

कमेटी ऐसी मांग करती है कि जब हमार विधान सभा से संबंध है और सरकार कभी-कभी नियम बनाने का जो अधिकार ले लेती है उस नियम के बनाते समय ऐक्ट का मूल विधेयक सामने होता है। उसमें अगर वह कोई कमी छोड़ देती है तो उसकी वजह से नियम जो बनता है उसमें भी कमी रहती है और परिणाम यह होता है कि सरकार को बार बार सचेत करना पड़ता है और उन गलतियों को दूर करने के लिये यहां आना पड़ता है।

प्रतिनिहित विधायन समिति सरकार का ध्यान बार-बार अपना प्रतिवेतन उपस्थित करते समय इन गलतियों की ओर आर्कषित करती है और सभी सदस्यों ने बड़े परिश्रम के साथ उस ओर सरकार का ध्यान आर्कषित किया है लेकिन सरकार की ओर से इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को अवश्य सुपुर्द किया जाय।

मैंने इस विधेयक के संबंध में कल जो मौलिक बातें कही थीं उन पर जरा ध्यान दिया जाय और वेतनों का रुपया इस तरह से घटाया जाय जिससे हम भी अनुकरण कर सकें। निवास स्थान इस तरह का दिया जाय जो हमारे निवास स्थान के समकक्ष हो। किसी अध्यक्ष, मंत्री या उपमंत्री को ऐसा सुन्दर स्थान अनिवार्य रूप से न दिया जाय जिससे यह प्रतीत हो कि उच्च और निम्न दो श्रेणी के लोग इस विधान मंडल में हैं। उनके वेतन में फर्क और उनके निवास स्थान में फर्क इस तरह से श्रेणी बनाना उचित नहीं प्रतीत होता।

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, यह जो राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ हमारे सामने प्रस्तुत है मेरी राय में इस विधेयक के प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं थी। राजनीतिक जरूरत हो सकती है जिसके संबंध में मंत्री तथा अन्य लोग ज्यादा समझते होंगे। इसकी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी और न इसके बिना कोई संकट ही आने वाला था। कल मेरे मित्र शाह जी ने निवेदन किया था कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वेतन १०,००० पौंड है, लेकिन वे कभी १०,००० पौंड नहीं लेते। हमारे देश में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की तनख्वाह ३,००० रुपया है, लेकिन सब लोग २,२०० रुपया लेते हैं। इसके पहले हमारे यहां भी जो मंत्री लोग थ उन्होंने १०० रुपये की कमीअपने वेतन में की थी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर राय]

लेकिन कभी उसके लिये विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे प्रदेश में किसी समय चन्द्रभाल जी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे तो वे तनख्वाह नहीं लिया करते थे। मेरी समझ में तनख्वाह न लेने के लिये किसी संशोधन विधेयक की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी ह।

एक बात जरूर है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को जो थोड़ी बहुत सुविधायें देने की बात थी, तनख्वाह न लेने पर उसके लिये किसी प्रकार के माइनर संशोधन की जरूरत होती या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन सारे के सारे विधेयक की कानूनी आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आई। आर्डिनेंस की बात तो इस मामले में और भी सोचने के बाहर है। इस तरह के तनख्वाह के मामलों में, लेन देन के मामलो में, टैक्सेशन के मामलों में आर्डिनेंस ले आना गवर्नमेंट के लिये उचित नहीं है।

(इस समय १ बजकर ८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री मलखानसिंह पीठासीन हुये।)

अधिष्ठाता महोदय, जब इस सदन में हम होते हैं तो हमारे सदन के सम्मान, प्रतिष्ठा तथा अधिकारों की रक्षा अध्यक्ष द्वारा हुआ करती है। अध्यक्ष के अधिकार तथा उसकी सीमायें जो हैं उनका बड़ा संबंध सदन के अधिकारों तथा उसकी सीमाओं से है। मैं नहीं जानता कि दुनिया में कहीं भी ऐसा उदाहरण मिलेगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तनख्वाह के संबंध में आर्डिनेंस पेश किया जाय कि इसको कम कर दिया जाय या ज्यादा कर दिया जाय।

नवलकिशोर जी कुछ लिख रहे हैं। वे मुझे अपने भाषण में बतलायेंगे कि दुनिया की किसी भी पार्लियामेंटरी पद्धति अपनाने वाली सरकार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तनख्वाह के लिये आर्डिनेंस पास किया हो तो मैं उनका बड़ा अनुग्रहीत होऊंगा कि उन्होंने मेरी जानकारी बढ़ाई। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—हम बतलायेंगे कि इसकी आवश्यकता है।

श्री गौरीशंकर राय—भाई हरी सिंह बतलायेंगे तो अच्छी बात है। कोई नई बात होती तो मैं उसे अब अपनी जानकारी में जोड़ लूंगा। मोटे तौर पर मैं यही समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी और अगर यह बिल सामने लाया भी गया तो मेरी समझ में इसको कुछ और तरमीमों के साथ लाना चाहिये था।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुये।)

मैं इस बिल के एक अंश को पढ़ना चाहता हूं। इसमें यह है धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय "अध्यक्ष और सभापति में प्रत्येक को, लखनऊ में उनकी पूरी पदावधि पर्यन्त तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सत्र हो, सत्र की अवधि के लिये और सत्र से पहले एक सप्ताह तथा सत्र के बाद एक सप्ताह से अनधिक समय के लिये, बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान पाने का अधिकार होगा। उक्त निवास स्थान का रख रखाव सार्वजनिक व्यय से ऐसे मान अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं।" इसके बाद नीचे इसमें यह लिखा हुआ है "प्रत्येक मंत्री तथा राज्य मंत्री को, लखनऊ में उनकी पूरी पदावधि पर्यन्त तथा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य ऐसे स्थान पर भी और ऐसी अवधि के लिये, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति करे, बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान पाने का भी अधिकार होगा। उक्त निवास स्थान का रख रखाव सार्वजनिक व्यय से मान अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायें।"

मान्यवर, हम लोग ऐसा समझते हैं कि एक मंत्री को जितनी सुविधा मिलती है उतनी सुविधा हमारे अध्यक्ष को मिलती है लेकिन मैंने इसमें पढ़ा कि घर के इंतजाम में मंत्रियों तथा

अध्यक्ष के लिये अलग अलग व्यवस्था कर दी गयी है। इस संशोधन विधेयक के मान लेने पर एक विचित्र बात यह हो जायगी कि मंत्री को अपने निवास स्थान के रख रखाव तथा सारी चीजों की व्यवस्था के संबंध में खुद निश्चय करना है कि उनकी क्या आवश्यकता है। लेकिन अध्यक्ष के संबंध में यह अधिकार अध्यक्ष को नहीं है, उस संबंध में भी निश्चय करने का अधिकार मंत्री ही को है और उसके लिये भी नियम सरकार ही बनायेगी। इस आदरणीय सदन की जानकारी के लिये मैं बतला दूं कि अध्यक्ष जो हैं वे विधान सभा के सदस्यों और दूसरे लोगों के भत्ते के संबंध में तथा अन्य चीजों के संबंध में व्यवस्था करते हैं बहुत जगहों पर। अध्यक्ष जो हैं वे विधान सभा के माननीय सदस्यों के अधिकारों के कस्टोडियन होते हैं। पंजाब लेजिस्लेटिव असेम्बली (एलाउंसेज आफ मेम्बर्स) ऐक्ट, १९४२ में जो रूल्स बने हुए हैं उनमें यह दिया हुआ है "The Speaker may makse rules for carrying out the purposes of this Act." और इसी प्रकार पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल (एलाउन्सेज आफ मेम्बर्स) ऐक्ट, १९५२ में जो रूल्स बने हुये हैं उनमें भी यह दिया हुआ है—

"The Chairman may make rules for carrying out the purposse of this Act."

एक सदस्य—हिन्दी में बोलिये।

श्री गौरीशंकर राय—असल में यह किताब अंग्रेजी में ही है।

श्री अधिष्ठाता—आप संक्षेप में हिन्दी बतला दीजिये।

श्री गौरीशंकर राय—मैं समझता हूं कि जैसी अंग्रेजी इसमें है उसे माननीय सदस्य को समझने में कठिनायी नहीं होगी। यह विधान सभा के सदस्यों, चेयरमैन, मंत्रियों आदि के भत्ते के सिलसिले में पंजाब विधान सभा तथा पंजाब विधान परिषद् में जो रूल्स बने उनके संबंध में यह किताब है।

इसके ५ वें अनुच्छेद में यही लिखा है—

"The Chairman may make rules for carryiug out the purpose of this Act."

यानी इस ऐक्ट की मंशा के सम्बन्ध में रूल्स पंजाब विधान परिषद् के चेयरमैन बनायेंगे। पहले जो मैंने पढ़ा था उसका मतलब था कि विधान सभा के सम्बन्ध में वहां के अध्यक्ष रूल्स बनायेंगे। इस सब का अर्थ यह हुआ कि और जगहों पर जो अध्यक्ष और सभापति होते हैं वे विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के एलाउन्सेज आदि के सिलसिले में रूल्स बनाते हैं, लेकिन हमारे यहां नियम यह है कि स्वयं अध्यक्ष के लिये ही रूल्स बनाने का अधिकार सरकार को होगा।

मैंने यह भी सुना है कि अगर हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कहीं दौरे पर जाना पड़े तो उसकी भी अनुमति उन्हें सरकार से लेनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि हमारे सदन के लिये यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि हमारा अध्यक्ष इन बातों में सरकार द्वारा संचालित हो और सरकार द्वारा व्यवस्थापित हो। अध्यक्ष का पद ऐसा है कि वह बराबर इस स्थिति में रह कि विधान सभा का प्रत्येक सदस्य यह महसूस करे कि जो हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाला अध्यक्ष या चेयरमैन है वह सरकारी, प्रभाव से बाहर है। यह कोई बड़े विवाद की बात नहीं है जिसमें सरकार के हक के खिलाफ कोई बात पड़ने वाली हो। अगर आप अध्यक्ष को अधिकार देते हैं और उसने उसका बड़ा गलत इस्तेमाल किया तो जब आप २०–२५ और पता नहीं आगे चल कर ३०–४० हो जायं इतन मंत्रियों और उपमंत्रियों के ऊपर इस प्रकार के डिस्क्रिशन को छोड़े हुये हैं कि अगर वे गलत भी इस्तेमाल करें तो उसको आप बर्दाश्त करने को तैयार हैं तो मुझे यह बात समझ में नहीं आयी कि आप अध्यक्ष और

[श्री गौरी शंकर राय]

चेयरमैन के सम्बन्ध में ऐसी सीमायें क्यों नहीं छोड़ते हैं। इसमें कोई कानूनी पेचीदगी की बात नहीं है बल्कि पार्लियामेंटरी पद्धति की मर्यादा का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि इस मर्यादा के प्रश्न में पंजाब और दूसरे स्थानों में अध्यक्ष को जैसे अधिकार हैं वैसे ही यहां भी होने चाहिये। अगर यह करने का इरादा सरकार का नहीं है तो कम से कम अध्यक्ष के सबंध में, उसके घर के संबंध में, उसकी यात्राओं के सम्बन्ध में सरकार का मुखापेक्षी, अध्यक्ष को न बनना पड़े। उपाध्यक्ष के बारे में, तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष भी कर सकता है। इसी तरह डिप्टी चेयरमैन के संबंध में चेयरमैन कर सकता है। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि अध्यक्ष खुद मुख्य मंत्री से कहें कि अगर आपकी आज्ञा हो हुजूर, तो मैं एक कान्फ्रेन्स में चला जाता। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इस बात को सोचेगी और पार्लियामेंटरी पद्धति की मर्यादा की रक्षा के लिये इसे स्वीकार करेगी।

जैसा मैंने पहले ही कहा, इसकी आवश्यकता नहीं थी, इससे प्रचार होगा और प्रचार हुआ भी, फिर भी अगर इससे कुछ लाभ हो सके, सार्वजनिक जीवन में लोगों में आत्म-विश्वास आये और लोग समझें कि सरकार एकोनामी करने जा रही हैं और एक बात मैं और कह दूं कि मैं उन लोगों की तरह से अनुदार नहीं हूं बल्कि यह समझता हूं कि अगर किसी ने तनख्वाह में छोटी सी भी कटौती की है तो यह बड़ी अच्छी बात है और सरकार का यह दृष्टि-कोण प्रत्येक क्षेत्र में रहना चाहिये और सिर्फ इसलिये नहीं होना चाहिये कि केवल प्रचार के लिये लोग समझें कि हमने यह काम किया है।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति के सामने भेज करके इसमें जो और परिवर्तन आवश्यक हैं जिनको मैंने निवेदन किया है उनको कर के फिर सदन के सामने यह आना चाहिये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, यह जो मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिवों के वेतन के सम्बन्ध में विधेयक पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही जो यह संशोधन पेश किया गया है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय उसका मैं विरोध करता हूं। मैं नहीं समझ पाया कि इसे प्रवर समिति में भेजने का क्या तात्पर्य होगा। यह एक बहुत छोटा-सा विधेयक है और एक बहुत छोटी-सी बात है। विरोधी पक्ष की तरफ से एक ही आपत्ति की गयी और वह यह कि इस विधेयक के आने की आवश्यकता नहीं थी। उनका कहना यह है कि इस विधेयक के आने की एक ही मंशा थी कि गवर्नमेंट या यों कहिये कि कांग्रेस दल जिसकी गवर्नमेंट है, वह अपना प्रचार करना चाहता था कि उसके मंत्री बड़े त्यागी हैं और कम तनख्वाह पर काम करना चाहते हैं। जैसा कि श्रीमन्, मैंने शुरू में कहा था, जब गवर्नर महोदय के एड्रेस पर डिबेट हुई थी और मैंने इससे इत्तफाक किया था कि अगर आर्डीनेंस जारी न होता तो कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं थी। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि अगर विधेयक आ गया तो आपत्ति की कौन सी बात हुई। जहां तक प्रचार की बात है तो मैं दलील के तौर पर इसे बुरा नहीं मानता हूं कि कोई प्रचार हो। आखिर को पोलिटिकल पार्टियां प्रचार करती ही हैं। अगर विधेयक न भी आता तो जिस दिन मुख्य मंत्री जी तथा अन्य मंत्रियों ने तय किया कि हमें तनख्वाह कम लेनी है तो वह बात अखबारों में छपी और छपने की बात भी थी और उससे प्रचार हुआ। आप भले ही चाहें कि प्रचार न हो लेकिन वह बचने वाला नहीं है।

श्रीमन्, विरोधी पक्ष को तो खुशी होनी चाहिये कि इसके द्वारा उन्हें अपनी पार्टियों के प्रचार करने का भी मौका मिला है। कुछ नेता विरोधी दल में भी ऐसे हैं जो कम तनख्वाह लेते हैं। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यदि है तो नागर जी ने शिकायत की थी कि उनका अभिनन्दन नहीं किया तो मैं उनकी शिकायत को दूर किये देता हूं और तहेदिल से

मैं उनका अभिनन्दन करता हूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई पक्ष हो। जिस समय उपाध्यक्ष महोदय ने तय किया था, समाजवादी पार्टी के सदस्य के नाते, कि वह केवल ५०० रुपये ही तनख्वाह लेंगे तो मैं उन व्यक्तियों में से था जिन्होंने उनको बधाई दी थी। मैं इस बात को समझ नहीं पाया जो यह बड़ी भारी दलील दी गई कि इस विधेयक को लाकर बड़ा भारी प्रचार किया गया। लेकिन यह सही बात है कि तनख्वाहों में १०० रुपये की कमी हुई और अगर इनकम टैक्स भी जोड़ लें तो २०० रुपये की कमी हुई है।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मुझे भ्रम नहीं है कि इससे बड़ी भारी बचत होने वाली है और मुझे याद पड़ता है कि मुख्य मंत्री जी ने भी स्पष्ट कह दिया था कि उन्हें भी गलतफहमी नहीं है और वह भी जानते हैं कि १०० रुपये या २०० रुपये तनख्वाहों में कमी करने से बड़ी बचत होने वाली नहीं है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा और मैं उससे सहमत हूं कि यह एक सिम्बोलिक चीज है। एक फिजा प्रदेश में पैदा करने के लिये उन्होंने ऐसा किया है। यह सही है कि फिजा पैदा हुई लेकिन हम अभी उसे आगे नहीं बढ़ा पाये हैं।

जिस समय यह विधेयक प्रस्तुत हुआ तो उपमंत्री जी ने कहा था कि हमने ५० रुपये से कम वालों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हालांकि इस बात की इस मौके पर कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जन-प्रतिनिधियों की तुलना उनसे करना ठीक नहीं है। जब मंत्री तथा उप-मंत्रियों की तनख्वाह सम्बन्धी बिल आते हैं तो यह संसदीय परम्परा है कि उनके ऊपर ज्यादा विवाद नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इस तरह के विधेयक आम तौर से आते नहीं हैं। जैसे कि आपने इंगलैंड की मिसाल दी। मुझे याद पड़ता है कि १०० साल के अन्दर, या कम से कम ५० साल के अन्दर उन्होंने इस तरह का वहां शायद ही कोई विधेयक पेश किया हो। उन्होंने एक नियम बना रखा है और जिसे कम तनख्वाह लेना होती है वह कम लेता है। लेकिन यदि हमारे यहां यह विधेयक न आता तो एक दिक्कत पड़ सकती थी कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों के बारे में जो तय किया है कि उनको वेतन नहीं देंगे। तो उसके लिये बिल लाना ही था। यह सही है कि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है इस माने में और ऐसा मालूम होता है कि उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी केवल भत्ता मिलेगा। लेकिन जो इसमें अमेंडमेंट्स आये हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं, उनको २०० रुपये माहवार तनख्वाह दी जायगी। इसके अलावा जो भत्ता इत्यादि होगा, जितने समय वह लखनऊ में रहेंगे, वह उनको दिया जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता थी क्योंकि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की एक कैटेगरी भिन्न बनाई गई है।

गौरीशंकर राय जी ने एक बड़ी भावुकता की बात कही और उन्होंने फरमाया कि इसमें अध्यक्ष महोदय की मान मर्यादा की बात है। उन्होंने मुझसे खास तौर से यह बात पूछी कि मैं उन्हें कोई ऐसा उदाहरण दूं कि कभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तनख्वाहों के बारे में आर्डिनेंस आया हो। मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमारे सामने दो ही उदाहरण हो सकते हैं। या तो इंडियन पार्लियामेंट का हो सकता है या ब्रिटिश पार्लियामेंट का हो सकता है। यह सही बात है कि इस तरह का कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है लेकिन साथ ही साथ इस तरह का भी उदाहरण नहीं है कि मंत्रियों, उप मंत्रियों के इस तरह के अधिनियम बहुत जल्दी आये हों। तो प्रश्न यह है कि यह मान मर्यादा की बात नहीं है। सरकार की तरफ से एक नीति बनायी गयी है कि जो वेतन और सुविधाएं मंत्रियों की होंगी, वही वेतन और सुविधाएं अध्यक्ष के लिये भी होंगी। तो यह स्वाभाविक है कि जब एक आर्डिनेंस ईश्यु किया गया, उसको कानून का रूप देने के लिये जब विधेयक आया, तो उसके अन्दर जब यह बात है कि मिनिस्टरों की तनख्वाह बजाय १२ सौ के १ हजार हो, तो स्वाभाविक था कि अध्यक्ष महोदय का भी उसके अन्दर चर्चा होना चाहिये था। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मान मर्यादा की बात है। मैं उनसे इस मामले में कतई पीछे नहीं हूं कि अध्यक्ष का स्थान, जो कि विधान सभा के स्पीकर के नाते होना चाहिये वह उनका स्थान हो और उनकी मान मर्यादा जितनी

[श्री नवलकिशोर]

होनी चाहिये उसको हम भी मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी सही है कि डिसेंसी की वजह से उन पर जो खर्चा होता है, या जो खर्चा, गवर्नर महोदय का होता है, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि यदि आप और हम इस बात को महसूस करें कि राज्यपाल के यहां या अध्यक्ष महोदय के सेक्रेटरिएट के अन्दर बेजा खर्चा होता है तो मुझे इस बात के मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमें अधिकार है, हम उस पर टीका-टिप्पणी कर सकते हैं। यह हमारा कांस्टीट्यूशनल और पार्लियामेंटरी अधिकार है।

यह जो कनवेंशंस की बात कही उस में कोई आपत्ति की बात नहीं थी। एक बात उन्होंने यह कही कि अध्यक्ष महोदय जब दौरे पर जाते हैं तो सरकार से पूछते हैं। जहांतक मैंने पढ़ा इस विधेयक के अन्दर इस तरह की कोई चीज नहीं है। यदि कोई जानकारी की बात है, बहरहाल मैं इस बात से सहमत हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक लम्पसम (धनराशि) निश्चित हो जाय, जहां तमाम खर्चा सेक्रेटेरिएट का होता है वहां दौरे के वास्ते भी एक धनराशि निश्चित कर दी जाय। यह सही है कि यह अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि जब कभी वह जांय तो पूछ कर जांय। लेकिन साथ ही साथ जब कनवेंशंस की बात करते हैं तो मैं जानना चाहूंगा गौरीशंकर राय जी से कि अध्यक्ष महोदय के दौरे कितने होते हैं क्योंकि यह चीजें कुछ ऐसी डेलिकेसी की हैं जिनके डिटेल में जाना ज्यादा मुनासिब नहीं है। पार्लियामेंट में क्या पद्धति है, स्पीकर का पार्टी से क्या सम्बन्ध है, यह तमाम बातें होती हैं। जहांतक मेरी छोटी सी जानकारी है, पार्लियामेंट के स्पीकर का दौरा करीब करीब न के बराबर होता है। मेरी मंशा यह नहीं है कि स्पीकर महोदय का दौरा न हो। जो यहां दौरा करने की परिपाटी है, वह ठीक है। वह अपना दौरा करें, लेकिन उसके लिये यदि कोई ऐसी बात है कि पूछ कर जाना पड़ता है तब तो वह मुनासिब नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--प्रान्त में पूछ कर नहीं जाना पड़ता है।

श्री नवलकिशोर---उसका जवाब उपमंत्री जी देंगे। एक बात और मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता था। वह यह कि जिस समय यह विधेयक पेश किया गया तो माननीय उपमंत्री जी ने हमको बताया कि इन तनख्वाहों के कम होने से और छोटे बंगले देने से करीब करीब १४ या १३ लाख की नान रेकरिंग बचत होगी। चूंकि उन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया, मैं नहीं जानता कि ये आंकड़े उन्होंने कहां से प्राप्त किये। बहरहाल, मैं अब भी यह महसूस करता हूं कि कम से कम छोटे बंगलों में जाने से या भत्तों में कमी करने से इतनी बचत होना सम्भव नहीं है। हां, एक बात हो सकती है कि बिना खर्च किये रुपये को बचत मान लिया हो। उन्होंने उसके अन्दर डिपार्टमेंट्स के दफ्तर भेज दिये हों और स्वभाविक है कि उन दफ्तरों के लिये इमारतें बनाने में जो दस बारह लाख रुपये खर्च होते वह अब खर्च नहीं किये जायेंगे। यह शायद उनका मंशा है और यदि ऐसा भी है तो भी यह सरकार सही माने में हमारी सबकी प्रशंसा का पात्र है। प्रशंसा की बात इस मानी में है कि कम से कम इतनी धनराशि जो कि टेक्निकली चाहे सेविंग नहीं भी है मगर फिर भी उसको उन्होंने एक अनप्रोडक्टिव चीज से हटाकर इस बात का मौका हासिल किया कि उसे एक प्रोडक्टिव चैनेल के अन्दर ड्राइवर्ट कर सकते हैं। अगर इतना भी हुआ तो वह भी एक प्रशंसा की बात है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि उन्होंने जो यह कदम उठाया है विरोधी पक्ष चाहे कुछ भी कहे दिल से वह भी इस बात की बड़ी ताईद करते हैं और इस बात का खैरमकदम करते हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल जो मिनिस्टर्स हैं या स्टेट मिनिस्टर्स, हैं, आप एक स्टैंडर्ड बना दीजिए उनका कि इतने किराये तक की बिल्डिंग हम उनको अफोर्ड करेंगे क्योंकि उसमें एक चीज है कि एक स्टैंडर्ड बन जान से एक आसानी यह होती है कि एक

तरह का स्टैंडर्ड आप बनायेंगे तो उसके अन्दर किसी को कहने का मौका नहीं होगा कि इनको आपने इस स्टैंडर्ड का दिया, उनको उस स्टैंडर्ड का दिया। एक चीज फिक्स हो जानी चाहिये। यही शायद मेरे दोस्त अवस्थी जी का भी मंशा था। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर अन्धाधुन्ध खर्चा होता है और कुछ जगहों पर कम होता है। जहां तक मेरी जानकारी है माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरह है कि मेंटिनेंस का जो खर्चा है उसको भी स्टैंडर्डाइज किया जाय। मैं समझता हूं कि वह भी एक अच्छी चीज है। मैं समझता हूं कि और कोई बड़ी भारी बात कही नहीं गई। एक बात यह कही गई कि बड़ा आउटवर्ड शो होता है, उसमें कोई कमी नहीं की गई। जहां तक मेरी जानकारी है माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात के आदेश कर दिये हैं कि मिनिस्टर साहब जब दौरे पर जायेंगे तो या तो कूपे में जायेंगे या अपनी सीट रिजर्व करा कर जायेंगे। इस तरह से जो उनके लिये पहले पूरा डिब्बा रिजर्व होता था उसका खर्चा कम हो जायगा और जो सन्तरी चलते थे साथ में रेलवे वाले, उनमें भी कमी हुई है। तो यह बात नहीं है कि शोमें कमी नहीं की गई है। उसमें भी कमी की गई है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो करनी पड़ती हैं।

अभी जब किफायत की बात कही गई तो एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इसलिये कहना चाहता हूं कि जब हम किफायत की बात करते हैं और हमने जब एक बात की शुरुआत कर दी कि मंत्रियों की और सबकी तनख्वाहें कम कर दीं तो मैं यह आशा करता हूं कि जो हमारे उच्च कर्मचारी हैं उनकी भी तनख्वाहों में कमी होनी चाहिये। एक दिक्कत उसमें कानूनी है कि जो आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्स हैं उनकी तनख्वाह स्टेट गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती है। उसके लिये मैं अब से नहीं कई सालों से कह रहा हूं कि उनके अन्दर अगर देशभक्ति की बात हो और त्याग की भावना हो तो उनको अपनी तरफ से वालेंटरी कट करना चाहिये। लेकिन अगर वह नहीं होता है तो एक बात तो हो सकती है कि पिछले सालों के अन्दर जो सेक्रेटरीज के एलावेंसेज थे वह २५० के बजाय ३०० किये गये थे तो वह चीज हमारे हाथ में हैं। मैं यह जरूर चाहता हूं कि ३०० रुपये का एलावेंस जिनको मिलता हो उसके अन्दर १०० रुपये की कमी होनी चाहिये। जिनको १५० रुपये मिलते हैं उनके ५० रुपये कम होने चाहिये। इस प्रकार से जो कदम उठाया है उसको आगे बढ़ना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार ने जो कदम उठाया है जिससे मनोवैज्ञानिक वातावरण इस प्रदेश के अन्दर पैदा हुआ है और जो उस तरफ एक कदम है कि जिस तरफ जाकर हम काफी बचत कर सकते हैं, उसका स्वागत करता हूं। जो प्रवर समिति में जाने का संशोधन आया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय, मैं प्रस्तुत विधेयक की स्प्रिट का हृदय से समर्थन करता हूं। मैं यह समझता हूं कि कोई भी सरकार देश में या किसी प्रदेश में स्थापित हो, चाहे वह किसी भी दल की हो, या समाज के किसी वर्ग की हो प्रत्येक सरकार किसी न किसी वर्ग की ही होती है, अगर वह अच्छा कदम उठाती है, एक कदम भी अच्छा उठाती है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिये। यह तनख्वाहों में कमी की बात या अपने आराम ऐशायस के साधनों में कमी की बात हमारी आजादी की लड़ाई जब चल रही थी जब से इसकी कहानी शुरू हुई थी। सब को यह बात मालूम होगी कि १९३१ में जब करांची में राष्ट्रीय कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, जिसके सदर स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसमें एक मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ था। उस सिलसिले में यह बात भी तय हुई थी कि हमारे देश में जब कांग्रेस का शासन होगा तो कोई भी अधिकारी चाहे वह कितने उच्च पद पर हो, ५०० रुपये से ऊपर तनख्वाह नहीं लेगा। उस राष्ट्रीय आन्दोलन के जमाने में मुझ याद है कि हमारा यह आदर्श और यह सादगी का नारा एक युद्धघोष का रूप धारण कर चुका था। उसके बाद सन् १९३८ में जब पहली बार

[श्री झारखंडेराय]

हमारे देश में ११ सूबों में कांग्रेस अथवा कांग्रेस समर्थित मंत्रिमंडल बने तो उस समय के सभी मुख्य मंत्री अथवा मंत्रिगण ने हर सूबे में ५०० रुपया लेना ही स्वीकार किया था। उसके बाद जहां तक मुझे याद है केरल में जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थानु पिल्ले के नेतृत्व में एक अल्पमत की सरकार विचित्र प्रकार से बनी थी उस समय भी वहां के मंत्रियों ने अपनी तनख्वाह ५०० रुपया उसी घोषणा के अनुसार लेना स्वीकार किया था।

जब १९५७ में आम चुनाव के बाद विशुद्ध कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनी तब उन्होंने अपनी तनख्वाह घटाकर ३५० की थी। उसका सब को स्मरण होगा हमारे देश पर विद्युत-मय असर पड़ा था। कुछ कम्युनिस्ट सरकार ने होने के नाते हो सकता है कि उन्होंने ऐसा नमूना पेश किया हो जिसका जवाब कांग्रेस के नेता या कांग्रेस मंत्रि-मंडल दे न पाया था। आपको स्मरण होगा कि उसी के बाद मेरठ में जब अखिल भारतीय कांग्रेस की मीटिंग हुई थी और सन् १९५२-५७ के बीच के काल के एक उपमंत्री बनारसी दास जी ने जो १९५८ के चुनाव में हार गये थे, एक प्रस्ताव पेश किया था कि जब केरल की सरकार के कम्युनिस्ट मंत्री कम तनख्वाह लेकर रह सकते हैं तो क्यों नहीं कांग्रेस के मंत्री केन्द्र में या प्रदेश में कम तनख्वाह लेकर रह सकते हैं? इस पर बड़ी बहस हुई थी। पं० जवाहरलाल जी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। वह हस्तक्षेप यहां तक पहुंचा था कि उनको निजी खर्चे का अपना हिसाब-किताब देना पड़ा था। तो उसका एक असर पड़ा था और उसका असर यहाँ तक पड़ा था कि अनेक प्रदेशों के राज्यपाल महोदयों ने, अपने प्रदेशों में मुख्य मंत्री और मंत्रियों ने अपने वेतन में अपने आप १०० रुपये की कटौती की थी। हमारे प्रदेश में भी उतनी कटौती हुई थी। उसके अनुसरण में वर्तमान सरकार के मुख्य मंत्री महोदय ने जो कदम उठाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। क्योंकि अगर बचत एक रुपये की भी हो, एक नये पैसे की भी हो तो उसका स्वागत ही हो सकता है और होना चाहिये। इससे कितनी रकम बचेगी, यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ी बहुत तो रकम बचेगी ही, यह सब जानते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलाजिकल एटमास्फियर जो पैदा होता है ऐसी बातों से उसकी बहुत अपेक्षा थी और यह बात बहुत पहले होनी चाहिये थी। यह बहुत लेट हो रही है। लेकिन जब से अच्छी बात शुरू हो, तभी से उसका स्वागत होना चाहिये। मनोवैज्ञानिक असर की ही हम अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार इसके बाद दबाव दे कर अपने दूसरे विभागों में अगर खर्च कम करेगी तो उस कार्य में उसका साहस बढ़ा रहेगा, अधिक साहस से वह उसे कर सकती है।

फिर बड़ी तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी वह दबाव दे, संवैधानिक मान्यताओं के अंदर, और इस मनोवैज्ञानिक असर के बाद ही वह ऐसा कर सकती है और उसके दवाव का फिर असर पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय नवलकिशोर जी की उस बात का समर्थन करता हूं कि जो ऊंची तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों में भी कमी होनी चाहिये। अब उनमें से जो इस राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, उनके लिये तो यह आदरणीय सदन और यह सरकार कोई अधिकार नहीं रखती, उन के लिये तो सरकार केवल लिखा-पढ़ी ही कर सकती है और जब कभी उसे अपने विचार व्यक्त करने का सुवअसर मिले वह इन बातों को केन्द्रीय सरकार के समक्ष रख सकती है और उसे रखना भी चाहिये, क्योंकि यहां तथा केन्द्र में एक ही पार्टी की सरकार है और अन्य प्रदेशों में भी इसी पार्टी की सरकार है, तो महा अधिवेशनों में, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अवसर पर, सम्मेलनों में, जलसों में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी तथा दूसरे कमेटी के सदस्यगण अपनी यह आवाज उठा सकते हैं और उठाना चाहिये। क्योंकि जो ऊंचे स्थान पर होते हैं आमतौर पर उनका अनुकरण पीछे रहने वाले या जो छोटे लोग होते हैं, वे करते हैं। अनुकरण समाज में अच्छी और बुरी दोनों बातों का हुआ करता है। इस अच्छी बात का अनुकरण हमारे अधिकारी, कर्मचारी तथा राजसत्ता में जो ऊंची सीढ़ियों पर लोग हैं वे करेंगे और

करना भी चाहिये। तो इसलिये अगर कोई नमूना पेश होता है तो उसका असर हमारे प्रदेश पर पड़ेगा और मैं समझता हूं कि सरकार के इन कामों का असर लोगों के दिमागों पर पड़ रहा है कि यह अच्छे काम का शुभारम्भ है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि यह कदम यहीं रह जाय। अगर यह यहीं रह गया तो मैं यही कह सकता हूं कि इसका राजनीतिक फायदा ही केवल उस दल को होगा कि जो इस समय सरकार में हैं। किन्तु यदि यह कदम आगे बढ़ा और अनेक क्षेत्रों में गया और खर्चे की कमी के उपाय निकाले गये तो यह एक अच्छे काम का स्टार्टिंग प्वाइंट, प्रारम्भ बिन्दु माना जायगा।

जहां तक रकम के बहुत बड़ी न होने की बात है, उस के बारे में मेरा यह विचार है कि रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक एक पैसे के लिये प्रयास कर रहे हैं तो इतनी बड़ी रकम का भी कुछ न कुछ महत्व तो है ही। एक बात की ओर मैं आखिर में संकेत करता हूं और एक अपना भय और डर प्रकट करता हूं। जब से हमारे वर्तमान मुख्य मत्री जी इस पद पर आये है तो चूंकि वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और इस सरकार के भी मुख्य मंत्री हैं, इन दोनों हैसियतों में उन्होंने प्रदेश के बहुत से भागों का व्यापक दौरा किया है। मान्यवर, आपको मालूम है कि आजमगढ़ में जो दौरा हुआ था वह तूफानी दौरा सा लगता था और उस दौरे में तथा और भी जो दौरे हुये हैं उनमें भी जो उनके प्रमुख भाषण हुये है उनसे यह प्रतीत होता है पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर, उनके खर्चे के नाम पर, कहीं बहुत बड़ा टैक्स जनता पर और न लाद दिया जाय, और यदि ऐसा हुआ, तो जनता उसको सहन न कर पायेगी। हो सकता है उन टैक्सों को बढ़ा कर उस समय सरकार को यह कहने का नैतिक बल मिले कि हमने भी तो कम वेतन लेकर कुछ बचत की। अगर ऐसा हुआ, तो मैं समझता हू कि उसका तीव्र विरोध होगा। आज जो मौजूदा स्तर है जनता का, उसके अनुसार, वह और अधिक टैक्सों को सहन नहीं कर सकती और कर के बोझ से उसकी कमर और टूट जायेगी। उसका प्रभाव होगा उग्र एव तीव्र विरोध एवं संघर्ष। मैं इन शब्दों के साथ इस बिल की स्पिरिट का स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि भविष्य में इसके आधार पर अथवा इसके बहाने कोई नया कर-भार जनता पर नहीं डाला जायेगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जो प्रस्तुत विधेयक है, मैं इसका समर्थन करता हूं और इसका विरोध नहीं किया जा सकता है। माननीय झारखंडे राय जी ने भी इसका स्वागत किया है। इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये जो कुछ भी बचता है उसका हमें स्वागत करना चाहिये और इस ओर जो भी हम कदम मितव्ययिता का उठाते हैं वह एक सुनिश्चित कदम है।

इस बिल के सम्बन्ध में दो एक मूल बातें उठती हैं। मैं उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने चर्चा की, गौरीशंकर राय जी ने भी कहा, यह ठीक ही है कि माननीय अध्यक्ष के लिये एक निश्चित रकम रख देनी चाहिये। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे पहले वेतन को स्वीकार करने का अधिकार सदन को कहां से आया। इस पर विचार करें। इस सम्बन्ध में मैंने थोड़ा सा अध्ययन भी किया और मुझे यह मालम हुआ कि जो हमारी परम्परायें हैं वे ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स से ली गयी है और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को देखने से मुझे एसा लगा कि १२२३ में हाउस आफ कामन्स में यह चीज उठी थी। फिर १३२८ में इसमें परिवर्तन हुआ, उसके बाद १८३० में परिवर्तन हुआ, १८८८ में हुआ, १८९२ में कानून बना, और अत में १९५४ में बना और १९५४ में इसको अंतिम रूप दिया गया और अब १ हजार पौण्ड प्रत्येक पार्लियामेंट के सदस्य को वेतन मिलता है।

इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे संविधान में भी इसके लिये व्यवस्था की गयी है। उसमें मंत्रियों, उप मंत्रियों, अध्यक्ष और चेयरमैन आदि के लिये अलग-अलग तरीके से व्यवस्था की गयी

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

हैं। उसी के अनुसार विधान सभा से उनक वतन आदि के सम्बन्ध में स्वीकृति ली जाती है हमारे संविधान का जो आर्टिकल १९५ है उसमें अध्यक्ष और चेयरमैन के वेतन आदि की चर्चा है। उसके अनुसार विधान सभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह उनके वेतन को निश्चित करे। माननीय गौरीशंकर राय जी ने पंजाब के विधान सभा के अध्यक्ष के बारे में कुछचर्चा की और बताया कि वहां के अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह उसको निश्चित कर दे। हमारे संविधान में इसकी चर्चा है कि इस सभा को ही यह अधिकार है कि वह अध्यक्ष को अधिकृत करदें या कोई कानून बना दे जिसके अनुसार यह सब वेतन आदि निश्चय हो सके। अगर पंजाब विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को अधिकार दिया है तो वह भारतीय संविधान के अन्तर्गत ही दिया गया है और यहां पर यह बिल हमारे सामने पेश है, हम इस पर विचार कर रहे हैं तो यह भी संविधान के अन्तर्गत ही हो रहा है। किसी व्यक्ति को अधिकार देना या सारी विधान सभा कानून बनाये, इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास या मतभेद नहीं हैं। हमारे मंत्रियों या राज्य मंत्रियों इत्यादि की सैलरीज और एलाउन्सेज संविधान की धारा १६४ (५) में आते हैं। मैं उस धारा को आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं :

"The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to time by law determine and, until the Legislature of the State so determines, shall be as specified in the Second Schedule."

सेकेन्ड शेड्यूल में भिन्न-भिन्न क्रम दिये हुये हैं। विधान मण्डल को अधिकार है कि वह वेतन और भत्तों को निश्चित करे और जब तक वह निश्चित न करे तब तक शेड्यूल दो के मुताबिक दिये जायं।

तो यह बिल जो है वह संविधान के अनुच्छेद १६४ (५) के अन्तर्गत इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत है।

अब प्रश्न यह उठता है कि निश्चित करने का आधार क्या है? विधान सभा के सदस्यों, विधान मंडल के सदस्यों से ही मुख्य मंत्री, मंत्री या उपमंत्री इत्यादि लिये जाते हैं। तो आप देखेंगे कि विधान मंडल का सदस्य होना एक बेसिक क्वालीफिकेशन है और मूलभत जो क्षमता है, योग्यता है उसके आधार पर मत्री, उपमत्री, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो इस लेजिस्लेचर के सदस्य हैं वह वेतन पाते हैं। इसलिये कोई रेशियों होना चाहिये उस बेसिक क्वालीफिकेशन में यानी जब वह सदस्य रहते हैं और उसके बाद जब ऊपर उठकर मत्री, राज्यमंत्री होकर कैबिनट बनाते हैं। यह शंका मेरे मन में उठी है इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि जब उनका ध्यान इतने बड़े मौलिक प्रश्न की ओर गया है तो इस ओर भी जाना चाहिये कि जो हमारा आधारभूत सिद्धांत है उसका कहां तक प्रतिपादन हो रहा है। अगर कोई सिद्धांत नहीं है, जैसा कि गौरीशंकर राय जी ने कहा कि एकमुश्त रकम होनी चाहिये और नवलकिशोर जी ने भी कहा कि एकमुश्त रकम होनी चाहिये दौरा इत्यादि के लिये, तो मेरा निवेदन है कि एक ऐसा निश्चित सिद्धांत बन जाय इस सदन में, एक रकम निश्चित हो जाय जिसमें कुछ कमी बेशी करने का अधिकार भले ही रहे। परन्तु जब तक कोई सिद्धांत नहीं होगा तब तक कठिनाई रहेगी क्योंकि एक मुख्य मंत्री होगा वह कहेगा कि हम एक पैसा भी नहीं लेंगे तो फिर दूसरों के लिये उस परम्परा का निर्वाह करना बड़ा मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन्होंने इस ओर एक विशेष कदम उठाया है तो ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन अवश्य हो जाना चाहिये ताकि हमेशा के लिये एक दिक्कत दूर हो जाय।

मेरा सुझाव यह भी है कि चूंकि विधान मंडल के सदस्यों में से ही मुख्य मंत्री, मंत्री, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इत्यादि लिये जाते हैं ऐसी स्थिति में एक ऐसी व्यवस्था बन जाय कि जो सदस्य लिये जायं उनको गवर्नमेंट के प्रशासन की क्षमता होनी चाहिये। यह बड़ा आवश्यक है। जो लोग सक्षम हैं जिनकी जानकारी बढ़ गई है, जो प्रदेश के शासन को ऊंचा उठा सकते

ऐसे अनुभवशील लोगों को लेना चाहिये। और ऐसा करने से प्रशासन ऊंचा उठेगा। प्रदेश के ऐक्चेकर के एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिये। उसके लिये यह आवश्यक है कि कम से कम एक न्यूनतम क्षमता रख दी जाय कि ये लोग किस आधार पर लिये जाया करेंगे। चाहे तो वह शैक्षिक योग्यता के आधार पर हो या अनुभव के आधार पर हों। इससे आप जो भी रुपया उनको देंगे उसका सदुपयोग हो सकेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस ओर भी विचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। उसके न होने से एक नया आदमी भी उसके लिये कोशिश करता है और पुराना आदमी भी कोशिश करता है। आपने विधान सभा और लोक सभा आदि के लिये तो योग्यता निर्धारित कर दी है लेकिन प्रशासन चलाने के लिये क्या योग्यता होगी, इसको आपने निर्धारित नहीं किया है। मेरा अपना सुझाव है कि उसमें एफीशियेंसी (efficiency) को भी रखा जाय।

दूसरी देखने की बात यह है कि किस प्रकार से हमारा प्रशासन ऊंचा उठे और एफीशियेंसी बढ़े और प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो कार्य होता है वह और अच्छा हो। अब उसकी रूपरेखा क्या हो, उस पर सदन को विचार करने की आवश्यकता है।

जैसा कि झारखंडेराय जी ने कहा करांची कांग्रेस में हमने यह निश्चय किया था कि वेतन ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टरों का ५०० रुपया हो। यह १९३८ में कार्यान्वित भी हुआ। यह ठीक भी है हम लोग जो विधान सभा के सदस्य हैं या हमारे मंत्री या उपमंत्री जो यहां का प्रशासन चलाते हैं, वे यहां सार्वजनिक सेवा की दृष्टि से आते हैं। वेतन की दृष्टि से नहीं आते। उनके वेतन और वेतन-भोगी लोगों के वेतन से कोई मेल नहीं बैठ सकता है। तो जैसा कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ५०० रुपया तय किया था उस प्रकार का कोई वेतन तय हो जाना चाहिये और उसके बाद महंगाई की दृष्टि से देखा जाना चाहिये कि उस दृष्टि से क्या रकम मिले। इस तरह से रोज-रोज की टीका टिप्पणी करने से बचा जा सकता है। यह हमेशा के लिये तय हो जाना चाहिये कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उसी अनुपात में उस वेतन में जोड़ दिया जायगा। इस प्रकार से बेसिक पे तय हो जाना चाहिये। इस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस प्रशासन का स्तर ऊंचा उठेगा और तरह तरह की जो शंकायें रोज उठती रहती हैं, वे भी न उठेंगी तथा टीका टिप्पणी करने का मौका भी लोगों को न मिलेगा।

इस विधेयक में मंत्रियों और राजमंत्रियों के वेतन में समानता रखी गयी है। ठीक भी है लेकिन जब दोनों के वेतन और सब सुविधायें एक समान ही हैं तो फिर "राज्य" शब्द को जोड़ने से ही क्या लाभ है। वह एक भ्रामक शब्द हो जाता है। यह शब्द कोई अर्थ नहीं रखता है।

इसके अलावा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का जो अवैतनिक पद रखा गया है, वह भी मुख्य मंत्री जी ने बड़ा अच्छा रखा है। कुछ दिन तक शासन में प्रवेश करने से पूर्व ट्रेनिंग करें, यह अच्छा ही है। यह ठीक है होना चाहिये। प्रशासन तो सभी लोग नहीं चला सकते। इसलिये कम से कम कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी और इसलिये ५ वर्ष, या ४ वर्ष या एक टर्म या दो टर्म की बात कोई निश्चित हो जानी चाहिये।

जहां तक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रखने की बात है वे अवैतनिक होंगे। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि यहां वेतन का कोई बहुत मूल्य नहीं है, यहां सार्वजनिक सेवा का ज्यादा मूल्य है कि किसने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में कितना कांट्रीब्यूशन किया है। उसकी योग्यता और प्रशासन की क्षमता का ही देश के लिये ज्यादा मूल्य है। इसलिये अवैतनिक काम लेने के लिये जो एलाउन्स की बात रखी गयी है वह बहुत सुन्दर कदम है और मुख्यतया मैं इस कदम का विशेष रूप से स्वागत करता हूं।

एक बात मैं और घर के एलाउन्सेज के सम्बन्ध में कहूं। हमारे मुख्य मंत्री ने अपने एक छोटे से घर में रह कर एक उदाहरण हमारे सामने उपस्थित किया है। इंगलैंड के बाहर भी जितने ऐसे लोग हैं वे बड़ी सादगी से रहते हैं और जब हमारे मुख्य मंत्री सादे और साधारण ढंग से रह सकते

[श्री दीवनारायणमणि त्रिपाठी]

हैं तो क्या हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम अपने अन्दर और भी सादगी लायें और साथ ही जो मंत्रियों द्वारा दुनिया भर की तड़क-भड़क की बातें की जाती हैं वे कम की जायं ? वेतन कम करने से कोई प्रतिष्ठा घटती नहीं है। महात्मा गांधी अपने आधे शरीर पर ही वस्त्र पहनते थे। इससे उनका बड़प्पन कोई कम नहीं हो गया। हमारे यहां तो सदा से गुण और क्षमता की ही पूजा होती आयी है, हमारे यहां बराबर साधू और सन्यासी पूजे जाते रहे हैं जो बिलकुल सादगी से रहते हैं। हम कोई वेतन की बात नहीं करते हैं लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि हमारे अन्दर ऐसी सादगी आये जिससे आपस में मिल जुल कर कोई काम कर सकें और एक दूसरे में कोई अन्तर न मालूम हो। सदस्यों के रहने के लिये जो दारुलसफा बना है, वह भी इस तरह से बना है जिसे बहुत से लोग पसन्द नहीं करते हैं और उसका भिन्न-भिन्न नाम लेते हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि जिस तरह से डिप्टी मिनिस्टरों के रहने के लिये साधारण बंगले बने हुये हैं उसी तरह के बंगले हम लोगों के लिये भी होते और उनमें उन्नीस बीस का अन्तर होता तो ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि बहुत से आदमी जो देहात के रहने वाले हैं आकर देखते हैं कि हम लोग ऐसी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं तो उसका असर उनके ऊपर दूसरा ही पड़ता है। वे समझते हैं कि सादगी से रहने के बजाय हम उनसे बिलकुल दूर हो गये हैं। इसलिये प्रशासन में भी सादगी लाना बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस उत्तर प्रदेश राज्य मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ को प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मुझे अफसोस है कि इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर विराजमान नहीं हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि वे अपने कमरे में हैं और अपने कमरे में ही यहां के भाषण को सुनते होंगे क्योंकि वहां पर मशीन लगी हुई है। अच्छा है। १९५२ में सर्वप्रथम जब बालिग मताधिकार के आधार पर चुन कर सरकार बनी उसके ८ वर्ष तो पूरे हो गये और अब नवां साल चल रहा है। मगर मैं देखता हूं कि जो मूल सिद्धांत मंत्री, उपमंत्री या राज्य विधान मंडल के पदाधिकारियों की तनख्वाह को नियत करने में लागू होना चाहिये, उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा पा रहा है। ऐसा लगता है कि हम जब कभी गांधी जी को अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत करते हैं, या जब कभी लेनिन को प्रस्तुत करते हैं या जब कभी मार्क्स को प्रस्तुत करते हैं, तो ऊपर ही ऊपर प्रस्तुत करते हैं, उसकी गहराई तक नहीं जाते।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जरा इसकी गहराई में जायं। यह तनख्वाह का सिद्धांत क्या है ? क्यों वेतन हम लें ? क्या वेतन और नियुक्तियां देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति से भी कुछ सम्बन्ध रखेंगी या नहीं ? क्या यह मूल प्रश्न भी वेतन-निर्धारण के समय सामने आयेंगे या कभी नहीं ? अमरीका में एक मंत्री और राष्ट्रपति का वेतन क्या है, इंगलैन्ड में एक मंत्री या प्रधान मंत्री का वेतन क्या है या अपने देश के ही विभिन्न प्रदेशों में वह वेतन क्या है, या बर्मा में, नैपाल में क्या है, रूस में क्या ह, चीन में क्या है या यूगोस्लाविया में क्या है---इन सब तथ्यों को सामने रखा जाय और देखा जाय, कि जब कभी भी सरकारी कोष से मंत्रियों का वेतन निश्चित किया जाय तो यह भी देखा जाय कि देश की प्रति व्यक्ति की औसत आय क्या है, वहां गरीबी किस स्तर की है, इस पर भी ध्यान जाता है या नहीं जाता है ?

सन् ३४ के करांची के प्रस्ताव की दोहाई जो दी जाती है उसकी तह में मैं जाऊंगा। गांधी जी का एक वाक्य उस समय था कि "यह न समझ लिया जाय कि ५०० रुपया लेना हर मंत्री के लिये कोई अनिवार्य ही है। उन्होंने यहां तक कहा था कि जिस मंत्री को या पदाधिकारी की अपनी निजी आय इतनी हो कि वह अपने खर्च को चला सकता हो उसका जनता के कोष से एक पैसा

भी नहीं लेना चाहिये । मुझे मालूम नहीं माननीय गोविंदसहाय जी इसको को क्या समझेंगे ? क्योंकि वह तो ऊपर से ही शब्दाडम्बर रचते हैं, समाजवाद, मार्क्सवाद स्वप्नवत् समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद आदि की तह में वह जाने की कृपा करेंगे तो गुत्थियों को सुलझाने में आसानी होगी । महात्मा गांधी ने कहा कि एक चपरासी अगर मंत्री बन जाय तो उसको अपनी आवश्यकता इतनी अधिक नहीं बढ़ानी चाहिये कि वह अपने चपरासी वाले जीवनस्तर को ही भूल जाय । हां, वह इतना अवश्य खाये पहने कि शरीर स्वस्थ रहे, उसका दिमाग पुष्ट रहे ताकि वह अच्छी तरह से काम कर सके । जितनी उसको आवश्यकता हो उतना जरूर ले लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं कि जब जरूरत होती है, कहीं अध्यक्ष को लेकर सामने खड़ा किया जायगा, कहीं उपाध्यक्ष को सामने खड़ा कर दिया जायगा और कहा जायगा कि उन के खर्च पर नियंत्रण न हो, वह जितना चाहें खर्च करें । मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष की महिमा, मर्यादा और उनका कार्य परिचालन पैसे से नहीं आंका जा सकता ? क्यों छूट दी जाय अध्यक्ष को ? ब्रिटेन में, जिस को संसद प्रणाली की जननी कहा जाता है वहां अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टियों से अलग हो जाते हैं। यहां अध्यक्षों को दौरे करने की क्या आवश्यकता है ? मान लिया जाय कि मंत्री राजकाज के सम्बन्ध में दौरे कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष क्यों दौरा करें ? उनका काम तो विधान सभा की कार्यवाही तक ही सीमित होगा, विधान सभा का कार्य सुचारु रूप से कैसे चले, विधान सभा की कार्यवाही वर्तमान जनतंत्र प्रणाली के अनुरूप किस तरह से चले । इन तमाम बातों को अच्छी तरह से अध्यक्ष देखें, लेकिन अफसोस होता है कि इस सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम को लेकर पैसे से उनकी कीमत को आंका जाता है, मैं तो वह अध्यक्ष देखना चाहता हूं कि जो बिना एक पैसा भी लिये हुये यहां की अध्यक्षता करे और अपनी व्यवस्था को निष्पक्ष देखने में तनिक भी हिचके नहीं, तनिक भी शासन को देखकर या शासन के दल को देखकर या अन्य विरोधी दलों को देखकर अपनी व्यवस्थाओं के मूल्य को निर्धारित करने की बात न सोचे । वह निष्पक्ष हो, बिना किसी हिचक और रुकावट के या बाधा के प्रजातंत्र की मान्यताओं के अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं को देता रहे । यह अध्यक्ष की महिमा है इसी से उस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी । इससे अध्यक्ष का गौरव बढ़ेगा । मगर अध्यक्ष के गौरव के लिये सौ, दो सौ रुपये और दे दें या मंत्री से अध्यक्ष की तनख्वाह ५० रुपया ज्यादा कर दी जाय और कोई अध्यक्ष यहां ऐसा आ जाय जो ऐसा निकम्मा हो कि मुख्य मंत्री के इशारे पर अपनी व्यवस्था देता रहे तो क्या ५० रुपये की बढ़ोत्तरी मात्र हो जाने से उस अध्यक्ष की महिमा बढ़ जायगी ? हरगिज नहीं बढ़ेगी ।

इसलिये जब भी हम तनख्वाह पर विवेचन करें तो इन बातों पर न जायं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष क्या पा रहा है । एक चौकीदार क्या पा रहा है, एक चपरासी क्या पा रहा है, मिल में काम करने वाला एक मजदूर क्या पा रहा है, कोयले की खान में काम करने वाली एक मजदूरिन क्या पा रही है, एक कत्तिन क्या पा रही है, जरा इस पर भी दृष्टिपात करें सरकार और देखें कि आज भी अपने प्रदेश का एक अध्यापक २० रुपये महीने में जीवन व्यतीत करता है । चौकीदार ५ रुपये महीने में जीवन व्यतीत करता है । अब उसको तमाम भत्ता वगैरह मिल सकता हो तो शायद १० रुपये हो जाय । तो क्यों चौकीदार १० या ५ रुपया ले ? अभी हमारे पास चौकीदारों की चिट्ठी आई जो स्वायत्त शासन विभाग में लगे हैं । उनको वह ५ रुपये की बढ़ोत्तरी नहीं मिल रही है ।

सरकार के प्रशंसक, जिनके हृदय में दया की भावना उभर रही है, कहां गये दीपनारायण जी जो कि सरकार के गुनगान करने में थकते नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहीं भी इस सरकार ने अपनी तनख्वाह को नियोजित करने में इस बात को सामने रखा है कि अपने प्रदेश की कम से कम औसत आमदनी कितनी है और एक आदमी किस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है । औसत आमदनी प्रदेश की आज गिर रही है । सन् ५० में जहां २१२ रुपये थी, आज वह १९२ रुपये पर टिकी हुई है । १९२ रुपये सलाना औसत आमदनी वाला प्रदेश अपने मंत्री और अन्य अधिकारियों को कितनी तनख्वाह दे ? कहा जा रहा है एक हजार । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी राज्य में एक मंत्री जो तनख्वाह पाता था आज का मंत्री

[श्री राजनारायण]

उससे ज्यादा ले रहा है । अंग्रेजी राज्य में वह ३,७०० रुपया लेता था । चाहे वह गगनचुम्बी अट्टालिका में रहे और चाहें झोपड़ी में रहें, हमसे कोई मतलब नहीं । चाहे मोटर रखे, चाहे सायकिल रखे और चाहे फटफटिया रखे, हमसे कोई मतलब नहीं । उसी में अपने जीवन को वह नियोजित करता था । सन् ४६ में वह १५०० रुपया किया गया । फिर सन् ५२ में १२००, सन् ५७ में ११०० और अब कहा जा रहा है एक हजार । जब १५०० लेते थे तो इन्कम टैक्स देते थे । उसकी बड़ी कहानी है । बार-बार आडीटर ऐतराज किया करता था कि समय से मंत्री लोग इन्कम टैक्स क्यों नहीं देते । कटौती होने के बाद १,२०८ रुपया मिलता था । तो इन्होंने कहा कि हम १२०० करे देते हैं ।

सन् ५२ की याद दिलाना चाहता हूं । ज्यों ही मैं दरवाजे पर पहुंचा तो चपरासी ने कहा कि कि बाबू, मंत्री लोग अपनी तनख्वाह कम कर दिये हैं । हमने कहा कि हम नहीं मानेंगे । आज कांग्रेस के मंत्री लोग गंगा में नाक तक पानी में खड़े होकर भी कहे तो भी इनकी बात को बिना उसकी समीक्षा किये हुये मैं मानने को तैयार नहीं हूं । मैंने कहा कि सदन में जो कुछ होगा, देखूंगा । देखते-देखते नीचे वाला हाथ लग गया कि अब यह जो १२०० रुपया होगा इसमें इन्कम टैक्स नहीं लगेगा । यह इन्कम टैक्स केन्द्रीय विषय है और जब उनके दिमाग में यह बात आई कि यह केन्द्रीय विषय है, नियमों के मुताबिक सम्भवतः देना ही पड़ेगा तो कह दिया कि और यदि देना पड़े तो तनख्वाह से नहीं कटेगा, राजकोष से दिया जायगा । मैंने सब जोड़कर हिसाब लगाया और हर मंत्री के बारे में भी जानकारी हमारे पास है, आज अपने प्रदेश में ऐसे-ऐसे भी मंत्री विराजमान थे जिनका १, १ महीने का खर्चा ११,००० रुपये महीना तक गया है, सब तनख्वाह, भत्ता आदि मिला कर । उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वह यहां मंत्री की हैयियत से विराजमान नहीं है । क्या कोई मंत्री है जो ६,००० रुपये मासिक से कम खर्च कर रहा है तनख्वाह, भत्ता, मोटर, निवास स्थान, गमनागमन और रख रखाव सब मिला-करके ? सारा जोड़ लिया जाय ६,००० रुपये से कम किसी का नहीं है और ११,००० रुपये मासिक तक खर्चा गया है । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि सन् १९५२ में जब आदरणीय पन्त जी जी मुख्य मंत्री थे और उन्होंने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों और उपमंत्रियों की तनख्वाह के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किया था तो उस समय मेरा भी संशोधन था । मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं क्योंकि एक सरकारी पक्ष के मंत्री या उपमंत्री ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे कुछ सदस्यों ने तुम्हारे पुराने संशोधन के विरोध में संशोधन रखे हैं । तो मैं बताये दे रहा हूं कि हमारा संशोधन क्या था ।

"हमारे सामने जो संशोधन उपस्थित हैं मैं उसमें यह संशोधन उपस्थित करता हूं--खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (२) रखा जाय :

उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री और मंत्री को जिसकी निजी मासिक आमदनी १,००० रुपया मासिक या उससे अधिक होगी कोई वेतन नहीं दिया जायगा । जिस मंत्री या मुख्य मंत्री की निजी आमदनी १,००० रुपया मासिक से कम होगी उसे उतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी १,००० रुपया मासिक हो सके ।"

अब मैं पूछना चाहता हूं यहां पर जो लोग गांधी जी का नाम लेते हैं, क्या गांधी जी इस संशोधन के पक्ष में नहीं थे ? ....

श्री अधिष्ठाता--आपका संशोधन जब उपस्थित हुआ था तो गांधी जी नहीं थे ।

श्री राजनारायण--गांधी जी नहीं थे शरीर में, लेकिन आत्मा से थे और आप समझते होंगे श्रीमन्, यह सरकार टिकी हुई है केवल गांधी जी का नाम ले कर । अफसोस के साथ कहना पड़ता है पता नहीं क्यों हमारे देश और प्रदेश की जनता गांधी जी का उत्तराधिकारी इस सरकार को मान रही है ।

सदन में चार प्रकार के लोग हैं, श्रीमन्, कुछ अपढ़, कुछ अधपढ़, कुछ पढ़े हैं और कुछ पढ़े बेवकूफ हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आजकल जो कुछ अधकचरे पढ़े लिखे लोग हैं, जो किसी सिद्धान्त को नहीं समझते हैं वे समाजवाद का केवल एक प्रकार मानते हैं और कहते हैं अरे समाजवाद में तो प्लान्ड इकोनोमी है, समाजवाद का मानने वाला आदमी कंट्रोल की मुखालिफत कैसे कर देगा ? अजीब सी बात है। समाजवाद का अर्थ इनको पहले समझना चाहिये कि समाजवाद में समता है, स्वतंत्रता है, समाजवाद में स्वतंत्रता और समता के विहीन जो व्यवस्था होगी वह समाजवादी व्वयस्था नहीं है। चाहे मार्क्स को लिया जाय, चाहे लेनिन को लिया जाय, चाहे ऐंगिल्स को लिया जाय, चाहे गांधी जी को लिया इसके विरुद्ध समाजवाद की परिभाषा किसी ने नहीं की है। और मार्क्स के उस वाक्य को आप याद करते होंगे। उसको मैं अंग्रेजी में नहीं कहना चाहता क्योंकि मार्क्स ने तो जर्मनी में कहा था, अंग्रेजी में तो उसका अनुवाद है, मगर कुछ बौद्धिक परतन्त्रता वाले लोगों के लिये जो यह समझते हैं कि जब तक अंग्रेजी का इस्तेमाल न हो तब तक कोई बात सही नहीं है, मैं उसे अंग्रेजी में कहे देता हूं। उन्होंने कहा था—

"From every man according to his capacity to every man according to his need."

हर आदमी से उसकी क्षमता तथा योग्यता के मुताबिक काम लो और हर आदमी को उसकी आवश्यकता के मुताबिक दो। अब केवल अगर "आवश्यकता" ही शब्द रह जाता है तो बहुतों को भ्रम हो जाता है कि बहुतों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की होगी। तो उसका भी विश्लेषण किया गया। उसने आगे चल कर कहा कि कार्य और कारण के सम्बन्धों को रखते हुये जो आवश्यक हो उसको हम देखते हैं। माननीय गोविन्दसहाय की निजी आवश्यकता क्या है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। फिर आगे देखें। रूस में स्टालिन से पहले फोरियर ने जो अर्थशास्त्र का बड़ा पंडित था कहा, "From every man according to his capacity to every man according to his work." हर मनुष्य से उसकी योग्यता के मुताबिक काम लो और हर मनुष्य को जितना कार्य का सम्पादन हुआ है उस सम्पादित कार्य के मुताबिक मजदूरीदो। यानी आवश्यकता को उसने बदला कार्य में और बहुत दिनों तक कार्य के मुताबिक मजदूरी के सिद्धात को चलाया गया। एक वाक्य में यहां और कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय क्रान्ति के बाद शासन सत्ता जिनके हाथ में आयी उन्होंने अपने वायदों को सर्वांगीण रूप में जिस ढंग से तोड़ा है विश्व की किसी क्रान्ति में इसका उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। बहुत सी जगह क्रान्ति हुई और क्रान्ति के बाद क्रान्ति के साथ धोखा भी किया गया मगर इस प्रकार का सर्वांगीण रूप का धोखा जैसा हिन्दुस्तान में किया गया मौजूदा सरकार के द्वारा वैसा दुनियां में कहीं और नहीं किया गया।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि अक्सर लोग "कम्यूनिस्ट" शब्द कह कर सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट या अन्य दूसरे लोगों को एक ही धागे में पिरो देते हैं। मैं माननीय गोविन्दसहाय जी जैसे मस्तिष्क वालों से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय गोविन्द सहाय जी ने आज इस विधेयक पर तो कोई चर्चा की नहीं है।

श्री राजनारायण—कर दिया करते हैं कभी कभी क्योंकि गवर्नमेंन्ट की हर कमेटी में उनकी जाने की ख्वाहिश होती है और उसके बाद जब रपट आती है तो कहते हैं कि हमारी रपट लागू नहीं हुई। इसलिये मैं चाहता हूं कि जरा अच्छी तरह से विवेचन हो। उनसे मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि मार्क्स ने सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट का विवेचन नहीं किया। फर्स्ट स्टेज आफ सोसाइटी आर हायर स्टेज आफ सोसाइटी, (First stage of society or higher stage of society) प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान की बात कही थी। मार्क्स ने वैज्ञानिक विश्लेषण करके कहा था जब पूंजीवादी व्यवस्था ढहेगी तो उस

[श्री राजनारायण]

नीव पर जो भवन बनेगा उसमें पूंजीवाद व्यवस्था के कुछ खंडहर अवश्य विद्यमान रहेंगे । उसने कहा था कि द्वितीय सोपान में ऐसा समाज बनेगा, "When general will will be transformed into single will." जब समाज की इच्छा व्यक्ति की इच्छा में परिगत हो जायगी । यानी समाज और व्यक्ति की इच्छा शक्ति में कोई विभेद नहीं रह जायगा । एक व्यक्ति जिस ढंग से सोचेगा, समाज उसी ढंग से सोचेगा और समाज जिस ढंग से सोचेगा, एक व्यक्ति उसी ढंग से सोचेगा ।

श्री अधिष्ठाता---राजनारायण जी, मेरा सुझाव यह होगा कि आप इस विषय पर किसी दिन एक सेमिनार संगठित करें । आज इस विधेयक पर ही बोलें ।

श्री राजनारायण---उसी पर आ रहा हूं । फिर आगे उसने कहा---"There will be no difference between mental and physical labour." जब द्वितीय सोपान होगा तो मानसिक और शारीरिक श्रम का विभेद मिट जायगा ।

मार्क्स ने यह कहा कि वही व्यवस्था होगी जिसमें मानसिक और शारीरिक श्रम का भेद मिट जायगा यानी दिमागी काम करने वाले को और हाथ से काम करने वाले को एक ही वेतन मिलेगा । महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक दिन के लिये मुझे डिक्टेटर बना दिया जाय तो मैं वायसराय को अस्तबल साफ करने के काम में लगा दूं ताकि उसको पता लगे कि कितनी मेहनत और परेशानी की अनुभूति होती है श्रम की मर्यादा को प्रतिष्ठित करने में । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मौजूदा सरकार ने तनिक भी कोशिश की है श्रम के महत्व को प्रदर्शित करने में, श्रीमन्, कतई कोशिश नहीं की । अगर हम देखते हैं कि इस ओर सरकार ने अपना कदम उठाया है तो हम उसकी प्रशंसा करते ।

यह तो श्रीमन्, दूसरी बात है कि वेतन में १०० रुपये की कमी कर दी । हां, इससे भी कुछ न कुछ फायदा तो अवश्य हो जायगा और जब फायदा होगा तो दूसरे काम उससे अवश्य बनेंगे । यह तो किसी ने १,५०० से १,२०० कर दिया, किसी ने १,२०० से एक हजार कर दिया । अगर इतने से ही सरकार प्रशंसित होना चाहती है तो जरूर हो ले । हम भी कह देंगे कि तुमने यह काम अच्छा किया । लेकिन यह निश्चित बात है कि इससे आमूल परिवर्तन नहीं हो सकता है । उसकी ओर जाने के लिये सरकार की ओर से बात तक नहीं उठाई गई है ।

श्रीमन्, बहुत से लोग कहने लगेंगे कि दुनियां में कहीं इस कल्पना का समाजवाद है । मैं यह सम्मानित सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम जिस समाजवाद के सैनिक हैं, हम जिस समाजवाद के सिपाही हैं, वह समाजवाद रूस में नहीं है, वह समाजवाद चीन में नहीं है और वह समाजवाद यूगोस्लाविया में नहीं है । हमारा समाजवाद उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के समाजवाद से भिन्न है । इसलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब वह समाजवाद की चर्चा किया करें तो विशेष प्रकार के समाजवाद को अपने मस्तिष्क में रखकर हमारे समाजवाद को देखने की कृपा न किया करें । जैसा कि अक्सर लोग ऊपर से बात देखते हैं और कह देते हैं कि रूस में यह है । अगर वहां यह है तो क्या हम उसके हिमायती हैं ? क्या लेनिन ने यह नहीं कहा कि बड़ी तनख्वाहों और आमदनी तथा छोटी तनख्वाह और आमदनी के अन्दर एक और डेढ़ का अनुपात होना चाहिये ।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि लेनिन ने मान्यता दी है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष में कम्यूनिस्ट पार्टी की कांफ्रेन्स हुई थी तो स्टालिन ने इस बात को कहा था कि जो लोग तनख्वाहों की विषमता को मिटाकर चलने की बात कहते हैं, वह मूर्ख हैं । लेनिन ने जो मान्यतायें दी थीं उनको स्टालिन ने काटा और स्टालिन ने जो मान्यतायें दी थीं उनमें से बहुतों को क्रुश्चेव काट रहा है और क्रुश्चेव ने जो मान्यतायें दीं उनको माओ काट रहा है । ज्यों ज्यों तरक्की होती जायगी और ज्यों ज्यों नई अनुभूतियां होती जायंगी त्यों त्यों समाजवाद अपने प्रकार का बनता जायगा । मैं समझता हूं कि जो लोग समाजवाद को ही रूढ़ि मानकर चलेंगे, वह गलती करेंगे ।

हां, देखना यह चाहिये कि कोई व्यवस्था हो मगर उसमें एक बात जरूर होगी, वह क्या होगी, कि आज का समाज सम है या नहीं ? जो लोग छोटी सी किताब कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स का पढ़ेंगे, उससे मालूम होगा कि उसके समय में चर्चा उठी थी कि आज का मजदूर पहले के मजदूर से ज्यादा पैसा कमाता है, मैं कहूंगा कि इंग्लैंड के मजदूर वहां की मिलों में हिस्सेदार हो गये हैं। वह मजदूर न रहकर पूंजीपति हो गये हैं। शहरों की स्थिति इस तरह से देखनी चाहिये कि हम जब भी बात करते हैं तो अनुपात में करते हैं, रेशियों में करते हैं पहले कितने का फर्क था और अब कितने का फर्क है। हम तो देहात में रहते हैं, पता नहीं शान्तिप्रपन्न जी देहात में रहते हैं या शहर में। अगर देहात में रहते हों, और देहात में सब का मकान झोपड़ी है, तो किसी को रागद्वेष नहीं है। मगर उस देहात के अन्दर अन्य लोगों का मकान तो झोपड़ी हो और एक आदमी मंत्री बन गया और कहीं मंत्री बनने के बाद उसके मकान का रूप अट्टालिका में परिणत हो गया तो वैमनस्य हो जायगा, कटुता हो जायगी। तो वही समाज सोचने लगेगा कि एक ही ढंग से पैदा हुये, माई के पेट से, क्या कारण है कि हमारी झोपड़ी भी उड़ गयी और क्या कारण है कि मंत्री की झोड़पी गगन चुम्बी अट्टालिका बन गई ?

श्री अधिष्ठाता—माननीय राजनारायण, सदन ने इसको स्वीकार किया है कि ४ बजकर १० मिनट पर यह समा त हो जायगा। इस पर काफी संशोधन हैं और आप आध घंटा बोल चुके हैं। दो बजे आपने शुरू किया था और दो बजकर सत्ताइस हो रहा है।

श्री राजनारायण—मेरा निवेदन यह है कि जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं इसका विरोध करता हूं। सन् १९५२ में किस मूल सिद्धान्त को सामने रख कर विधेयक प्रस्तुत होना चाहिये, किस आदर्श को हमारे मंत्रियों, विधान मंडल के पदाधिकारियों को प्रतिष्ठित करना चाहिये, उसका दिग्दर्शन हमने करवा दिया। आज आठ-दस साल हो गये लेकिन उसी जगह पर गतिरोध हो गया है। बरमा में जब सरकार आयी तो उसने कहा कि हमारे यहां १ और १८ का फर्क रहेगा। यूगोस्लेविया में १ और ६ का फर्क है। स्वीडन में १ और ४ का फर्क है। यहां कितने का फर्क है ? ५ रुपये और १ हजार में दो सौ गुने का फर्क हुआ या नहीं ? तो मैं चाहता हूं कि हमारे भावों को लोग समझें। जब जब सदन में आमदनी को ले कर विवाद हुआ है, उन विवादों का अध्ययन करके, तब इस सदन में सार्वभौमिक दृष्टि से विधेयक प्रस्तुत करें। बार बार हमारे मुख्य मंत्री कहा करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि लोग अनुप्राणित हों। उनकी यह भावना सराहनीय है।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

अगर प्रदेश की जनता को अनुप्राणित करने की उनकी भावना है तो मैं निवेदन करता चाहता हूं कि केवल वह सौ रुपये की कटौती न करें। जैसा हमने १९५२ में संशोधन प्रस्तुत किया था कि मंत्रियों और उप मंत्रियों, सभी की जांच करें। जिसकी निजी आमदनी एक हजार या इससे अधिक हो उसको एक पैसा न दिया जाय, जिसकी निजी आमदनी एक हजार से कम हो उसको उतनी बढ़ाकर एक हजार कर दी जाय। अगर इस प्रकार का विधेयक बने तो निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी और मैं समझता हूं कि माननीय राममूर्ति भी आह्लादित होंगे। और समझेंगे कि गांधी जी के अनुरूप एक विधेयक प्रस्तुत हुआ है। मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी वह गांधी जी का नाम लें, यह न सोचें कि गांधी जी ने हर हालत में ५०० रुपये तनख्वाह लेना अनिवार्य कहा है। गांधी जी ने यहां तक कहा है कि सर्वोदय समाज जब आयेगा तो एक वकील और एक नाई की तनख्वाह बराबर हो। क्या इस विधेयक में इस सिद्धांत का आरोपण है ? नहीं रखा गया है तो यह भी अभी उसी तरह का एक तमाशा है जैसा १९४६ में हुआ, १९५२ में हुआ, और १९५७ में हुआ अगर तमाम स्थिति को हम निश्चित रूप में अपने मंत्रियों की तनख्वाह देने की व्यवस्था करेंगे तो हर स्थिति में जो हमने संशोधन सन् ५२ में प्रस्तुत किया था उसके अनरूप ही यहां पर कोई विधेयक प्रस्तुत होना चाहिये, चाहे वह चार सौ में गुजर कर लें, चाहे ६ सौ में कर लें, चाहे ५ सौ में कर लें। एक हजार

[श्री राजनारायण]

की बात जब हम करते हैं तो वह अधिकतम कहते हैं। बड़ी से बड़ी आमदनी एक हजार की होगी। उसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी हो उसकी तनख्वाह एक हजार ही हो। मंत्री लोग ५ सौ लें, ६ सौ लें, चार सौ लें। एक हजार की बात जब कही जाती है तो इन सिद्धान्तों को लगाते हुये कही जाती है। इन शब्दों के साथ माननीया अधिष्ठात्री महोदया....

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें....

श्री राजनारायण--मैं उस संशोधन पर बल देना चाहता हूं जिस संशोधन में कहा गया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। निश्चित रूप में यह विधेयक प्रवर समिति में जाना चाहिये और जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की उसके अनुरूप एक विधेयक आना चाहिये। अगर वह चाहते हैं कि ऐसा विधेयक हो, मंत्रियों की तनख्वाह ऐसी हो कि जिससे प्रदेश का जनता और प्रदेश के कर्मचारी अनुप्राणित हों, वह उससे सबक लें, नसीहत लें, तो यह विधेयक नसीहत नहीं दे पायेगा, नसीहत तो लोग तब लेंगे जब विधेयक हमारे उस संशोधन के अनुरूप आयेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--माननीय शिव प्रसाद नागर, दस मिनट से ज्यादा आप न लें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--अगर दो एक मिनट ज्यादा हो जायं तो वह आप देने की कृपा करेंगे।

श्री उग्रसेन--माननीया, इसमें तो समय बंटन के लिये कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है।

श्री अधिष्ठाता--४-१० तक का समय निश्चित है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--५ मिनट मुझ बुड्ढे के लिये भी....

श्री अधिष्ठाता--फिर संशोधन के लिये समय नहीं रहेगा।

*श्री शिवप्रसाद नागर--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैंने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया था उसके समर्थन में जो इस सदन के सम्मानित सदस्य बोले मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और सबके पहले माननीय राजनारायण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने एक सुझाव प्रस्तुत किया और एक मिसाल दी कि वकील और नाई की तनख्वाह बराबर हो, जितनी तनख्वाह एक नाई को हो उतनी हो एक वकील की हो। लेकिन यह बताना चाहता हूं कि न नाई की कोई तनख्वाह होती है न वकील की कोई तनख्वाह होती है। मगर हजामत दोनों बनाते हैं। नाई उस्तरे से बनाता है और वकील कलम से बनाता है। काम दोनों का एक ही है।

एक बात माननीय नवलकिशोर जी ने कही कि नागर जी को यह शिकायत है कि उनका किसी ने अभिनन्दन नहीं किया। मैंने यह नहीं कहा। मैंने दूसरी बात कही और वह बात यह कही, उधर से कहा माननीय शांतिप्रपन्न जी ने कि इस विधेयक का अभिनन्दन किया जाय तो मैंने उस पर यह कहा था कि आप यह कहते हैं कि इस पर बोला नहीं जाता है बल्कि इसका अभिनन्दन किया जाय। अन्त में मैंने एक बात जरूर कही और वह भी मैं बता दूं, स्टीव की कापी मेरे हाथ में है। मैंने कहा कि सारी बात इस कानून मे बदल दी, एक लाइन और बढ़ा दें, एक लाइन और लिख दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की तनख्वाह से ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी की तनख्वाह न होगी तो सब काम खत्म हो जाय। हम उसका बड़ा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वागत करते, उसका अभिनन्दन करते, आपको बधाई देते, आपको बड़ा धन्यवाद देते। लेकिन आप चूंकि इसमें यह नहीं कर पाये इसलिये न हम आपका अभिनन्दन करने को तैयार हैं न बधाई देने को तैयार हैं और साथ ही यह भी कहने को तैयार हैं कि वह बिल नहीं है, यह त्याग नहीं है बल्कि यह ढोंग है। मैंने यह कहा था। मेरा खयाल है कि माननीय नवलकिशोर जी को कुछ गलतफहमी हो गई।

एक बात और कही माननीय नवलकिशोर जी ने कि विधेयक आ गया तो कौन सी आपत्ति आ गई? मैं कहता हूं कि बड़ी भारी आपत्ति आ गई। इस विधेयक के पहले एक आर्डिनेंस भी आया। उसमें यह लिखा हुआ था कि संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड २ के उपखंड (क) के अनुसार....अब अनुच्छेद २१३ के खंड २ के उपखंड (क) को देखा जाय। उसमें यह साफ लिखा हुआ है--"उस समय को छोड़कर जब कि राज्य की विधान सभा, तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन, सत्र में है यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।"

सब से बड़ी आपत्ति तो यह है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि जो इस आर्डिनेंस को लाने की जरूरत होती। मैं इस आर्डिनेंस की बात को इसलिये कह रहा हूं कि इसका जिक्र यहां पर आया। माननीय नवलकिशोर जी ने यह कहा था कि विरोधीदल के नेता ने अपनी तनख्वाह कम नहीं की और नागर जी ने इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने यह कहा था कि इस सदन के विरोधी दल के नेता और विधान परिषद् के विरोधीदल के नेता फरीदी साहब इन दोनों ने अपने हाउस अलाउन्स को फोरगो कर दिया है। ७५ रुपया जो सब विधायकों को मिलता है वह उसको नहीं लेते हैं। उन लोगों ने अपनी तनख्वाह को कम इस तरह से किया और इसके लिये कोई शोर नहीं किया। इस तरह से डंका नहीं पीटा। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता में और लखनऊ की जनता में इस तरह से ढोल नहीं पीटा गया। यहां की जनता को मालूम भी नहीं होगा कि इन दोनों लोगों ने अपना हाउस अलाउन्स छोड़ दिया है और आज मैंने इसलिये इस बात को कह दिया कि इस १०० रुपये का बड़ा डंका पीटा गया और कहा गया कि इससे सबक सीखना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग त्याग करते हैं, वे कहते नहीं हैं। जो लोग कुरबानी करते हैं, वे जबान पर भी नहीं लाते हैं। इसलिये मुझको यह रिफरेंस देना पड़ा। वह गलतफहमी उनको है जो नवलकिशोर जी ने ऐसा कहा।

एक बात और नवलकिशोर जी ने कही कि यह पहला कदम है। मैं कहता हूं कि यह बड़े धोखे की बात है। यह पहला कदम नहीं है बल्कि यह पांचवां कदम है। पहला कदम वह था जबकि यहां पर १५०० रुपये को १२०० रुपये करने का विधेयक आया था। वह पहला कदम था। आप फरमाते हैं कि यह बड़ा भारी अनुकरणीय कदम है। क्या अनुकरण किया गया यह भी जरा देखने की बात है। इस ब्यूरोक्रेसी ने उत्तर प्रदेश में क्या अनुकरण किया इसका एक दृष्टांत मैं आपके सामने पेश करूंगा। मुख्य मंत्री जी के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी श्री रामनारायण पांडेय ने विधान परिषद् में इस बात को कहा था कि सूचना विभाग से एक प्रोग्रेस पत्रिका निकली और उस प्रोग्रेस पत्रिका की ८०० कापियां बिकीं और बाकी पड़ी हुई हैं। उसकी २५,००० कापियां छपी थीं और उनकी छपाई में ५०,००० रुपया खर्च हुआ था। उस किफायतशारी का अनुकरण यह किया गया कि जो उसकी एडीटर महोदया थीं वह यहां से बम्बई उस पत्रिका का प्रूफ देखने के लिये हवाई जहाज से तशरीफ ले गईं। यह जो १,५०० से घटाकर १,२०० किये गये और ३०० की किफायतशारी की गई क्या उसका यही अनुकरण किया गया कि वह केवल प्रूफ देखने के लिये यहां से हवाई जहाज में बम्बई तशरीफ ले गईं? जो ३०० रुपये की कमी की गई उसका यह एक अनुकरण था।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

उसके बाद जो पुराने मुख्य मंत्री थे उन्होंने १,२०० रुपये से १,१०० कर दिये तो उसका अनुकरण यह किया गया कि सूचना विभाग ने एक शक शकाब्द कलेंडर निकाला जिसकी मियाद केवल साल भर होती है। उसके लिये ४५ हजार रुपया खर्च किया गया। वह सब के सब सूचना विभाग में गड्डियों में बंधे पड़े हुये हैं। उस किफायतशारी का यही असर हुआ कि इस तरह से वेस्ट किया गया। जिस समय १२०० से ११०० किया गया तो उस समय भी यही कहा गया था कि सब लोग इससे सबक सीखेंगे और इसका अनुकरण करेंगे मगर उस किफायतशारी से सबक नहीं सीखा गया .....

(लाल बत्ती जलने पर)

मुझे दो मिनट अधिष्ठात्री महोदया और दे दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता--अच्छा आप बोलिये।

श्री शिवप्रसाद नागर--तो उसका नतीजा यह हुआ। उसके बाद फिर ढाई सौ रुपया हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी कुर्सी पर बैठते ही घटा दिया। उन्होंने उसका डंका नहीं पीटा, अखबारों में उसे छपवाया भी नहीं, कोई विधेयक लाये नहीं, लेकिन उसका सबक जो हमारे अधिकारियों ने सीखा उसका नमूना हजरतगंज में मौजूद है यू० पी० गवर्नमेंट का हैण्डीक्रैफ्ट्स का शो-रूम। वहां क्या क्या हुआ, उसका वर्णन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन वह उस सबक का जिन्दा प्रमाण है। यह किफायतशारी इस तरह से सीखने वाले नहीं हैं। इसके लिये तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जरूरत है। मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि इस हाउस में मैं एक विधेयक आना चाहिये कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की जो तनख्वाह होगी, उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिकारी की तनख्वाह उस से एक पैसा भी ज्यादा न होगी। ऐसा होने से ही किफायतशारी का सबक यहां के अधिकारी सीखेंगे, नहीं तो नहीं। आप कुर्बान हो जाइये, जान दे दीजिये, कुर्सियों में धंस जाइये, आसमान में उड़ जाइये, उनकी बला से। उनका ५,००० रुपया बंधा आता है, आपकी कौन परवाह करता है, आप कुछ भी कीजिये।

एक बात जो माननीय दीपनारायण जी ने कही वह मुझे बड़ी पसंद आयी उन्होंने कहा कि जरा और सादगी की जरूरत है। थोड़ी और सादगी ला दें। मैंने बहुत पसंद किया उस बात को। आपके रख रखाव में, रहन सहन में, दौड़ धूप में, भत्तों में जो खर्च होता है उसमें और सादगी होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये, जैसा कि राजनारायण जी ने कहा कि एक मंत्री के रख रखाव में ६,००० से ११,००० तक खर्च होता है। जवाब आया कि फीगर गलत है, दूना बतला दिया। मान लिया, तीन हजार तो सही है। तो १,००० पाने वाला अगर ३००० भत्ते में, रख रखाव में खर्च करने लगे, तो यह तो वही बात हो गयी कि एक हाथ को ककड़ी और ९ हाथ का बिया। कभी वह सुना करते थे, आज देख लिया और वही वहां हो रहा है। यदि १००० की तनख्वाह वाला ३,००० खर्च करेगा तो उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी जो ५,००० पाता है वह १५,००० खर्च करने का अधिकारी है, जो २,००० पायेगा वह ६,००० खर्च करेगा। और इस तरह से जिले के अधिकारी भी खर्च कर सकेंगे। तो त्रिपाठी जी ने जो बात कही वह हमको भी समझ में आयी। आप यह बात इस बिल में लाते कि जो सैलरी एक मिनिस्टर की होगी, उस के सारे रख रखाव में दौड़ धूप में, भत्ते में और सब चीजों में सबके दुगने से ज्यादा खर्च न होगा। अगर इस तरह की बात लाते तो कुछ किफायतशारी हो सकती थी। किफायत रोज ब रोज जो खर्च होता है उसमें करते, एक फिक्स्ड सैलरी में कोई किफायतशारी नहीं हो सकती और न इससे कोई सबक ही सीखेगा। अगर किफायतशारी की बात है तो उसका नमूना कल ही देखने में आयेगा, न जायं नैनीताल जहां यह सरकार हर साल जा कर लाखों रुपया फूंक कर चली आती है। अगर

गर्मियों में नैनीताल न जायं तो उस किफायतशारी से लोग कुछ सीखेंगे, नौकरशाही पर उसका असर पड़ेगा, लेकिन अगर आप चले जायं तो यह सारा सेक्रेटेरियट उड़ कर वहां पहुंच जायगा। (व्यवधान) अगर ऐसा होगा तो हम ही आप का प्रचार करेंगे, हम आपका अभिनन्दन करेंगे।

एक बात और बतलाऊं। यह जब १,१०० से १,००० हुआ तो एक नयी घटना घटी। ८ और ९ तारीख का जिक्र है, एकाउन्टेंट जनरल साहब मुकदमा कर रहे थे। उन्हें मड आया कि हमको कल दिल्ली में भी एक काम है और बस, उन्होंने दो बजे एक हवाई जहाज बुक कर दिया और आप दो ही बजे उड़ कर शाम को दिल्ली पहुंच गये और सात आदमी उस हवाई जहाज में ऐसे गये कि जो पहले हवाई जहाज की सवारी के इंटाइटिल्ड नहीं थे। क्या वजह थी कि ये सात आदमी हवाई जहाज से ले जाये गये? क्यों नहीं उनसे कहा गया कि रात के मेल से रवाना होकर सुबह दिल्ली में मिलिये? वह तो एकाउन्टेंट जनरल साहब भी आराम से मेल से जा सकते थे। शाम तक कचहरी करते, घर आकर लड़कों को लाड़ प्यार करते, आराम से खाना खाते और रात में बुक की हुई सीट से सुबह दिल्ली पहुंच जाते, लेकिन मुख्य मंत्री जी से किफायतशारी उन्होंने नहीं सीखी।

एक बात और बतलाऊं। बंगले जो पुराने मंत्रियों के पास थे.....।

श्री अधिष्ठाता—२ मिनट से अधिक, आपने ५ मिनट ले लिये हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—तो जो पुराने मंत्री उन बंगलों में थे और नये मंत्री बन जाने के बाद, जो पुराने मंत्री काफी समय तक उन बंगलों में रहते रहे, उन पर कितना खर्चा हुआ? उस खर्चे को भी बचाया जा सकता था। लिहाजा मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह से किफायतशारी नहीं की जा सकती। उसके लिये दूसरे ही तरीके हैं जिनको आपको अपनाना चाहिये। आदर्श की घोषणा करना एक बात है और उन पर चलना दूसरी बात है। आपको चाहिये कि आप अपने खर्चों को रेगुलेट करें। आपको अपने खर्चों का एक स्टैन्डर्ड मेंटेन करना चाहिये, यह नहीं कि कभी ११ हजार है तो कभी ८ हजार हो गया, कभी २ हजार हो गया। माननीय मुख्य मंत्री के वेतन से ज्यादा वेतन आज किसी का भी नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं और जिन माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है उनको धन्यबाद देता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—अधिष्ठाता महोदय, कोरम नहीं है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, कोरम नहीं हो रहा है, सदन को स्थगित किया जाय।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई। इस समय २ बज कर ५१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

***संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)**—अधिष्ठाता महोदय, मुझे उस तरफ के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनकर बहुत दुख हुआ। झारखंडे राय जी के भाषण को छोड़ कर। माननीय विरोधी सदस्यों ने जो आपत्तियां उठाई हैं उनमें यह नहीं कहा गया कि हमने खर्चे बढ़ाये हैं। वे इसलिये नाराज हैं कि हमने खर्चे कम किये हैं। मझे राज नारायण जी की स्पीच सुनकर ताज्जुब हुआ। १९४६ में वेतन १,२०० रुपये था और इनकम टैक्स जो करीब ९१ रुपया होता था वह फ्री था। तो इस तरह से हमने ३०० रुपये कम कर दिये और फिर भी वे यह समझ रहे हैं कि हमने कोई कमी नहीं की। हमारा यह प्रयास है कि हम बड़ी तनख्वाह वालों के वेतन को कम करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

प्रचार की बात जो कही गयी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि प्रचार अच्छी तरह से हो। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी मंशा है कि लोग खर्चे में भी कमी करें। हमने आदेश दिया है कि हर विभाग में ज्यादा से ज्यादा बचत की जाय ताकि वह रुपया और डेवलपमेंट के अच्छे कामों में लगाया जा सके। हमने दिखाने के लिये ही अपने से बचत शुरू की है। मैं यह मानता हूं कि ३०० रुपये की बचत से कोई बहुत बड़ी रकम नहीं बच जायगी लेकिन जो हमारा इरादा है उसकी ओर यह एक संकेत है।

नागर जी ने कहा कि आप आदेश दें दे कि मुख्य मंत्री जी की जो तनख्वाह है उससे ज्यादा किसी भी अधिकारी की तनख्वाह नहीं होगी। अगर यह संभव होता तो आदेश भी दे दिया जाता। आपको मालूम है कि जो हमारा संविधान है उसके अन्तर्गत यह संभव नहीं है। आगे चलकर कभी यह संभव हो सकता है कि मुख्य मंत्री की तनख्वाह से अधिक किसी की तनख्वाह न हो पर आज ऐसा करना न तो आसान ही है और न मुनासिब ही है।

एक बात सभा सचिवों के भत्ते इत्यादि के बारे में उठायी गयी। सभा सचिवों को डेली एलाउन्स वही मिलेगा जो सदस्य होने के नाते उनको मिलता है। उपमंत्री जो हैं—कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है उनको नैनीताल में या यहां से बाहर फ्री मकान देने की कोई व्यवस्था इस बिल में नहीं है। शायद अवस्थी जी को कुछ भ्रम हो गया था। जहां तक अध्यक्ष और सभापति की बात है, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि उनको इस प्रांत में कहीं दौरा करने में कोई रुकावट नहीं है। साधारणतया हम लोग जो दौरा करते हैं वह किसी काम के लिये करते हैं लेकिन सभापति और अध्यक्ष का काम विधान सभा में ही होता है, उनका कोई इस तरह का काम बाहर नहीं होता फिर भी यह बात रखी गई कि अगर कोई सोशल फंकशन्स वगैरह हों तो इस प्रांत में जहां उनकी मरजी हो वहां वे जा सकते हैं और उनको चीफ मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर से कोई आज्ञा नहीं लेनी होती। यदि प्रांत से कहीं बाहर जाने की बात हो तो उसके लिये बजट में प्राविजन करना पड़ता है इसलिये पूछने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जो दूसरे लोग भी जायेंगे उनको भी पूछने की आवश्यकता पड़ेगी।

तो जैसा मैंने ऊपर कहा इस बिल की मंशा यही है कि खर्चे में कमी की जाय। नागर जी और दूसरे साथियों ने कहा कि जो और खर्चे हैं मकान वगैरह के वह बहुत ज्यादा हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने मकानों, मोटरों और हर किस्म के खर्चे में कमी की है। नयी मोटरें साढ़े १२ हजार और साढ़े १० हजार में खरीदी गई हैं। पुरानी जो मोटरें थी उनकी उम्र पूरी हो रही थी। उनमें से कुछ मोटरें एक लाख मील तक चल चुकी थीं और ६० हजार मील से कम चली हुई कोई भी मोटर नहीं थी। इसलिये उनको शीघ्र ही बदलने की आवश्यकता पड़ती। उनको नीलाम कर दिया गया है और औसतन एक मोटर का दाम १५ हजार वसूल हुआ है। इसके अतिरिक्त उन पर पैट्रोल भी ज्यादा खर्च होता था और थोड़े दिनों के बाद उनको वैसे भी निकालना पड़ता। तो छोटी मोटरों को रखने से एक बात तो यह हुई कि नयी मोटरें भी आ गईं और आगे पैट्रौल का खर्चा भी कम होगा।

एक बात मैं यह नहीं समझ पाया कि सदस्यों ने मंत्रियों के सैलरीज के अलावा और खर्चों का एस्टीमेट ६ हजार और तीन हजार कैसे लगाया। जहां तक मोटरों के रनिंग का सवाल है ४०–५० गैलन पैट्रौल माहवार मिला करता है जिसका मूल्य किसी भी तरह १२० रुपये से ज्यादा नहीं होता। फिर मेरी समझ में यह नहीं आया कि किस प्रकार ३ हजार रुपया माहवार हो गया।

इसके अलावा यह भी भ्रम है कि मंत्रियों को भत्ता मिलता है। उनको भत्ता नहीं मिलता है। जब वे बाहर जाते हैं तो जो रेल का किराया होता है वह मिल जाता है और जहां वे जाते हैं वहां सरकारी मोटर आ ही जाती है। इंसीडेंटल चार्जेज, कुलियों वगैरह के २–४ रुपये होते हैं। इसलिये भत्ते से रुपया बचाने की कोई बात पैदा नहीं होती। मालूम पड़ता है

कहीं गलतफहमी है। दावतों को कहा गया तो वह तो मेम्बर साहबान ही दिया करते हैं उसके लिये उनको धन्यवाद दे देंगे। माननीय अवस्थी जी को बता दूं कि रेल का और न मोटर का ही उनको कोई माईलेज मिलता है। इंसीडेंटल चार्जेज किसी भी मिनिस्टर के कुल मिलाकर १५-२०-४० रुपये से ज्यादा नहीं होते। कुली को देना पड़ता है या किसी को टिप करना पड़ता है, वह सब पी० ए० खर्च करता है और उसका हिसाब वह देता है, वही मिल जाता है। उसमें कुछ ज्यादा मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिये ३ हजार की बात कह कर जो और आपत्तियां उठायी गयीं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। अब मैं इससे अधिक कुछ और ज्यादा नहीं कहना चाहता। अलग-अलग जो संशोधन आयेंगे उन पर जो मुझे उस वक्त कहना होगा कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१, को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उ० प्र० अधिनियम संख्या ११, १९५२ की धारा २, ३ तथा ४ का संशोधन।

२---उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ ई० में---

(१) धारा २ में शब्द "बारह सौ रुपये मासिक का शुद्ध (नेट) वेतन दिया जायगा जिसमें इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, १९२२ ई० के अनुसार लिये जाने वाले आय कर सम्मिलित नहीं होंगे" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपया मासिक वेतन दिया जायगा" रख दिये जायं;

(२) धारा ३ में शब्द "सात" के स्थान पर "छह" रख दिया जाय ; तथा

(३) धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"४---अध्यक्ष और सभापति में प्रत्येक को, लखनऊ में उनकी पूरी पदावधि पर्यन्त तथा उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे अन्य स्थान पर, जहां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सत्र हो, सत्र की अवधि के लिये और सत्र से पहले एक सप्ताह तथा सत्र के बाद एक सप्ताह से अनधिक समय के लिये, बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान पाने का अधिकार होगा। उक्त निवास स्थान का रख-रखाव सार्वजनिक व्यय से ऐसे मान (scale) अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं।"

*श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खंड २ के उपखंड (१) की पंक्ति चार में शब्द, 'एक हजार' के स्थान पर शब्द 'पांच सौ' रख दिये जायं, ऐसा संशोधन रखता हूं ।

श्रीमन्, अभी हमारे सामने इस सदन में उपमंत्री जी ने जो बातें बतायीं उनको ध्यान से सुनने के बाद मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी विभाग परिषद् में एक प्रश्न के उत्तर में पिछले मंत्रियों ने ५८-५९ और ५७-५८ में यह बताया था कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों ने इंसीडेंटल चार्जेज या और खर्चे किस रूप में किये। और एक तालिका भी पेश की थी। उस तालिका के आधार पर मैं कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---अवस्थी जी, दूसरा संशोधन भी आप पेश कर दें तो दोनों पर आपको बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---बीच में तो मैं इतना बोल चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---वह उस पर भी लागू हो जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) में शब्द "छह" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जावे।

तो मैं यह कहने जा रहा था कि परिषद् में किसी माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में जो तालिका हमें दी गयी थी उससे हमें यह मालूम हुआ किन्हीं किन्हीं मंत्री क ऊपर वार्षिक इंसिडेंटल खर्चा पांच-पांच और छः छः हजार रुपये तक हुआ है। मेरे हाथ में वह तालिका इस समय नहीं है वरना मैं उससे सब आंकड़े पढ़ कर बतला देता। केवल एक दो मंत्रियों को छोड़ कर यह इंसिडेंटल चार्ज तीन फीगर के ऊपर यानी हजारों में था। मुझे आज अपना संशोधन इस रूप में रखने का हर्ष है कि मैंने यह प्रयास किया है कि ऊंची तनख्वाहों में कमी हो।

यद्यपि यह खंड २ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में है और कुछ सदस्यों की राय रही है कि इनके पदों का मान रखते हुए इनकी तनख्वाहों में कमी न की जाय, मैं उस पक्ष के समर्थन में नहीं हूं। मेरा यह सैद्धान्तिक विश्वास है कि जितने भी ऐसे पद हैं जो विधान सभा से संबंधित है, मंत्री है, अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, इन सब में कुछ आदर्श की बात आनी चाहिये और आदर्श के अनुकूल न केवल उनका वेतन हो बल्कि आदर्श मितव्ययिता के रूप में हो और हर प्रकार से हो। वेतन कम किया जाय, अन्य हर खर्च भी कम किया जाय और जहां तक हो सके रहन सहन और हर बात में कमी करके इस देश की निर्धनता के उपयुक्त व्यवहार किया जाय। जो हमारे सामने खंड २ है, वह केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में ही है और इस कटौती प्रस्ताव के ऊपर मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे, इसी प्रदेश में और इसी स्थान पर बैठने वाले कुछ और गणमान्य सज्जन रहे हैं, जैसे माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जिन्होंने अपनी सादगी का आदर्श इस सदन में रखा है। मेरा उनके वास्तविक जीवन से बहुत कुछ सम्बन्ध रहा है और मैं जानता हूं कि उनका जीवन बहुत सादगी से रहा है। उच्च वेतन प्राप्त होने पर भी उन्होंने अपने जीवन को कभी भी खर्चीला नहीं बनाया। उसी प्रकार से हम कहते हैं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के स्थानों में भी मितव्ययिता करके और वेतन में कमी करके तथा उनके निवास स्थानों के अन्दर काफी सादगी लायी जा सकती है ।

मेरा जो दूसरा संशोधन है वह फिलहाल तो अभी केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये ही लागू है तो इस उपखंड के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि अध्यक्ष के लिये जो १,००० रुपये से घटाकर ५०० रुपये का संशोधन रखा गया है उसी अनुपात में उपाध्यक्ष के लिये भी २५० रु० का रखना उचित होगा। वेतन के बारे में एक लम्बा सा विवाद रहा है और लोगों ने उसे समझने की कोशिश की है। कुछ ने कहा कि सरकार न केवल वेतन कम करे बल्कि आमदनी

पर भी एक उच्चतम और न्यूनतम सीमा लगावे। मेरा मतलब इससे यह है कि हम केवल वेतन में ही कुछ अंकों के द्वारा सीमा नहीं बदलना चाहते बल्कि हमारा भाव आय से है और हर तरह से आय वेतन से या अन्य प्रकार से सीमित हो और उनकी सीमा यह हो सकती है कि वह ५०० रुपया और २५० रुपया रखी जाय। इसके लिये जो कारण दिये गये वे उपस्थित हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि इस शासन के चलाने वालों में सरकार के हिस्से के साथ-साथ आप का हिस्सा भी अवश्य है क्योंकि सरकार में आप का हाथ न होते हुये भी आप ऐसे स्थान पर हैं कि जहां से हम सभी सदस्य एक जिन्दगी सी लेते हैं। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसे आदर्श को लेकर आगे बढ़ें तो कोई वजह नहीं कि मंत्री भी उसको मानने के लिये बाध्य न हों। ऐसी हालत में मेरा जो संशोधन कमी का है जो कि आदर्श का रूप हैं और जो इसी लिये रखा गया है कि यदि आपने इसे स्वीकार कर लिया तो सचमुच मंत्रियों के लिये इस प्रकार की स्थिति आ जायगी कि वे भी उसके लिये अपने को बाध्य सा समझेंगे। इसलिये खंड २ में यह संशोधन और भी आवश्यक है। इससे मंत्रियों को भी अपने वेतन में कमी करने के लिये साहस मिलेगा और वह आगे बढ़ सकेंगे। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन इस संशोधन को स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष--अब पारित होने तक १ घंटा है, उसी हिसाब से कम समय माननीय सदस्य लें तो उचित होगा।

श्री उग्रसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी मंत्री जी ने आम विवाद के के समय अपने वक्तव्य में यह सदन के समक्ष रखा कि हमने तो कुछ वेतन कम किये और विरोधी पक्ष के लोग और खास तौर से नेता समाजवादी दल इससे बुरा मानते हैं। उन्होंने जो आंकड़े सदन में रखे और बताया कि मंत्रियों के वेतन में सन् ५२ और ५७ में क्या कमी की गई वह ठीक नहीं थे। मैं आप को बतलाऊं कि.....

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, कोरम नहीं है, तीसरा मौका है कि घंटी बजती है और आप की यह वैधानिक रूलिंग भी रही है कि अगर तीन बार कोरम न हो सके तो साबित हो जायगा कि सदन इसको पारित करना नहीं चाहता और ऐसी दशा में सदन स्थगित किया भी गया है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं जब यहां उपस्थित हूं तो मेरे मंतव्य को सरकार जानती ही है, मेरा खयाल है कि अब कोरम की कमी न होगी।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर पुनः कार्यवाही आरम्भ हुई।)

श्री उग्रसेन--मैं, सन् ५२ में जब यह विवाद हुआ था तो इस सदन में नहीं था और उस समय हमारे नेता माननीय राजनारायण जी ने कहा था कि पहले भी मंत्री १,५०० रुपया लेते थे जिसमें से इन्कम टैक्स की कटौती होती थी २५० रुपया और वे कुल १,२०८ ही पाते थे, अब १२०० रखे गये हैं तो कौन सा कमाल किया गया है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि आपने यह जो १,००० रखा है उसमें आपने कुछ कमी जरूर दिखलाई है, इस तथ्य को कोई भी माननीय सदस्य आंख से ओझल नहीं कर सकता। दो-चार सौ रुपये की आपने कमी की है। मगर प्रश्न यह है कि नीचे की जो आमदनी है उसमें और बड़ी आमदनी में जो लम्बी-चौड़ी खाई है उसको कहा तक कम किया है। इसलिये अवस्थी जी ने प्रस्ताव रखा है कि ५०० रुपये कर दें, तो पचास फीसदी, जो जमीन और आसमान की खाई है, वह पट जायगी और कुछ समता की तरफ आप जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। मंत्री जी ने कहा कि हमारे जो भत्ते होते हैं उनमें क्यों ज्यादा खर्च होता है। मुझे अच्छी तरह से तो

[श्री उग्रसेन]

नहीं मालूम है लेकिन मंत्री लोग जब दौरे पर जाते है तो कितने टिकट मिलते हैं ? मेरी जानकारी है कि एक कूपे चार सीटों का रिजर्व कर दिया जाता है । उनके साथ बहुत-से लोग भी जाते हैं.....

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)--उग्रसेन जी ने चूंकि एक बात का रेफरेंस दिया तो मैं जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि रेलवे डिपार्टमेंट के अन्दर ऐसा प्रबन्ध है कि जब कोई मंत्री सफर करता है तो उसका प्रोटेक्शन वह अपने ऊपर लिया करते हैं । इसलिये कूपे होता है । टिकट एक सीट का ही देना पड़ता है । अमूमन कूपे होता है तो स्टैनो भी उसी में बैठ जाते हैं।

श्री उग्रसेन--उतनी जगह मंत्री के नाम पर, प्रोटेक्शन के नाम पर खाली जाती है, तो राष्ट्रीय धन की क्षति तो होती है । तो फिर बचत कहां हुई ? मैं तो बर्मा में गया हूं, श्रीमन्, जहां के मंत्रियों का इतना बड़ा घैस्टीली मर्डर हुआ, पांच-पांच मंत्रियों को सेक्रेटेरिएट में मारा गया, कैबिनेट में मारा गया, मैंने देखा उनके साथ केवल रिवाल्वर लिये हुए एक इंस्पेक्टर मात्र रहता था । उनके लिये प्रोटेक्शन का कोई दूसरा इंतजाम नहीं किया गया । आपके बंगलों पर आर्म्ड गार्ड रहती है । आप कहते हैं कि आपकी सुरक्षा की बहुत जरूरत है । मगर जो मतदाता है उसकी सुरक्षा की भी तो जरूरत है । आपने ३६-३७ गांव पर १-२ सिपाही का हल्का बना दिया है । तो खर्चा आपका कम नहीं हुआ । मोटर के पैट्रोल का जहां तक सवाल है, जब चपरासी लोग गाड़ी में बैठकर तरकारी खरीदने जाते हैं तो पैट्रोल खर्च होता है या नहीं ? जब मलिहाबाद से आम लेने के लिये जाते हैं तो उसमें खर्च होता है या नहीं ? वह खर्चा भी तो प्रदेश का ही होता है ।

जब माननीय मंत्री जी एक बंगले में जाकर ठहरते हैं तो सदर का जो तहसीलदार होता है वही इंचार्ज होता है । देवरिया सदर का, आजमगढ़ सदर का, गोरखपुर सदर का, वही इंचार्ज होता है और चार-पांच सौ रुपया खर्च होता है और मंत्री जी के पी० ए० को २ रुपये ६ आने का बिल दे दिया जाता है । तहसीलदार बाद में हम लोगों से रोता है । यह भी जनता के पैसे का अपव्यय होता है ।

श्रीमन्, सन् ४७ में महात्मा गांधी जी ने हरिजन में एक लेख लिखा था कि मंत्री और गवर्नर कैसे रहें । उन्होंने कहा था कि उनको बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में नहीं रहना चाहिये । ऐसे बंगलों में नहीं रहना चाहिए जहां साधारण जनता जाते समय हिचके और जो मंत्री बड़ी-बड़ी सभ्यता, बड़ी-बड़ी किफायतसारी के बड़े-बड़े वादे किया करते थे वह उन्हें भूल कैसे गये । ५०० रुपये का कराची का प्रस्ताव है । सन् ३१ या ३५ में जो प्रस्ताव हुआ था उसमें कितनी महंगाई बढ़ गई है ? अपने वेतन को बढ़ाने के लिये तो महंगाई का अनुमान लगाया जाता है और गांव के चौकीदार का वेतन ५ रुपये से १० रुपये या मिनिमम वेजेज के अनुसार ३० रुपये करने के लिये कहा जाता है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है । थाने का मेहतर ३ रुपये १४ आने पाता है और दरोगा के घोड़े को घास के लिये ४५ रुपया दिया जाता है । यदि कहा जाय कि कम से कम उसके बराबर तो कर दिया जाय तो कहते हैं कि पैसे का सवाल है । कप्तान साहब का घोड़ा ७० रुपया पाता है घास के लिये मगर प्राइमरी का टीचर ३० रु० ही पाता है । अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा । माननीय दीपनारायण मणि जी ने क्षमता की बात कही कि उसका भी प्रश्न होता है। ठीक है । क्षमता के हिसाब से अगर देखा जाय तो इन मंत्रियों का वेतन और कम होना चाहिये । अगर इसकी परिधि बढ़ायी जाय, जैसा कि पहले प्रस्ताव था, अच्छा विधेयक लाया जाता जिसमें लिख दिया जाता कोई मंत्री उद्घाटन के अवसर पर न जाय तो अच्छा होगा । हमने इसीलिये कहा था कि कलेक्टर को हटा दिया जाय क्योंकि वह मंत्रियों के स्वागत में ही लगा रहता है । बर्मा के मंत्री हैं जिसके जूते पर पालिश नहीं होती । मैं वहां प्रधान मंत्री के साथ २५ दिन तक रहा हूं उनके

जूते में पालिश तक नहीं थी, वहां का राष्ट्रपति १,७०० रु० तनख्वाह पाता है। मंत्रियों का भत्ता २०० रु० है उससे ज्यादा नहीं, लकड़ी के मकानों में रहते हैं और अपने ड्राइवर के साथ बैठ कर चाय पीते हैं। तो वह अपने देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने ऊपर खर्च कराते हैं। आप चाहते हैं अपनी छोटी सी कमी का ढिंढोरा पीटें, माननीय शर्मा जी ने कहा कि हम ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, खूब पीटिये।

जनता को खाद्य पदार्थ मिलने की यह हालत है कि यूरप के रहने वाले को एक दिन में कितना कैलोरी फूड मिलता है और यहां क्या मिलता है? दुनिया में सबसे कम खाद्य पदार्थ हिन्दुस्तान के नागरिक को मिलता है। तो आप किस बूते पर अपना वेतन बढ़ा रहे हैं। सेवा ग्राम जैसी कुटिया अगर मंत्रियों की होती, लिपी पुती, साफ सुथरी, महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध की फोटो टंगी होती तो क्या हम जैसे आदमी वहां न जाते मंत्री जी के पास? आप कहते हैं कि बंगले छोड़ दिये। कितने मंत्री यहां बैठे हैं जो उन बड़े बंगलों में रह रहे थे? मकान तो हमारे टूटे हैं, हमारे यहां बरसात के दिनों में बाढ़ आती है तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष--इस मर्तबा वहां भी बाढ़ आयी थी।

श्री उग्रसेन--आयी श्रीमन्, लेकिन बंगले कितने ढहे? एक भी नहीं। मगर इतना तो माना कि बाढ़ से क्या नुकसान होता है। आप अपनी तनख्वाह कम करने का खूब ढिंढोरा पीटिये। लेकिन कभी इसका भी ढिंढोरा पीटा कि देवरिया में २, ३ सालों के अन्दर ३८ आदमी खाने वगैर मर गये। आप देखें इजराइल का प्रधान मंत्री कितनी तनख्वाह पाता है, अरब गणतंत्र में क्या खर्च है। मैं जानता हूं माओ जब राष्ट्रपति था तो उसके पास चन्द ही कपड़े थे। बर्मा के प्रधान मंत्री के पास २, ४ लुंगी और टोपियां ही थीं। वह क्यों कम खर्च करते थे? ताकि अपने देश की गरीबी मिटा सकें। इसलिये मैं अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। माननीय शर्मा जी को तो, जैसा राजनारायण जी ने कहा, एक भी पैसा राजस्व से नहीं देना चाहिये क्योंकि इनकी तो काफी अच्छी है सियत है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं। हमारे साथी उग्रसेन जी ने एक बात कह कर अन्याय किया जिसका न कोई मूल है, न जिसकी कोई जड़ है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसके पहले कि वह यहां अपना संशोधन रखते, अपने नेता के उस संशोधन को जो उन्होंने ५२ में रखा था जरा पढ़ लेते। उसमें उन्होंने स्वयं कहा था कि मंत्रियों की तनख्वाह एक हजार रुपया होना चाहिये। यह बात दूसरी है कि उनकी घर की आमदनी भी आप जोड़ लें। लेकिन आज आप कहते हैं कि उनका वेतन ५०० होना चाहिये। इस तरह से आपके नेता तथा आप में मतभेद है।

इसके अलावा जब मैं समय निर्धारण समिति में गया तो मैंने यह चाहा था कि १ घंटा समय रखा गया लेकिन उग्रसेन जी ने कहा कि १ दिन होना चाहिये। जब पूरे दिन बहस होने लगी तो अवस्थी जी कहते हैं रुपया वेस्ट हो रहा है लिहाजा जब वे कोई बात कहें तो जरा सोच समझ लें। इन शब्दों के साथ मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं मंत्री जी की हवाई बातों का उत्तर देना चाहता हूं। बहुत सी बातें वे राजनारायण जी के मुंह में डाल कर कहना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके शब्द जो उत्तर प्रदेश की कार्यवाही की अनुक्रमणिका, खंड १०२ में हैं उनको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। कृपया मंत्री जी सुन लें "यदि हमारे देश में अधिक से अधिक आमदनी जो एक हजार हो तो कम से कम वेतन १०० होना चाहिये। क्यों? एक मंत्री महोदय हैं। अगर उनकी निजी

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मीन्स आफ इनकम (आय का स्त्रोत) १०,००० मासिक है या १,००० रुपया मासिक है तो मैं समझता हूं कि उन्हें एक पैसा भी नहीं लेना चाहिये। आपको चाहिये कि त्याग और आदर्श की भावना से काम करें।

आपने देखा उनके ये शब्द है। मंत्री महोदय राजनारायण जी के मुंह में झूठ रख कर अपने को सच्चा बनाना चाहते हैं। मैंने राजनारायण जी की बात को अब स्पष्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि आमदनी १ हजार से आगे नहीं बढ़ना चाहिये। आमदनी और वेतन आप समझ लें। वेतन ही आपकी आमदनी नहीं मानी जायगी जब तक कि सभी आमदनियां उसमें न जोड़ दी जायं। वेतन वह है जो वेतन के नाम पर आप खजाने से पायेंगे, उसके लिये राजनारायण जी ने स्पष्ट कहा है कि आप आदर्श रखें और एक पैसा न लें तो भी काम चल सकता है। सरकार अपने प्रस्ताव पर ध्यान दे। कराची का प्रस्ताव तो बहुत प्रसिद्ध है। किसानों की जबान पर चढ़ा है। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित वह था जिसके आदेशानुसार गांधी जी ने कहा था कि वेतन ५०० से अधिक नहीं होना चाहिये। सरकार ने इस तथ्य को सामने नहीं रखा है। फिर मेरा प्रस्ताव तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तथा उप सभापति के वेतन के सम्बन्ध में है। इन पदों पर भी आप आदर्श वेतन नहीं रखना चाहते हैं। इसलिये मैं अपने संशोधन पर पुनः जोर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (१) की पंक्ति चार में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "पांच सौ" रख दिये जायें।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (२) में शब्द "छः" के स्थान पर "दो" रख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय सुखराम दास। मैं चाहता हूं कि आप लोग दो-दो, तीन-तीन मिनट से ज्यादा समय न लें क्योंकि विधेयक ४ बज कर १० मिनट पर समाप्त होना है।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मेरा संशोधन तो शाब्दिक ही है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (३) में प्रस्तावित धारा ४ की पहली पंक्ति में शब्द "सभापति" तथा शब्द "को" के बीच के शब्द "में प्रत्येक" निकाल दिये जायं।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, इसको आप ही देख लें, यह तो शाब्दिक है।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी राय तो दीजिये हमारे किसी नतीजे पर पहुंचने के लिये।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—इसके रहने से या निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री सुखरामदास से) तो आप इसे वापस ले लीजिये, इसको देख लिया जायगा।

श्री सुखरामदास—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***श्री गौरीशंकर राय**—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (३) में प्रस्तावित धारा ४ में शब्द "जहां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सत्र हो, सत्र की अवधि के लिये और सत्र से पहले एक सप्ताह तथा सत्र के बाद एक सप्ताह से अनधिक समय के लिये" के स्थान पर शब्द "तथा ऐसी अवधि के लिये जिसे वह आवश्यक समझें" रख दिये जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह बड़ा स्पष्ट है। इसमें अन्त में लिखा हुआ है कि ये जो सुविधायें हैं वह जैसी सरकार नियत करे उसके मुताबिक मिले। आप थे नहीं मान्यवर, इसकी बहस के सिलसिले में मैंने कुछ आधारभूत बातों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था कि कुछ ऐसी जरूर होती हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार को अधिकार नहीं मिलने चाहियें। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में सरकार नियम बनाये यह कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर मंत्री जी को रहने के लिये स्थान की आवश्यकता हो उसका फैसला तो मंत्री जी करेंगे ही लेकिन अगर अध्यक्ष को रहने के स्थान की आवश्यकता हो तो उसका भी फैसला मंत्री जी ही करेंगे। मैंने पिछली बहस में उदाहरण दिया था पंजाब की विधान सभा और विधान परिषद् का कि वहां सदस्यों के भत्ते आदि के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार अध्यक्ष को और चेयरमैन को है। यहां जो हम यह कर रह हैं कि एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक परम्परा स्थापित हो तो यह नियम बना रहे हैं कि अध्यक्ष के सम्बन्ध में भी नियम बनाने का अधिकार सरकार को हो। यही नहीं, जो और सुविधायें हैं, जिनके बारे में उन्होंने समय-समय पर कहा है कि अध्यक्ष को वही सुविधायें हैं जो एक मंत्री को हैं, लेकिन इसमें अस्पष्ट है जो कि सुविधायें मंत्री के लिये हैं वह अध्यक्ष के लिये नहीं हैं।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि मैंने सुना है कि जो इस संशोधन की आत्मा और भाव है उसको वे मानने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय जगदीश प्रसाद जी आप भी अपना संशोधन साथ ही साथ पेश कर दें तो ठीक हो।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (३) में प्रस्तावित धारा ४ में शब्द "जहां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सत्र हो, सत्र की अवधि के लिये और सत्र से पहले एक सप्ताह तथा सत्र के बाद एक सप्ताह से अनधिक समय के लिये के स्थान पर शब्द "और ऐसी अवधि के लिये जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत करे" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पढ़ने से और इस खंड को देखने से यह प्रतीत होता है कि माननीय अध्यक्ष तथा चेयरमैन के ऊपर कोई ऐसी पाबन्दी लगा दी गयी है जो अच्छी नहीं प्रतीत होती है। उसके बदलने की आवश्यकता है।

दूसरे, जैसा माननीय गौरीशंकर राय जी ने अभी कहा कि मंत्री तथा अध्यक्ष के अधिकारों में या उनके साथ व्यवहार में ऐक्ट में जो एक अन्तर है यह भी अच्छा नहीं मालूम होता। जहां तक मैं समझता हूं सरकार का यह आशय कभी नहीं रहा। सरकार ने वेतन और अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में मंत्री और अध्यक्ष को एक ही प्रकार से देखा है इसलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। माननीय गौरीशंकर राय जी का जो संशोधन है उसमें उन्होंने ऐसा रखा है कि जैसा अध्यक्ष चाहें या चेयरमैन चाहें। इसमें एक बड़ा प्रश्न हो जायगा और फिर हमें यह भी करना पड़ेगा कि जैसा मंत्री चाहें। अगर श्रीमन्, इतनी स्वतंत्रता दे देंगे तो फिर सदन का नियंत्रण नहीं रहेगा। अतः मैंने संशोधन उपस्थित किया है कि जैसा कि नियमों के द्वारा मुकर्रर किया जाय वैसी उनको सुविधा दी जाय।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, जगदीशप्रसाद जी की मंशा है कि सत्र से पहले एक सप्ताह तथा सत्र के बाद एक सप्ताह पीछे, इन शब्दों को हाटाकर नियमों द्वारा सरकार को छट दे दी जाय। मैं इस आधार पर इसका विरोध करता हूं कि नियमों के बनाते समय जो प्रतिनिहित विधायन समिति के सामने जब नियम आते हैं तो दिक्कत पैदा होती है कि लम्बी छूट मिलने से सरकार जैसे चाहे अपने मन के मुताबिक अर्थ निकालकर अपना मतलब निकाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

लेती है। ऐसी अवधि के लिये, इसको सरकार एक महीना डेढ़, महीना कह सकती है। इस लिये इस तरह से छूट दे देने से और भी गलत काम हो जायगा तो इस तरह से प्राविधान करना ठीक नहीं होगा और अनुचित होगा। अगर सदन उचित समझे तो स्पष्ट कर दे और १५ दिन रख दे या महीना भर रख दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन असीमित और अस्पष्ट रूप से सरकार को मनमानी करने के लिये अधिकार देना ठीक नहीं है। इसलिये अधिनियम में कोई संकेत न किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, गौरीशंकर राय जी का जो संशोधन है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं और जगदीश प्रसाद जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं। मूल अधिनियम जो बना है उसमें एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले जो नियम थे उसी के आधार पर यह बनाया गया था क्योंकि अध्यक्ष और सभापति को दौरा नहीं करना होता है। लेकिन जैसा कि जगदीशप्रसाद जी ने कहा कि इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिये। मैं इस बात को मानते हुये इसको स्वीकार करता हूं। आगे वह एक और संशोधन ला रहे हैं तो दोनों एक चीज हो जायेंगी। मैं गौरीशंकर राय जी से प्रार्थना करूंगा कि मैंने दूसरा संशोधन स्वीकार कर लिया है उसको देखते हुये वह अपने संशोधन को वापस ले लें क्योंकि दोनों में एक सामंजस्य सा है।

***श्री गौरीशंकर राय**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे संशोधन के एक भाग को मान लिया है, लेकिन दूसरे भाग के सम्बन्ध में जिसका सम्बन्ध सैद्धांतिक दृष्टिकोण से है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि अध्यक्ष और सभापति प्रदेश में दौरा नहीं करते हैं। वे बहुत ही कम जाते हैं। मेरी समझ में इन दो व्यक्तियों पर जो विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति हैं, विश्वास होना चाहिये कि वह कोई ऐसे काम नहीं करेंगे कि जो उनकी जिम्मेदारी से अलग हो या पब्लिक मनी का नुकसान करें। इसमें केवल सम्मान का प्रश्न है कि सदन के अध्यक्ष के सम्बन्ध में सरकार नियम बनायें। मैं इसको दोहराऊंगा, इस दृष्टि से नहीं कि किसी को हानि होगी या आमदनी घटाने बढ़ाने का प्रश्न है। लेकिन सारा प्रश्न तो यह है कि जैसा पंजाब में दोनों सदनों के अध्यक्षों को अधिकार है कि वह नियम बनायें भत्ता वगैरह के सिलसिले में। अगर हम लोगों के भत्ता वगैरह की व्यवस्था का अधिकार अध्यक्ष को होता तो हम अपने को सुरक्षित समझते, आज हमारा अध्यक्ष ही सरकार के नियमों द्वारा व्यवस्थित हो जायगा। यह सारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिये स्वस्थ बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस स्वस्थ परम्परा को मानने में, बिना खर्चे और बजट पर असर पड़े हुये, सिर्फ हृदय की उदारता इसके लिये पर्याप्त होगी। मैं समझता हूं कि बड़ा साधु, निर्दोष और ऊंचा संशोधन है। इसमें हिचकने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं आनी चाहिये और यदि कोई ऐबनार्मल कठिनाई आ जाय तो उसके लिये सरकार को तैयार रहना चाहिये। सिर्फ एक दो आदमियों को अधिकार देने की बात नहीं है, बल्कि इन दोनों सदनों के सम्मान को बढ़ाने की बात है, मैं समझता हूं कि यह बहुत साधु और निर्दोष संशोधन है। इसको वह मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) में प्रस्तावित धारा ४ में शब्द "जहां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सत्र हो, सत्र की अवधि के लिये और सत्र से पहले एक सप्ताह तथा सत्र के बाद एक सप्ताह से अनधिक समय के लिये" के स्थान पर शब्द "तथा ऐसी अवधि के लिये जिसे वह आवश्यक समझे" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) में प्रस्तावित धारा ४ में शब्द "जहां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सत्र हो, सत्र की अवधि के लिये और सत्र से पहले एक सप्ताह तथा सत्र के बाद एक सप्ताह से अनधिक समय के लिये" के स्थान पर शब्द "और ऐसी अवधि के लिये जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत करे" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सुखरामदास--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (३) में प्रस्तावित धारा ४ की अंतिम पंक्ति में शब्द "नियत किये जायं" के स्थान पर शब्द "नियत किया जाय अथवा किये जायं" रख दिया जाय ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--ये तो शाब्दिक संशोधन हैं । मैं समझता हूं कि "नियत किये जायं" में दोनों बातें आ जाती हैं । वह इसको वापस ले लेंगे ।

श्री सुखरामदास--इसमें एक बचन और बहुचन का फर्क है ।

श्री उपाध्य--प्लूरल में सिंगुलर भी होता है ।

श्री सुखरामदास--वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (३) में प्रस्तावित नई धारा (४) के अन्त में यह शब्द बढ़ा दिया जावे--

"किन्तु यह व्यय विधान सभा के सदस्यों के निवास के प्रयोजनार्थ प्राप्त स्थान के रख-रखाव के व्यय से अधिक नहीं होगा ।"

जो मैंने कुछ थोड़े से शब्द बढ़ाने की कोशिश की है वह केवल मात्र इस लिये जो बड़े और छोटे निवास स्थान दिये जाने का प्राविधान है, सदस्यों को कुछ दूसरे प्रकार का, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति को दूसरे प्रकार का और दोनों के रख रखाव भिन्न भिन्न, दोनों में खर्चा भी भिन्न भिन्न, यह जो अनेक प्रकार की विभिन्नतायें हैं यह दूर कर दी जायं । सोशलिस्ट पैटर्न कांग्रेस का ध्येय है । सोशलिस्ट पैटर्न के लिये कांग्रेस ने कहा है कि सबसे पहले सोसाइटी में शुरू किया जाय । गवर्नमेन्ट सर्किल में गवर्नमेन्ट ने कहा है बाद में देखेंगे । हम कहते हैं कि वेतन में समता, आमदनी में समता, हर चीज में समता होनी चाहिये । कांग्रेस कहती है कि हम यह नहीं करेंगे, इसके करने में हमको डर है । लेकिन इसी सम्बन्ध में कांग्रेस की तरफ से यह इच्छा प्रकट की गई है कि यह आरम्भ कर दिया जाय और यहां वह बात आ जाती है । अगर समता निवासों में कर दी ज य तो मेरी समझ से यह समता का एक बड़ा भारी कदम होगा । क्या आवश्यकता है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उप सभापति को बिना बंगले में रहे चैन न पड़े ? आप देखें कि अभी जो पिछला मंत्रिमंडल था उसके कुछ मंत्री मंत्रिमंडल के विघटन होने पर. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--एक ही मिनट समय आपके पास रह गया है । पौने चार से गिलोटीन हो जायगा । दो मिनट मैं माननीय मंत्री जी को दूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं एक ही मिनट में समाप्त कर दूंगा । तो जो मंत्री पहले बंगलों में रहते थे वह अब हमारे समकक्ष कमरों में रहने लग गये हैं । क ई दिक्कत उन्हें नहीं हुई है । शायद कुछ मनोवैकल्पिक दिक्कत हुई हो, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं हुई है । तो इसी तरह अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उप-सभापति को भी यह मौका दिया जाय कि वह भी हमारे साथ आ जायं तो हम लोग यह महसूस करें कि समता आ रही है ऊपर से नीचे की ओर और नीचे को ऊपर उठा रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––मुझे यह स्वीकार नहीं है। माननीय अवस्थी जी को इतना ही बता देना चाहता हूं कि सदस्यों का जो यहां पर निवास स्थान है वह तो उसी समय के लिये है कि जब यहां सत्र होता है और जो मंत्री और अध्यक्ष और उपाध्क्ष लोग हैं वह तो परमानेंटली यहां रहते हैं। (व्यवधान) जब सत्र नहीं होता तब भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यहां इतना काम होता है, प्रश्नों को देखने का और दूसरे और भी काम उनको करने पड़ते हैं। इसलिये मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी––मैं अपनी बात पर कायम हूं। जो यह कहते हैं कि सुविधा नहीं होती है तो सुविधा अगर गरमी ज्यादा है तो एक पंखा और बढ़ा दीजिये और गर्मियों में खस की टट्टी तो आप लगवाते ही हैं। तो कोई जरूरत नहीं है कि तिमंजिले मकान में ही वह रहें।

श्री उपाध्यक्ष––तिमंजिला कोई मकान है नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) में प्रस्तावित नई धारा (४) के अन्त में यह शब्द बढ़ा दिये जावें––

"किन्तु यह व्यय विधान सभा के सदस्यों के निवास के प्रयोजनार्थ प्राप्त स्थान के रख–रखाव के व्यय से अधिक नहीं होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––अब जो माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं वह थोड़ा सा खड़े हो जायेंगे जिससे मैं जान लूं कि वह पेश करेंगे। उसके बाद फिर मत ले लिया जायगा।

खंड ३

उ० प्र० अधिनियम सं० १०,- १९५२ की धारा २ तथा ३ का संशोधन

३––उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई० में––

(१) धारा २ में––

(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंत्री तथा राज्य–मंत्री को एक हजार रुपया मासिक वेतन दिया जायगा।"

(दो) खंड (कक) निकाल दिया जाय, और

(तीन) खंड (ख) में शब्द "सात" के स्थान पर शब्द "छह" रख दिया जाय, तथा

(२) धारा ३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"(१) प्रत्येक मंत्री तथा राज्य मंत्री को, लखनऊ में उनकी पूरी पदावधि पर्यन्त तथा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य ऐसे स्थान पर भी और ऐसी अवधि के लिये, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञापित करे, बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान पाने का भी अधिकार होगा। उक्त निवास स्थान का रख–रखाव सार्वजनिक व्यय से ऐसे मान (scale) अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं।"

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३(१) की प्रस्तावित धारा २ (क) के परिवर्तित रूप में (क) की पंक्ति दो में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "पांच सौ" रख दिया जावे तथा (तीन) की पंक्ति दो में शब्द "छह" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "जो राज्य सरकार गजट में विज्ञापित करे" के स्थान पर शब्द "जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत करे" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा ३ की उपधारा (१) की अंतिम पंक्ति में शब्द "नियत किये जायं" के स्थान पर शब्द "नियत किया जाय अथवा किये जायं", रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३ (२) में प्रस्तावित नई उपधारा के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं।

"किन्तु यह व्यय विधान सभा के सदस्यों के निवास–स्थान के रख-रखाव के व्यय से अधिक नहीं होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८,-१९५६ की धारा ३ तथा ४ का संशोधन।

४––उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ में––

(१) धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

सभा सचिवों के भत्ते

"३––(१) सभा-सचिव को कोई वेतन नहीं दिया जायगा, परन्तु सार्वजनिक कार्य के सम्बन्ध में उनके लखनऊ में ठहरने की अवधि के लिये उन्हें उतना दैनिक भत्ता दिया जा सकता है जितना राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किया जाय;

प्रतिबन्ध यह है कि ७ दिसम्बर, १९६० के पश्चात् नियुक्त सभा-सचिव, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा अथवा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य हो, सभा सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति के दिनांक से वही वेतन, जो उसे उक्त सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश विधान-मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ के अधीन देय था, प्राप्त करने का उसी प्रकार अधिकारी बना रहेगा मानो यह प्रतिबन्धात्मक खंड ७ दिसम्बर, १९६० से प्रभावी रहा हो भले ही उपर्युक्त अधिनियम की धारा ३ में इसके विपरीत कोई बात हो। उ० प्र० अधिनियम सं० १२, १९५२ ई०

(२) प्रत्येक सभा सचिव अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक, जिसमें पूर्वोक्त निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय, एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (Compensatory Allowance) पाने का अधिकारी होगा ।" और (२) धारा ४ की उपधारा (१) निकाल दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) में प्रस्तावित धारा ३ की उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में रख दिया जाय :––

"प्रतिबन्ध यह है कि ७ दिसम्बर, १९६० के पश्चात् नियुक्त सभा सचिव जो उत्तर प्रदेश विधान सभा अथवा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य हो सभा सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति के दिनांक से वही वेतन जो उसे उक्त सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश विधान मंडल, सदस्यों की उपलब्धियों का अधिनियम, १९५२ के अधीन देय था प्राप्त करने का उसी प्रकार अधिकारी बना रहेगा, मानो यह प्रतिबन्धात्मक खंड ७ दिसम्बर, १९६० से प्रभावी रहा हो भले ही उपर्युक्त अधिनियम की धारा ३ में इसके विपरीत कोई बात हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना व खंड १ तथा ५

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ ।

राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों के वेतन तथा भत्तों और तत्सम्बन्धी विषयों से सम्बद्ध विधियों को संशोधित करने के लिये,

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या ११, १९५२, उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५२, उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५६, उ० प्र० अध्यादेश, संख्या ४, १९६० ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ ई०, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों के (वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई० तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर द्वारा १० दिसम्बर, १९६० को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ते और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६० प्रख्यापित किया गया था,

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम

५—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६०, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गयी अधिनियमिति (enactment) हो। उ० प्र० अध्यादेश संख्या ४, १९६० का निरसन यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५, १ प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal ke Adhikari, Mantri, Up-Mantri Tatha Sabhasachiv (Vetan Tatha Bhatta Aur Prakirna up-Bandha) Bill, 1961] पारित किया जाय ।

मुझे इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना है । एक बार फिर जो सदस्य उधर बैठे हुये हैं, उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो बिल हम लाये हैं वह कमी का बिल हम लाये हैं । उसको कुछ गलत नहीं समझना चाहिये । जिस भावना से उसको लाये हैं, उसी भावना से उसको लेना चाहिये ।

मैं झारखंडेराय जी का कृतज्ञ हूं । उन्होंने हमारी स्प्रिट का समर्थन किया है । हमने कुछ कमी की है । कुछ बढ़ाया नहीं है । उसको समझकर उन्होंने ठीक राय दी है । मैं उनका आभारी हूं । इससे अधिक न कहकर एक बार फिर मैं चाहता हूं कि सदन इसको एक मत से पारित करे ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं । यह सही है कि झारखंडेराय जी ने आंशिक रूप में इसका समर्थन किया है । मैं उसको ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस सरकार को शासन करने का अधिकार दिया है । जिस तरह से यह सरकार चाहे कर सकती है । इस बिल में यह बात कही गई है कि हम किफायतशारी करने के लिये यह बिल लाये हैं । वह विषय तो नहीं है लेकिन अध्यादेश के जरिये से गन्ने के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है और उसको अध्यादेश के जरिये से पुष्ट किया गया है । जिस गन्ने पर हमेशा से ३ गुना आना मन लिया जाता था अब उस संशोधन के जरिये से २५ नये पैसे मन के हिसाब से टैक्स लिया जायगा । एक आना प्रतिमन की उसमें बढ़ोत्तरी की गई है । अब यह सरकार एक आना टैक्स बढ़ाकर उनसे वसूल करेगी । यह किफायतशारी के नाम पर किया जायगा । इसमें आपने कौन सी कमी की, उलटे जनता के ऊपर टैक्स लाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

दिया। मैं इसलिये इसका विरोध करता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता का या भारत की जनता का कोई मापदंड तो होना चाहिये। इस प्रदेश के शासक, तथा प्रदेश के कर्मचारी बड़ा भारी पारितोषिक लें सेवा करने के लिये तो फिर जनता का लाभ कैसे होगा? अगर मंदिर का पुजारी मंदिर का सारा सामान खा जाय, अगर पहरा देने वाले खजाने का माल हड़प जायं तो खजाना चौपट हो जायगा। वहां पर जनता के लिये कुछ बच नहीं जायगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सराकार की तरफ से हमको एक पुस्तिका हर साल मिलती है "उत्तर प्रदेश आंकड़ों में" जिसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता की प्रति व्यक्ति आमदनी १९२. कुछ आने हैं। और उसी प्रकार एक संसद सम्मेलन की पुस्तिका भी बंटी। उसमें उत्तर प्रदेश की जनता की आमदनी पिछले ९ वर्षों में २५८ रुपये सालाना से बढ़ कर २५९.२ रुपये हो गयी है। जहांतक राष्ट्रीय आमदनी का ताल्लुक है पूरे भारत की, वह २९३ रुपये सालाना है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस देश की जनता की पर कैपिटा आमदनी, एक नागरिक की हैसियत २९३ रुपये प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आमदनी के आधार पर हो और उत्तर प्रदेश की आमदनी २५८ या २५९ रुपये सालाना हो, उस देश के शासन, सेवक, कर्मचारी को सेवा करने के बदले में कितना मिलना चाहिये? यह एक बुनियादी प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, जिसे मैं आप के जरिये इस सदन के सदस्यों से पूछना चाहता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश की भलाई और कल्याण कभी इस प्रकार के काम करने से नहीं हो सकता। जब तक किसी आर्थिक आधार पर हम ऐसी कोई नीति न निर्धारित करें कि इस देश में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वेतन क्या दिया जाना चाहिये तब तक कोई खास फायदा होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है और बहुत नम्रतापूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितनी है उसकी पर कैपिटा आमदनी है साढ़े २१ रुपया प्रति महीना। जिस प्रदेश के मालिक की हैसियत साढ़े २१ रुपये महीने की हो उसका शासक १,००० रुपया मासिक ले, क्या यह जायज है? क्या यह आप उचित समझते हैं? और इस प्रकार का वेतन लेकर जनता के कल्याण और किफायतशारी के नाम पर जैसा बिल आप लाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि वह अनुचित है। मैं चाहता हूं कि यहां की आमदनियों में कुछ अनुपात हो....

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)--२०० रुपया मासिक आप किस हिसाब से लेते हैं?

श्री ब्रजनारायण तिवारी--हम विधायक हैं, हमारा अधिकार है कि कानून में परिवर्तन कर के हम उसे चाहे जैसा बना दें। मैं यह चाहता हूं कि हम और आप, सब मिलकर एक ऐसा अनुपात तय करें कि अधिक से अधिक मासिक वेतन किसको क्या दिया जाना चाहिये।

वेतन के बाद भत्ते वगैरह का मामला बड़ा गोल है। यह कम से कम भी हो सकता है और अधिक से अधिक भी। मेरा निश्चित सुझाव है और मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी तथा आदरणीय सदन से आग्रह करूंगा कि वे जरा इस देश की दुर्दशा को देख लें। नार्वे भी एक देश है। वहां के प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर चलते हैं, यहां आप छोटी मोटरों पर चलेंगे, पहले बड़ी मोटर पर चलते थे। यह क्या खाकसारी है? क्या यह देशभक्ति है? जब आप स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये लड़ रहे थे उस समय एक पैसा माहवार भी आपको आमदनी नहीं थी, लेकिन जब आप ने शासन करना शुरू कर दिया तो आप का पेट एक हजार रुपये महीने और भत्ते वगैरह से कम में नहीं भरेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप इस देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो समाजवाद का मतलब यह नहीं होता कि जिस देश की जनता की आमदनी इतनी हो कि जिसमें वह अपनी रोटी भी न चला सके और उस देश का शासक कहिये, स्वयंसेवक कहिये या जनसेवक कहिये, वह माहवार इतना वेतन ले कि जिससे जनता की कमर ही टूट जाय। मैं समझता हूं कि समाजवाद का काम तो आमदनी के बटवारे में समानता लाना है। आज १३ साल के पुराने शासन में और दो पंचवर्षीय

योजनाओं की समाप्ति के बाद भी हमारी जनता का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा है, बल्कि वह कुछ नीचे ही गया है और इस देश में जो व्यक्तिगत पूंजीवाद है, जो कुछ थोड़े से स्वार्थी हैं उनकी आमदनी बढ़ी है। जनता की आमदनी घटी है और इसलिये इस आधार पर मैं सरकार से चाहूंगा कि वह कुछ अनुपात तो रखे।

भूमि की सीलिंग को ही यदि हम एक बुनियादी आधार मान लें तो ४० एकड़ भूमि ५ आदमियों के परिवार के लिये है। मैं निश्चित इस राय का हूं कि चाहे वह व्यक्ति किसी भी पोस्ट पर काम करने वाला हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मिनिस्टर हो, कर्मचारी हो, निश्चित होना चाहिये कि वह कितना ले। एक व्यक्ति जो ५ आदमियों के परिवार में रहता है, उस परिवार में जो ४० एकड़ भूमि की आमदनी पर जिन्दा रहता है, उसकी आय को ५ आदमियों में विभाजित करने के बाद जो एक व्यक्ति की आय होती है उस से अधिक आमदनी किसी प्रकार भी किसी सेवक को राष्ट्रीय कोष से नहीं देना चाहिये चाहे वह किसी भी पोस्ट पर काम करता हो।

श्री उपाध्यक्ष--और लोग भी बोलना चाहेंगे, आप शीघ्र अपनी बात को समाप्त करें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं कि इस पर सीलिंग होनी चाहिये। आज सारे प्रदेश की आमदनी मुट्ठी पर लोगों के हाथ में जा रही है। जब आप इसको नहीं रोक सकते, तो आप की सारी योजनायें बेकार होंगी, यह सारी बचत आपकी एक ढोंग होगी। जो हमारी औसत आमदनी है, उससे वे २० गुना अधिक ले लें। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप अपनी स्टेट को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपनी योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं, तो जो आज यह बीच की खाई है इसको किसी प्रकार से कम कीजिये। ऐसा करने पर ही आप की डेमोक्रेसी सफल हो सकती है। इसी से आप एक सच्चे समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। आज १३ वर्ष का जमाना बीत गया हमें स्वतंत्र हुये, कहीं कोई स्पष्ट नक्शा हमारे सामने नहीं रखा गया।

(इस समय ३ बज कर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, अधिक से अधिक उससे २० गुना तक जो हमारे शासक हैं ले लें। इससे अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये। आज आप देखते हैं कि इस तरफ कोई सीलिंग नहीं की गयी है और जो इसका नतीजा है वह आप के सामने है। आज मिनिस्टरों के नाम पर, कानून के नाम पर, ग़रीब जनता लुट रही है और देश तबाह होता जा रहा है। आज जो खाई इस समय हमारे बीच में है, इसको पाटने की जरूरत है। देश के ऊपर उठाने के लिये हमें इस असमानता को दूर करना होगा। लेकिन खेद है कि इस ओर आज तक इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह सरकार टिक नहीं सकती और इस देश में पाकिस्तान की तरह यहां पर भी कोई अयूब पैदा होगा। इस प्रकार का ढोंग दिखा कर जनता को अंधेरे में अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। प्रदेश की गरीबी को मिटाने का आज एक ही तरीका है कि आप इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार करें, सोचें और आप अगर इस देश में जिन्दा रहना चाहते हैं तो दूसरों को भी जिन्दा रहने दें। आज इस देश की आमदनी का फायदा कुछ ही लोग उठा रहे हैं। आपके कानूनों के जरिये उसका फायदा मुट्ठी भर लोग ही उठा रहे हैं। यदि वास्तव में आप जनसेवक हैं, तो आज इस विषमता को दूर कीजिये। जनता के वोट से आज आप मिनिस्टर हैं, एक जमाना यह भी था कि दर-दर की यह लोग ठोकर खाते थे, कोई पूछता नहीं था। आज ऐसे कितने ही मिनिस्टर बाजारों में घूमते हैं जिन्हें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मगर जब ट्अर पर जाते हैं तो उनके लिये सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाता है। आज यह सरकार केवल टाटा और बिरला जैसे लोगों की सुरक्षा करती है जनता की सुरक्षा नहीं। यह सरकार टाटा और बिरला की मैनेजर है, गरीबों की नहीं।

श्री अध्यक्ष—(कुंवर श्रीपालसिंह से) अब आप को केवल ५ मिनट ही मिलेंगे। ४–१० तक इसको समाप्त होना है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, कहने के लिये तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर मैं जैसी कि आपकी आज्ञा है, केवल कुछ बातों की ही चर्चा करूंगा और अपने थोड़े से विचारों को आपके सामने निवेदन करूंगा। इस विधेयक के ले ३ ाने के जहां तक मैं समझता हूं दो कारण ही हो सकते हैं, एक कारण तो जैसा कि तमाम लोगों ने कहा कि प्रचारात्मक हो सकता है और दूसरा कारण मितव्ययिता का जैसा कि सरकार की ओर से कहा जाता है। पहला कारण प्रचारात्मक तो इसलिये ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि कटौती का सिलसिला पहले इधर से शुरू किया गया। पहले उपाध्यक्ष महोदय ने तनख्वाह में कमी करके दिखलाई और विरोधी दल के नेता, इस सदन के और उस सदन के, उन्होंने कमी कर के निवास प्रतिकर न लेकर दिखलाई, इसलिये सरकार अगर यह सोचती है कि इस कमी करने का प्रचारात्मक लाभ वह उठायेगी, यह सम्भव नहीं है क्योंकि जनता यह समझेगी कि पहले तो इधर से की गई है। इसलिये इसका जो प्रचारात्मक पहलू है वह किसी काम का नहीं रहा। इस नीति से अगर वह लाये हैं तो उन्होंने ग़लत सोचा है।

अब जो दूसरा कारण मितव्ययिता का कहा जाता है उसके लिये मैं थोड़े से आंकड़े पेश करूंगा जो कि १९५९ की आडिट रिपोर्ट बतलाती है। इस प्रकार से सौ पचास रुपये तनख्वाह में कम करने से कोई मितव्ययिता नहीं हो सकती। श्रीमन्, इस किताब में ऐसे ऐसे आइटम्स हैं जिनके लिये सरकार की तरफ से हजार रुपये की मंजूरी थी लेकिन उन पर खर्च किया गया १५ हज़ार। तो आप देखें कि यह एक तरफ सौ रुपये की बचत करते हैं और दूसरी तरफ फिजूलखर्ची करते हैं हज़ारों में। इस पुस्तिका के पृष्ठ १४ पर है कि एक बांध के उद्घाटन के लिये एक मन्त्री जी गये। सरकार की ओर से नियत किया गया है कि किसी उद्घाटन के कार्य पर एक हज़ार से ज्यादा खर्च न किया जाय लेकिन श्रीमन्, वहां कुल १५,६२३ रु० खर्च किये गये। इसी प्रकार से एक दो नहीं मैंने बीसों उदाहरण इसमें नोट कर के रखे हैं लेकिन चूंकि समय कम है इसलिये मैंने एक नमूना ही आप के सम्मुख रख दिया कि इस प्रकार से मितव्ययिता के नाम पर तनख्वाह कम कर के कुछ काम नहीं हो सकता सिवाय इसके कि एफीसिएन्सी में कमी आ जाय। श्रीमन्, कोई बढ़िया चीज़ अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आप को दाम ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप कम दाम देंगे तो घटिया चीज़ मिलेगी। आज आप देखें कि हमारे भारतवर्ष में और खास कर उत्तर प्रदेश में सब से घटिया समाज का स्टफ कहीं भी आता है तो राजनीति में आता है। क्योंकि इसमें अब देशभक्ति का प्रश्न नहीं रह गया है जैसा कि जब अंग्रेजों का राज्य था, तब था। उस वक्त देश के चुने हुए मस्तिष्क राजनीति में आते थे, देशभक्ति के नाते। लेकिन अब राजनीति भी एक पेशा हो गया है, जो यहां आते हैं वह इस नीयत से आते हैं कि हमें अपनी जीविका चलाना है। यह मैं ९८ प्रतिशत लोगों के बारे में कह सकता हूं कि वे इसी नीयत से आते हैं। अगर तनख्वाहों में कमी की गयी तो हमारी एफीशियेन्सी में कमी होगी और देश के चुने हुये ब्रेन हमारे हाथ से निकल जायंगे। मैं माननीय मंत्री जी से और अवस्थी जी से भी यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे अपने लड़के के लिये यह चाहेंगे कि वह राजनीतिज्ञ उनकी तरह से हो या डाक्टर हो, इंजीनियर हो या वकील हो या किसी और बड़ी नौकरी पर हो। सब लोग कोई न कोई सर्विस ही दिलाना चाहते हैं क्योंकि उसमें अधिक पैसा मिलता है। आज हमारे मुख्य मंत्री जी की जो तनख्वाह है उससे अधिक तो पुराने रेलवे के ड्राइवर को मिलती है। अब आप इस दृष्टिकोण से देखें तो आप विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार से देश के बढ़िया ब्रेन आप को मिल सकते हैं। क्या आप गोपाल स्वरूप पाठक से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह मुख्य मंत्री पद के लिये आयेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरी एफीशियेन्सी ही शासन की गिर जायगी।

ये अपनी तनख्वाह घटायें या बढ़ाये जाने के लिये चाहे जो कुछ करें, चाहे वह कुछ भी न लें और चाहे राज्य का सारा धन ही ले लें लेकिन ये हमारे अध्यक्ष महोदय की तनख्वाहों में कमी

क्यों करते हैं ? इस प्रकार बचत के नाम पर धीरे-धीरे, चुपके-चुपके हाथ फैला कर पूरी विधान सभा को ही समेट लेना चाहते हैं ।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा——अध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक बातें तो पहले ही कह चुका हूं लेकिन राजा साहब ने जो २–४ बातें कहीं उनके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पुराने खर्चों के बारे में जो उन्होंने कहा उसका तो इस समय ज्ञान है नहीं लेकिन इस प्रकार तनख्वाहों को कम करने से हमारा इरादा केवल खर्चों में कमी करने का है । हम कोई भी खर्चा ऐसा नहीं करना चाहते जो नहीं होना चाहिये । हर खर्चे में, हर जगह ज्यादा से ज्यादा कमी हम करना चाहते हैं और डेवलपमेंट के काम में ज्यादा से ज्यादा रुपया लगाना चाहते हैं । यह हम जो १,५०० से १,००० तनख्वाह ले आये, इसमें दो चीजें हैं । एक तो इससे खर्चा कम होगा । दूसरे उससे, हम यह भी बताना चाहते हैं और अधिकारियों से कहते हैं कि जहां भी खर्चा कम कर सकें, करें । यानी अपने हाथ में जो खर्चे हैं उनको हम कम करेंगे और दूसरों से चाहेंगे कि वे सभी संभव खर्चों में कमी करें और ज्यादा से ज्यादा रुपया बचा कर तीसरी योजना के कार्यों में लगायें । मैं आशा करूंगा कि माननीय अवस्थी जी भी इसको इसी दृष्टि से देखें । इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

†उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)——अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह विधेयक एक बहुत छोटा-सा विधेयक है । जो हमारा पंचायत राज अधिनियम था, उस अधिनियम में एक संशोधन हुआ था जिस संशोधन का यह प्रभाव हुआ कि जो व्यक्ति भी मतदाता की सूची में अंकित हैं, जिनका नाम उसमें दर्ज है, वे सब उम्मीदवार होने के योग्य होंगे और उम्मीदवार हो सकते हैं । किन्तु एक दूसरे स्थान पर अधिनियम में एक धारा है जिस धारा के अनुसार यह कहा गया है कि कुछ लोग हैं जो खड़े होने के लिये अधिकारी नहीं होंगे । उनको अनर्ह कर दिया गया है । यह धारा है ५–ए जो इस प्रकार है :

"A person shall be disqualified for being chosen, nominated or appointed to, and for holding any office in the Gaon Sabha or the Gaon Panchayat, or the Nyaya Panchayat constituted under section 42, if he—

(*a*) is for the time being not a member of the Gaon Sabha concerned,

(*b*) holds any office of profit under a State Government or the Central Government or a local authority (other than a Gaon Sabha or Nyaya Panchayat),

(*c*) is a salaried servant of a Gaon Sabha or a Nyaya Panchayat,

(*d*) has been dismissed from the service of a State Government, the Central Government or a local authority or a Nyaya Panchayat for misconduct,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†१७ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री कैलाश प्रकाश]

(*e*) is in arrears of any tax, fee or rate due by him to the Gaon Sabha for such period as may be prescribed,

(*f*) is suffering from leprosy,

(*g*) is an undischarged insolvent,

(*h*) has been ordered to give security for good behaviour under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898."

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--

And what about those who act as sychophants ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, तो इस श्रेणी के व्यक्तियों को अब तक अनर्ह कर दिया गया था कि वे उम्मीदवार नहीं हो सकते। किन्तु जो धारा पहले इस चीज़ के लिये रखी गयी है वह इस समय अधिनियम में नहीं थी। जब चुनाव कराने का अवसर आया तो यह वैधानिक कठिनाई सामने उपस्थित हुई और एक वैधानिक कठिनाई को ठीक करने के लिये आवश्यक हुआ कि अधिनियम में कुछ संशोधन किया जाय। जो विधेयक इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसमें इस बात का प्राविधान किया गया है ।

दूसरा प्राविधान यह किया गया है कि गांव सभाओं के निर्वाचन में किस तरह से मतदान होगा। इस चीज को भी स्पष्ट रूप से इस में रखा गया है। पहले यह विधान नियमों के द्वारा किया जाता था किन्तु अब कानूनी सलाह हमें इस तरह की मिली कि अच्छा हो इस चीज को हम अधिनियम में ही ले आयें और नियमों में न रखें। केवल यही छोटी-सी दो चीज़ें हैं कि जिन के कारण यह संशोधन यहां लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में, प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी की बात है कि जब सरकार कोई पिछली गलती कर चुके और उसके बाद फिर कभी उसका मूल सुधार करने का सदन में कोई बिल लाये, मैं इसका विरोध नहीं करता बल्कि मैं तो विरोध इस बात का करता हूं कि इस देश की और इस प्रदेश की भाषा हिन्दी घोषित की जा चुकी है और यह पंचायत राज का जो ऐक्ट है वह शुरू से आज तक अंग्रेजी में ही रहा है और इसका संशोधन भी आज अंग्रेजी में ही आया है । जब कभी भी देहात की ग्राम सभा के सभापति और उनके सदस्य किसी बात की जानकारी साधारणतया करना चाहते हैं तो इस पंचायत राज ऐक्ट को पढ़े लिखे लोगों के पास ढूंढ़ कर पढ़ाने ले जाते हैं और वह अपना मत उनको बताया करते हैं। उन को इस बात की सुविधा नहीं है कि वह उस को अपने आप शुरू से आखिर तक अपनी भाषा में समझ सकें। सब से बड़ी बात यह होती और बड़ी खुशी की बात होती अगर इसमें यह संशोधन भी होता कि सारे पंचायत राज ऐक्ट का अनुवाद कर के उसे सदन में हिन्दी में लाया गया होता और तब उसमें यह संशोधन हिन्दी भाषा में लाये जाते। मैं समझता हूं कि जैसे पिछली भूल का सुधार वह आज इसके द्वारा करने जा रहे हैं, हो सकता है कि अगली बार फिर वह वेतन में कटौती लायें तो वह साथ में हिन्दी में इस अधिनियम का अनुवाद भी ले आयें ।

इसके सम्बन्ध में मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि वोटर अब वही होगा जिसका नाम वोटर लिस्ट में होगा। यह क्या संशोधन हुआ ? यह अंग्रेजी में है, मैं इतना ही समझ पाया हूं, अगर गलत हो तो मंत्री जी मुझे बता दें। इसका यही आशय है कि जिस का नाम वोटर लिस्ट में होगा वही वोट दे सकेगा और जिसका नाम उसमें न होगा उसे वोट देने का अधिकार न होगा।

यह तो कामनसेन्स की बात है कि अगर लिस्ट में नाम न होगा तो कोई भी वोट नहीं दे सकता। सन् ४९, सन् ५६ और सन् ६१ के पंचायत इलेक्शन में कभी भी कहीं भी आज तक किसी भी मतदाता ने जिसका नाम लिस्ट में नहीं रहा वोट नहीं दिया तो अब यह सन्देह उनको कैसे हो गया। बात यह थी कि उनको एक यह सन्देह था और कहा भी है अपने उद्देश्य और कारणों में कि "यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ अंतिम बार अगस्त, १९६० में संशोधित किया गया था। यह अनुभव किया गया कि उक्त ऐक्ट की धारा ९ की उपधारा (२) की, जो उस समय बढ़ायी गयी, शब्द-रचना उपयुक्त न थी।" इस शक के ऊपर यह लाया गया। इस सम्बन्ध में कोई भी संदेह न रह जाय इस उद्देश्य से उक्त धारा को संशोधित करना आवश्यक समझा गया।

मगर इसमें कई संदेहास्पद बातें रह जाती हैं। इस संशोधन के आगे, पीछे, दायें, बांये, जो अंग हैं वह सब छूट गये। इस बात की ओर सरकार का ध्यान कभी नहीं गया कि वोटर लिस्ट कैसे बनती है। आपकी आज्ञा से मैं मंत्री जी को बता दूं कि पंचायत में दो रजिस्टर होते हैं। एक कुटुम्ब रजिस्टर, भाग नम्बर एक होता है। उसमें जो बालिग होते हैं वह भाग नम्बर दो में लाये जाते हैं और वही वोटर लिस्ट बन जाती है। इसमें इतना अनर्थ हुआ कि ग्राम सभाओं के इलेक्शन के टाइम पर जिन विधायकों ने स्वयं अपनी आंखों से जो दृश्य देखा है वह असहनीय है। कुटुम्ब रजिस्टर जो मेन्टेन किया जाता है गांव सभाओं की पंचायतों में उसमें जितने बालिग व्यक्ति होते हैं वही वोटर लिस्ट में आ सकते हैं। इसके बजाय हुआ क्या है? एक उम्मीदवार ने ५० नामों की लिस्ट दस्तखत करके दे दी कि यह वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा दिये जायं। वह कुटुम्ब रजिस्टर में है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं। यहां से डायरेक्टर, पंचायत राज को आर्डर चला जा रहा है कि फलां तारीख तक बढ़ा दिया जाय। इलेक्शन के २४ घंटे पहले तक वोटर लिस्ट बढ़ाई जाती रही है और यहां तक कि जब वोट पड़ रहे थे उस वक्त तक पर्चे पहुंचते गये और मतदान होता गया। उसमें यह भी हुआ कि अगर एक पक्ष की तरफ कहीं ए० डी० ओ० पंचायत कुछ थोड़ा-सा मुखातिब हो गया तो दूसरे पक्ष की दरख्वास्तें रख लीं, और जिसको चाहा जिता दिया, जिसको चाहा हरा दिया।

वोटर लिस्ट के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं थी कि कब शुरू होगी और कब अन्त होगा। बहुत से फेमिली रजिस्टर में ऐसे बालिग रह गये जिनका नाम ही नहीं गया वोटर रजिस्टर में। कुटुम्ब रजिस्टर में उनका नाम बालिग में मौजूद है, लेकिन भाग नं० २ में वह नाम नहीं गया, और बहुत से ऐसे नाम गये जो किसी कुटुम्ब में नहीं हैं, कोई हाउस नम्बर नहीं है, कुछ पता नहीं है इस प्रकार लिस्ट बनाई गई। इस प्रक्रिया के कारण कितनी ही फौजदारी हुई, कितने ही कत्ल हुये। लखीमपुर में एक सभापति ने, चूंकि वह जोरदार आदमी था, ए० डी० ओ० पंचायत से अपनी लिस्ट कसकर खूब बढ़वा ली और सैकड़ों वोट से वह जीत गये और चार-पांच दिन हुये अभी उनका कत्ल भी हो गया। ए० डी० ओ० पंचायत ने उसकी इस मामले में मदद की और उसको जिताने का प्रयास किया तो ऐसे भी कृत्य हुये। कहने का अभिप्राय यह है कि यह जो भाग नं० १ कुटुम्ब रजिस्टर है, इससे ही भाग नं० २ वोटर लिस्ट बने, ऐसा कोई प्रतिबन्धात्मक संशोधन इसमें नहीं आया। जितने कुटुम्ब हैं गांव में, उनमें जितने बालिग हैं वही मतदाता हो सकते हैं, इनके अतिरिक्त नहीं हो सकते, ऐसा संशोधन इसमें नहीं आया। इस प्रकार का संशोधन आना आवश्यक था।

दूसरी बात, जब भाग नं० १ में वह कुटुम्ब मौजूद है और सन् ५६ के इलेक्शन में वह सभापति हुआ और चूंकि भाग नं० १ में उसका कुटुम्ब था इसलिये भाग नं० २ में उसका नाम आया, तब वह उम्मीदवारी के लिये खड़ा हुआ और सन् ५६ में सभापति चुन लिया गया और ५ साल तक सभापति रहा। मगर १९६१ की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं। इसलिये क्योंकि वह विजयी होने वाला था, उसने ५ साल ईमानदारी से काम किया था, गांव के लोग उससे प्रभावित थे लेकिन दूसरे पक्ष ने ए० डी० ओ० पंचायत से मिलकर उसका नाम वोटर लिस्ट से खारिज करवा दिया। यदि यह प्रतिबन्धात्मक संशोधन होता कि जो फैमिली उस गांव में रहती हैं उस फैमिली

[श्री शिवप्रसाद नागर]

का कोई भी बालिग वोटर लिस्ट में आने से नहीं रह जायगा तो निश्चय ही उस पुराने सभापति का नाम वोटर लिस्ट में आता । इसलिये ऐसा संशोधन आना आवश्यक था ।

एक बात और बताऊं, एक सुझाव देना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट बनने की प्रक्रिया पंचायत राज ऐक्ट में रद्द कर दी जानी चाहिये । कौन-सी प्रक्रिया लानी चाहिये यह मैं बताता हूं । १९६० में वोटर लिस्ट असेम्बली इलेक्शन की सारे इलेक्शन आफिसेज में सब जिलों में तैयार हो गयी और तैयार होकर उसकी २, २ प्रतियां प्रत्येक पार्टी दफ्तरों में भेज दी जा चुकी हैं और जितने भी बाई इलेक्शंस असेम्बली के होते हैं वे उन लिस्टों से होते हैं जो १९६० में तैयार हुई हैं । इस बीच में जो टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन होते हैं उन्हीं लिस्टों से खंड निकाल लिया जाता है और चुनाव कराया जा रहा है । जो १९६२ के लिये असेम्बली इलेक्टोरल रोल तैयार हो गये हैं उसी के आधार पर मेरे यहां तीन टाउन एरियाज का चुनाव कराया गया । तो कोई वजह नहीं है एक साल पहले असेम्बली इलेक्शन के पंचायत इलेक्शन असेम्बली की तैयार-शुदा लिस्ट से क्यों न कराये जायं ? मेरा सुझाव है कि असेम्बली इलेक्टोरल रोल जब तैयार हो जता है तो उसी से ग्राम-सभापति का चुनाव कराया जाना चाहिये । जो संशोधन उसमें हो वह इलेक्शन आफिस में हो और कोई एक मियाद मुकर्रर होनी चाहिये कि इलेक्शन की तारीख से १५, २० दिन या १ महीना पहले तक क्लेम आबजेक्शन्स एंटरटेन किये जायेंगे और उसके बाद कोई क्लेम आबजेक्शन्स एंटरटेन नहीं किया जायगा । तो कहीं कोई मेंड़बंदी नहीं है । मेरे दो सुझाव हैं कि एक तो इलेक्शन के पहले कोई मियाद मुकर्रर होनी चाहिये कि इतने दिन तक क्लेम आबजेक्शन एंटरटेन किये जायेंगे और दूसरे असेम्बली की तैयारशुदा इलेक्टोरल रोल से ही जो कि अगले चुनाव के लिये है, ग्राम पंचायतों का चुनाव कराना चाहिये । इन सुझावों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, जो संशोधन नागर जी ने रखा है उसमें यह भी रखा गया है कि इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्रवर समिति को रहे । अतः मैं प्रस्तुत पंचायत राज विधेयक में जो गुत्थियां हैं और जो कटु अनुभव हमको चुनाव में महसूस हुये उनकी ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा ताकि जब यह विधेयक प्रवर समिति में जाय तो उस पर भी विचार करे और अपने संशोधन रखे ।

पंचायत राज का चुनाव पूरे ५ साल के बाद हमारे सामने आता है और इस समय पूरा पंचायत राज ऐक्ट एक कसौटी हो जाता है । तो हमको यह दिखाई पड़ा पंचायत राज अधिनियम एक खोखला नियम रहा और इसमें इतने ज्यादा नुक्श दिखाई पड़े कि पंचायत के चुनाव में, अगर मैं ज्यादा नहीं कह सकता, तो सैकड़ों आदमी मरे । वे मृत्युयें बड़ी वीभत्स रूप में हुईं । गोलियां चलीं, कांते बल्लम चले इससे देश में बड़ा भयावह वातावरण पैदा हो गया है । लोग यह समझने लग गये हैं कि पंचायतों क चुनाव-प्रणाली ही अनुचित है । ऐसी भावना इस भय से पैदा हो गई है विशेष तौर से पंचायत राज के अन्दर कि सरकार उस में आमूल परिवर्तन करने की बात नहीं सोच रही है जिसका करना वांछनीय है ।

सर्वप्रथम हम लोगों को सरकार से यह बड़ी आशा थी कि सरकार इन चुनावों को निष्पक्ष कराने के लिये सबको सविधा देगी । इसके लिये इस बात की आवश्यकता थी कि जितने मतदान हों गुप्त प्रणाली द्वारा हों । ज्यों-ज्यों हम गांवों में पंचायत प्रणाली को अपनाने लग गये हैं त्यों-त्यों हम यह समझने लग गये हैं कि पंचायत प्रणाली से हम गांव का शासन चला सकेंगे और अन्त में एक यह भी विकेन्द्रीकरण की कड़ी होगी जिसमें बैठ कर हम अपना सुधार कर सकेंगे । आज वहां लोगों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो गई है और उनमें स्वाभिमान पैदा हो गया है और कार्य करने की इच्छा भी पैदा हो गई है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप यह देखेंगे अगर सरकारी आंकड़ों को लिया जाय कि २५ फीसदी तो निर्विरोध चुनाव हुये और ७५ फीसदी में चुनाव द्वारा निर्वाचन करना लोगों ने पसन्द किया। कुछ लोगों ने पसन्द किया कि निर्विरोध चुनाव हों तो अच्छा है लेकिन जनतांत्रिक प्रणाली के लिये अच्छा यही है कि जनमत हो, जनता अपनी भावना को व्यक्त करे। लेकिन इसमें एक दोष था। ज्योंही लोग आगे बढ़े उन्हें यह दिखाई दिया कि हमारे लिये यहां खतरा भी है। सदस्यों के चुनाव के समय गुप्त प्रणाली का न होना ऐसी बात थी आज सन् १९६० में भी जैसे अंग्रेजी राज्य में जमींदारी काल में पीड़ित किसानों के ऊपर भय की तलवार टंगी रहती थी। आज भी कोई स्वाभिमानी किसान, गरीब किसान किसी बलशाली तथा आतंकवादी आदमी के खिलाफ डट कर मुकाबला करने के लिये तैयार नहीं होता, खुल कर हाथ उठा कर मत देने की उसमें हिम्मत नहीं होती। कारण यह है कि जैसी रक्षा प्रणाली है, जैसी पुलिस है, जैसी सरकारी मनोवृत्ति है वह हमारी रक्षा नहीं कर सकती है।

गांवों में निर्बल किसान कैसे खड़े रह सकते हैं ? जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो छोटे भाई हैं वे हमेशा बड़ी जातियों के द्वारा दबे रहते हैं। वे कैसे साहस करें कि खुल कर हाथ उठायें और उनके विरुद्ध उनके आलंकित शासन को समाप्त करने के लिये अग्रसर हो सकें। आज उनको मौका नहीं मिल रहा है, कहने का साहस नहीं हो रहा है। १२ साल हो गये पंचायतों को स्थापित हुये लेकिन गांवों में वे लोग खुल कर अपनी बात कहने के पात्र आज तक नहीं समझे गये और गांव के प्रशासन में अपना दृष्टिकोण रखने की वे सामर्थ्य नहीं रखते। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि गांवों में पंचायत प्रणाली सफल हुई है।

अभी पांडेय जी ने बताया था कि विधान सभाओं के जो चुनाव हुआ करते हैं उनमें यह व्यवस्था रही है कि जो मत देना चाहेगा वह एक ही दफा मत देगा और एक दफा मत देने के लिये हर एक आदमी को पहचान हो जाया करती थी और इसके लिये हर एक आदमी के हाथ में निशान लगा दिया जाता है लेकिन वह प्रणाली भी इसमें नहीं रखी गई। नतीजा यह हुआ कि कुछ आदमी बदनीयती और चालबाजी से कई दफा मत दे सकते हैं और इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इस हालत को देखकर कैसे हम मान लें कि ये गांव सभायें स्वस्थ जनतांत्रिक प्रणाली के आधार पर बनी हुई गांव रिपब्लिक्स हैं। आज मंत्री द्वारा जो यह कहा जाता है कि हमने गुप्त मतदान प्रणाली को अच्छा समझा है इसीलिये प्रधानों के चुनाव में इसकी व्यवस्था कर दी है तो फिर क्या वजह थी कि इस सिद्धान्त को पूर्ण रूप से मानते हुये भी सदस्यों के चुनाव में उस प्रणाली को नहीं अपनाया गया? एक चीज हमारे सामने खर्च की बात कही जाती है। लेकिन अगर आप गांवों में शक्ति के विकेन्द्रीकरण की बात कहते हैं और उसको कार्यान्वित करने के लिये अगर आपको कुछ लाख रुपये खर्च करने पड़ जायं तो आप मितव्ययिता की बात कहें, यह कितना अनुचित है। ये जो चुनाव हुये इसमें एक स्थान पर दो, चार बैलट बाक्सेज से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी। गुप्त मतदान के लिये अगर कुछ अधिक बैलट बाक्सेज की जरूरत पड़ती तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये थी। गुप्त मतदान प्रणाली से हमारी ग्राम पंचायतों का निर्माण जनतांत्रिक आधार पर होता लेकिन यह न कर के सरकार ने एक बड़ी भारी गलती की और हमारे गांवों में एक नया स्वायत्त शासन कायम होने में उसने अड़ंगा लगा दिया। हम कहते हैं कि हम हर काम में आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन पांच साल हमारे बेकार गये, हम सदस्यों के चुनाव में उस हथियार को अपना नहीं सके।

इसके अलावा आज गांव पंचायतों में दोहरा शासन चल रहा है। एक तरफ तो पंचायत राज विभाग है जो पंचायतों का काम अपने मंत्रियों के द्वारा कराता है। उनके ऊपर निरीक्षक पंचायत राज अधिकारी इत्यादि हैं लेकिन जब कभी इन पंचायतों के अन्दर हम कोई वास्तविक कार्य करने के लिये जाते हैं तो हमारे लिये दिक्कत यह पैदा हो जाती है कि हमारा राजस्व विभाग बीच में दखल देता है।

श्री अध्यक्ष—और लोगों को भी बोलना है। आप ५ मिनट और ले लीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, जो भी आप समय की सीमा रखें मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि आज इस पंचायत राज अधिनियम के द्वारा हम एक दोहरे शासन के अन्दर रखे गये हैं। तहसीलदार अपने कानूनगो और लेखपालों के द्वारा उसी क्रम से इन पंचायतों में दखल देते रहते हैं। एक तरफ तो कहा गया कि पंचायत राज विभाग स्वतंत्र है, लेकिन उसमें जितनी भी फेहरिस्तें दुरुस्त की गयीं वे सारी की सारी इन तहसीलदारों के द्वारा ही मत स्थानों पर भेजी गयीं। अनेक स्थानों पर तहसीलदारों ने दुरुस्त की हुई सूचियों को अपने दफ्तर में डाले रखा और अन्त तक नहीं भेजी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। मैंने कानपुर में त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया। रिटर्निंग अफसरों के द्वारा जगह-जगह पर जो अनहोने काम हुये वह उन लोगों के द्वारा हुये जो उस जगह पर भेजे गये क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। इस तरह से ग्राम पंचायतों के काम में जो ग्राम समाज का काम घुसा हुआ है वह आज भी राजस्व विभाग के हाथ में पूरे का पूरा है। आप पंचायत राज संशोधन विधेयक भी हमारे सामने लाते हैं लेकिन इस दोहरे शासन का किस दिन अन्त होगा? किस दिन हम यह कह सकेंगे कि इसमें अब नायब तहसीलदारों, काननगोयान और लेखपालों का हाथ नहीं रह गया है? इस पहेली को सरकार हल नहीं कर पाई। मूल्यांकन समिति बैठी और उसने यह स्पष्ट रिपोर्ट दी कि दोहरा शासन खत्म किया जाय जिसमें कि ग्राम पंचायतों का काम स्वतंत्र रूप से चल सके लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये नहीं दिया क्योंकि यह नीति की बातें हैं। पालिसी की बातों को अगर सरकार दृढ़ कदम उठा कर नहीं तय करती है तो हम यही कहेंगे कि पंचायत राज कानून में सरकार कोई नई चीज नहीं लाना चाहती है। इसलिये सरकार इस बात को स्वीकार करे और इस पंचायत राज अधिनियम में आमूल परिवर्तन करे और इसके लिये कोई काम्प्रिहेन्सिव बिल अगर लाना चाहती है तो लाये। अब इसके उन सुधारों की तरफ ध्यान दें जो वांछनीय हो रहे हैं या इसको कमेटी के सुपुर्द करें जहां इसकी परिधि बढ़ाई जा सके और इसमें संशोधन लाये जा सकें जो मैंने इंगित किये हैं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं और मंत्री जी को थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। सब से पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं इसलिये कि जब जिलों में पंचायतों के चुनाव का कार्य-क्रम गया था तो पहले सदस्यों का निर्वाचन रखा गया था और दूसरे दिन प्रधानों का चुनाव रखा गया था। लेकिन जब चुनाव का केवल एक सप्ताह रह गया तो ऐसे आदेश भेजे गये कि पहले दिन प्रधान का चुनाव होगा और दूसरे दिन सदस्यों का चुनाव होगा। वास्तव में सरकार ने ऐसा करके बड़ी प्रशंसा का कार्य किया है। इसलिये कि अगर पहले दिन सदस्यों का चुनाव होता तो बहुत सी दलबन्दी हो जाती क्योंकि सदस्यों का चुनाव हाथ उठाकर होता है और इसमें जो लोग गुप्त मतदान देना चाहते हैं वह सामने आ जाते। इसलिये मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं।

मान्यवर, इस चुनाव में कई तरह की गड़बड़ियां की गईं। पहली तो यह कि नामीनेशन पेपर दाखिल हो रहे थे तो सदस्यों को और प्रधानों को रिटर्निंग आफिसर्स रसीद नहीं देते थे। मेम्बरों ने जो पर्चे दाखिल किये थे तो उन्होंने उसमें समय नहीं लिखा था। बहुत से ऐसे लोगों के पर्चे गायब कर दिये गये और कुछ लोगों के पर्चों को समय के बाद माना गया जिससे वे खारिज कर दिये गये। इसलिये मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि आइन्दा जब नामीनेशन पेपर्स दाखिल हों तो उसकी रसीद दी जाय और उसमें समय भी लिखा जाय जिससे आगे गड़बड़ी न हो सके।

दूसरी चीज मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों के सरपंचों से उनके कागजात वापस नहीं लिये गये जिनको सरकार को वापस ले लेना चाहिये था। हमारे यहां कई जगहों पर सरपंचों द्वारा गड़बड़ियां की गई हैं। मैं आपके सामने एक घटना रखना चाहता हूं। एक गांव में एक प्रभावशाली व्यक्ति खड़े हुये प्रधान के लिये और एक साधारण किसान खड़ा हुआ। जब दो तीन दिन रह गये और वह आदमी नहीं बैठा तो एक रिश्तेदार के यहां

गये जो सरपंच थे। उन्होंने पिछली तारीख में ३७९ का मुकदमा उसके खिलाफ दायर किया और फैसला भी दे दिया। सेक्रेटरी को मिलाकर यह कहा गया कि इस पर उससे दस्तखत करा लेना। जब वह फार्म लेने के लिये आया तो सेक्रेटरी ने उससे कहा कि इन इन जगहों पर दस्तखत करने होते हैं और सरपंच के फैसले पर जहां-जहां जरूरत समझी गई उससे दस्तखत करा लिये गये और इसके बाद उसको फार्म दे दिया गया। जिस दिन पर्चे दाखिल हुये तो उन सज्जन ने उसका हवाला देकर उसका पर्चा कैंसिल करवा दिया। यही एक घटना नहीं है बल्कि ऐसी कई घटनायें हैं जहां चोरी के या झूठे मुकदमे चलवाकर १०—५ रुपये जुर्माने कर दिये गये और लोगों के पर्चे खारिज कर दिये गये। पिछले चुनाव में इस सरपंचों के कागजात ले लिये गये थे। इसलिये भविष्य में भी खयाल रखा जाय कि जब चुनाव हो तो इनसे कागजात वापस ले लिये जायं जिससे यह अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सकें।

तीसरी बात श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस साल प्रधानों के चुनाव जो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा कराये गये हैं उनसे ऐसे लोग जो गांव में बहुत प्रभावशाली समझे जाते रहे या बड़े समझे जाते रहे वह लोग हार गये और जन साधारण के लोग जिन पर जनता का विश्वास था वह जीत गये और चुने गये। इसलिये सरकार को सदस्यों के चुनाव में भी गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग करना चाहिये। यद्यपि मैं समझता हूं कि इसमें सरकार के सामने कठिनाइयां हैं, खर्चा भी ज्यादा होगा और परेशानियां भी होंगी, लकिन जब तक सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा नहीं होगा तब तक लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत नहीं दे सकेंगे। इसलिये अगर गांव में झगड़े बचाना है और सच्चे आदमी को लाना है तो चाहे जितना खर्चा हो सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा कराने के ढंग को अपनाना चाहिये। चौथी चीज मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा अभी बताया गया, वोटर्स लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां की गईं। अन्त समय तक वोटर्स लिस्ट से नाम बढ़ाते रहे। जिस उम्मीदवार की तरफ ए० डी० ओ० या पंचायत इंस्पेक्टर हुये, उसने जितने नामों को कहा बढ़ा दिया और दो एक नाम दूसरी तरफ के भी कहने के लिये बढ़ा दिये। कोई शर्त नहीं रखी गई कि जो नाम बढ़ा रहे हैं उन पर कोई प्रतिबन्ध होगा, या गलत होगा तो उनको कोई दंड दिया जायगा। मनमाने तौर से जिसने उनको अपनी तरफ कर लिया उसके वोटर बढ़ गये। कहीं-कहीं पर तीन तीन साल के बच्चों ने वोट दिये। हमारे जिले में गोद के बच्चे को वोटर बना दिया गया। मां उनको गोद में लेकर वोट डलवाने गयी। तीन साल का बच्चा वोटर बन गया और २६ साल की मां का वोटर्स लिस्ट में नाम ही नहीं। कहीं-कहीं पर यह भी हुआ कि दूसरे गांव के लोगों ने भी वोट दिया। कई जगहों पर जहां लोगों ने देखा कि गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा वोट हमको नहीं देंगे तो उनको घरों पर ही रोक दिया। कहा कि तुम वोट देने मत जओ। उन्होंने कहा कि आप को ही वोट देंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप वोट न देंगे तो हम समझ लेंगे कि आपका वोट हम को मिल गया। तो सरकार इसके लिये भी कोई उपाय निकाले कि जो लोग वोट देना चाहते हैं, वह लोग वोट नहीं दे पाते। इन शब्दों के साथ मैं उधर के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं उस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो माननीय नागर जी ने पेश किया है। इसमें संदेह नहीं कि पंचायतें हमारे प्रजातन्त्र की प्रथम इकाइयां हैं। उनका सफलतापूर्वक चुनाव हो जाने से प्रजातन्त्र की जड़ें हमारे देश और प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ जम सकती हैं। परन्तु इन पंचायतों के चुनावों में जो अनियमितताएं हुईं, जिस तरह से वोटरों की लिस्ट बनायी गयी, जिस तरह से नामिनेशन पेपर खरीदने में नियत दाम से ज्यादा पैसा लिया गया, जिस तरह से विकास क्षेत्र के अधिकारियों और मंत्रियों ने मनमानी की, और उससे जो जनता में प्रजातन्त्र के खिलाफ एक भावना पैदा हो गयी, अगर यह भावना दिन पर दिन बढ़ती रही तो इस से प्रजातन्त्र के लिये बहुत बड़ा खतरा है।

जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा पंचायतों की लिस्ट बनाते समय क्या-क्या अनियमितताएं बरती गयीं, मुझे इसका जाती तजुरबा है,। अपने क्षेत्र का। वहां पर पांच

[श्री होरीलाल यादव]

रुपये फी वोटर ले कर वोटरों की लिस्ट बनायी गयी और नामिनेशन पेपर जो ६ रुपये का था वह ८ रुपये में बेचा गया, १२ रुपये का १४ और १८ में बेचा गया, यह कह कर कि यह बड़ती पैसा विकास मेले के लिये लिया जा रहा है। मैंने उसके लिये अधिकारियों को लिख कर भेजा, कि अगर यह ज्यादा पैसा मेला के लिये या विकास कार्य के लिये लिया जाता है तो उसकी उनको रसीद मिलनी चाहिये। लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या कार्यवाही उस पर की गई इसका कोई पता नहीं। ताज्जुब तो इस बात का है कि नामिनेशन पेपर दाखिल है। किसी भी उम्मीदवार को जो कल तक ३६ वर्ष का है, आज १२ बजे २६ वर्ष का बना दिया जाता है। हमारे यहां मजूपुर क्षेत्र में यही हाल हुआ कि असली रजिस्टर में जो नाम था वहां पर ३६ वर्ष उम्र लिखी हुई थी। लेकिन जो लिस्ट पेश गई उसमें २६ वर्षकर दिया गया और उसका नाम खारिज कर दिया गया। मैं सरकार से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि जिला अधिकारियों के पास दरख्वास्तें मौजूद हैं, कड़ाई के साथ उसकी छानबीन की जाय चाहे वह किसी का भी काम हो, चाहे मंत्री का हो या अधिकारी का हो, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय। ऐसा करने से लोगों में प्रजातंत्र के प्रति अच्छी भावना पैदा होगी और वह पंचायतों में हिस्सा लेंगे।

मान्यवर, प्रधानों का चुनाव तो बन्द वोट से कराया गया इसलिये कि लोगों में पार्टी-बन्दी पैदा न हो सके, लेकिन पार्टीबन्दी बन्द नहीं होसकी। दूसरे दिन जब पंचों का चुनाव हुआ तो वह खुले रूप से हुआ। उसके कारण न जाने कितने फसाद और झगड़े हुए और मौतें हुई। अधिकांश में यह देखा गया कि आज सभापति जीता और दूसरे दिन जब पंचों का चुनाव हुआ तो पंच सब सभापति के बिलकुल विपरीत चुने गए। पिछली बार जो चुनाव हुए तो उसमें रिटर्निंग आफिसर्स ने दस्तखत करवा लिये और उसके बाद हाथ उठवाना शुरू कर दिया। किसी ने भी एलान नहीं किया कि अमुक व्यक्ति को इतने वोट मिले, अमक को इतने मिले। यहां उन्होंने कच्चे कागज पर मनचाहे वोट लिख लिये और सेंटर पर आकर के जिसका जिताना हुआ उसके नाम पर ज्यादा नम्बर लगा दिये और जिसको हराना हुआ उसके नाम पर कम कर दिये। ऐसा आम तौर से मेरे इलाके में हुआ। लोगों ने कहा, उम्मीदवारों ने बताया कि ऐसा कहा जाता है कि चाहे वोट तम्हारे हों चाहे न हों वह जीत जायेंगे। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे वोट हो और दूसरे आदमी के वोट न हों और फिर भी जीत ज यं? तो इसमें तो माननीय अवस्थी जी ने जो बात कही है वही लागू होती है। उन्होंने कहा कि ५० आदमी हम दूसर गांव के ला देते हैं। उनको बूथ पर खड़ा कर दीजिये। कोई भी नाम लेकर के बैलट पेपर लेते जायं, और निशान लगाकर डालते जायं। ऐसा हुआ है। दूसरे गांव के लोगों को बुलाया गया। जो जीतने वाले वोटर थे उनके नाम से बैलट पेपर लेकर बक्से में डलवाते गए और जब जीतने वाले के वोटर डालने गए तो कह दिया गया कि आपके तो वोट पड़ गए। तो यह कठिनाई हुई।

मान्यवर, अदालती पंचायतों के चुनाव के लिये पिछली बार ५, ५ नामों की लिस्ट लेखपालों से और सेक्रेटरियों से मांगी गई थी और फिर उन नामों में से विधायक लोग और कलेक्टर वगैरह ने बैठकर चुन लिये थे। इस बार उसका खुला बाजार है। जो ज्यादा पैसा दे देगा उसका नाम चला जायगा।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—सबका चला जायगा।

श्री होरीलाल यादव—धन्यवाद। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सब के नाम चले जायेंगे। तो यह बहुत अच्छी बात है, परन्तु, एक बात मैं जरूर चाहता हूं कि जो पंचों का चुनाव होता है, उसमें भी चाहे थोड़ा खर्चा भले ही बढ़जाय, खर्चा बढ़ जाने से सरकार को नहीं घबराना चाहिये, परन्तु उससे शान्ति रहेगी, अमन रहेगा और लाठी नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी। जो मुश्किलें और मुसीबतें खुले वोट में बढ़ जाती हैं वह बन्द वोट में और सिंगिल सीट में नहीं होंगी।

बहुत-सी जगह बड़े-बड़े गांव और छोटे गांव मिला दिये जाते हैं और बड़े गांव अपने बहुमत के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करते ह । छोटे गांव अपना प्रतिनिधि नहीं चुनवाते हैं । मैं यह चाहता हूं कि जहांपर ५० मेम्बर हों वहा पर एक क्षेत्र बना दिया जाय । कई इलाकों को मिलाने से वह लाभ नहीं होता है जो होना चाहिये । छोटे गांवों को क्षेत्र बनाने से वह पंचायत में अच्छी तरह से हिस्सा ले सकेंगे । इन शब्दों के साथ, जो संशोधन नागर जी ने पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और जो सरकार की तरफ से संशोधन इस विधेयक में रखा गया है उसकी मन्शा की तहत में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । अभी मैंने अपने साथियों के तजर्बे सुने । मैं समझता हूं मुझे इसमें सब से अधिक तजुर्बा है कि किस प्रकार से इन पंचायतों के चुनाव में हुआ है । मैं इस विचार का हूं कि पंचायतों का शासन जितना मजबूत होगा उनता ही देश में जनतन्त्र अधिक मजबूत होगा और देश में तरक्की जल्दी होगी । इसलिये मैं करीब १५ साल से जब से पंचायतें स्थापित हुई हैं तब से इसमें बराबर हिस्सा लेता रहा हूं । अब की बार भी इसमें हिस्सा लेने की मैंने कोशिश की अब की बार चुनाव में जो देखा उसमें यह हो सकता है कि यह बात रही हो कि एक सरकार गई थी और दूसरी सरकार आई थी, इसलिये नियन्त्रण की कमी रही हो या जो बात भी हो । जो सही मन्शा सरकार का रहा है उस मन्शा के तहत में चुनाव में उतनी कामयाबी नहीं हो सकी । जिस प्रकार का सवाल अवस्थी जी ने किया तो मैं निवेदन करूंगा कि मैं अब की बार खड़ा हुआ था और उसमें हार गया । एक कांस्टीट्यूएन्सी से सदस्य होने के लिये मेरा पर्चा गांव वालों ने भर दिया था जैसा कि वह हमेशा किया करते हैं किन्तु वहां पर मुझे मत नही मिले, यह सही है । उसी तजुर्बे के आधार पर मैं यह निवेदन करना चासता हूं कि अब की बार इस चुनाव में मेरा तजुर्बा यह रहा कि हमारा डाइरेक्टरेट इसमें फेल रहा । यदि वोटर लिस्ट निष्पक्ष भाव से बनती तो अच्छा था । इसमें किसी के फेवर का कोई सवाल नहीं है । जो मैंने नजदीक से देखा वह यह था कि सूची के लिये उन्होंने दरवाजा खोल दिया और इलेक्शन के एक मिनट पहले तक सूची आती रही और बनती रही । उसका बहुत बुरा असर इस चुनाव पर पड़ा । साथ ही साथ सेक्रेटरी और पंचायत एस० डी० ओज० ने काफी गैर जिम्मेदारी बरती ।

श्री अध्यक्ष---अभी तो आप कई मिनट बोलेंगे ।

श्री रामेश्वरप्रसाद---जी हां ।

श्री अध्यक्ष---अच्छा तो आप अगले दिन बोलियेगा । अब एक सूचना सचिव, विधान सभा आपको देंगे ।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा---माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५२ (२) के अंन्तर्गत मैं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ की प्रतिलिपि, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधनों सहित सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष ---अब हम उठते हैं और सोमवार, तारीख ६ मार्च को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ६ मार्च, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
२८ फरवरी, १९६१ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६८ पर)

विधान भवन सजावट योजना १·२५ लाख की लागत पर

१—विधान सभा कक्ष	राष्ट्रीय नेताओं के चित्र	श्री मोतीलाल नेहरू श्री मदनमोहन मालवीय श्री एम० ए० अंसारी श्री तेज बहादुर सप्रू श्री गणेश शंकर विद्यार्थी पंडित अयोध्यानाथ जी सर सैयद अहमद खां श्री सी० वाई० चिंतामणि श्री जी० वी० मावलंकर श्री विट्ठलभाई पटेल
२—अध्यक्ष प्रदेश मध्य गुहा ।	तैल चित्र	चित्रों का पुनः लगाया जाना
३—समिति कक्ष नं० ८० ।		
४—नवीन समिति कक्ष नं० ८४।		मुगल, गढ़वाल, पहाड़ी, ताड़पत्र एवं जौनपुरी शैली में, द्वारों पर चित्रण।
५—तिलक हाल		वातायान पर पादजात चित्र, दरवाजों पर राग रागनियां एवं मुगल शैली के चित्र ।
६—विधान परिषद् हाल	चित्र	मुंडेर में यह और खुलाव पर मान-सरोवर में प्रस्फुटित कमल और हंस ।
७—विधान परिषद् हाल	भित्ति चित्र	वाराणसी के घाटों का विराट दृश्य हिमालय के मंच प्रयाग ।
८—प्रवेश हाल सीढ़ी (त्रिकोणाकार दीवारें) ।		सारनाथ के धमेश स्तूप पर आधारित विहंग वामन आदि कला कृतियों का चित्रण।
९—प्रवेश हाल	छोटी प्रस्तर मूर्ति	(अ) मनु (ब) तुला (स) अभय मुद्रा में बुद्ध (द) लक्ष्मी।
१०—मध्यवर्ती गलियारा	पूरे आकार की कांसे की मूर्तियां	(क) हर्ष बर्द्धन (स) अशोक (ग) अकबर (व) चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य ।
११—मध्यवर्ती गलियारा ।	भित्त चित्र	(अ) लव और कुश को धनुर्विद्या सिखाते हुए बाल्मीकि ।
१२—मध्यवर्ती पथ	कांसे के अर्घ प्रतिमा	कबीर, सूरदास, तुलसीदास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
१३—विधान सभा हाल का सभा कक्ष ।	चित्र	भारतीय राष्ट्र कांग्रेस १९१६ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, १९४२ के चित्र ।

१४—अध्यक्ष प्रवेश मध्यगृहा ।		प्रवेश द्वार के एक ओर रानी लक्ष्मीबाई के संग्राम का चित्र, प्रवेश द्वार, के दूसरी ओर डंडी यात्रा का चित्र ।
१५—बड़ा जीना (सीढ़ी)		खुलाव के ऊपर सीढ़ियों की पिछली दीवार पर गंगावतरण का चित्रण ।
१६—प्रवेश हाल	भित्त चित्रण	अजंता, मथुरा एवं सांची के पूर्वीय द्वार के आधार पर इमारती नक्काशी एवं पुष्प संबंधी बेल बूटी ।
		रामराज्य की झांकी रणभूमि में कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश ।
१७—प्रवेश द्वार की बरसाती ।	कांसे की मूर्तियां	उपर्युक्त पीठिका पर एक वृष्णक उपर्युक्त पीठिका पर एक औद्योगिक श्रमिक ।
१८—प्रवेश हाल		गुम्बज के अंदर की छत की सुनहले और नीले रंगों में सजावट ।
१९—मध्यवर्ती गलियारा		अष्टगुल हाल के अन्दर की छत पर आगरा और सीकरी के स्मारकों पर आधारित मुगल शैली में सजावटी डिजाइन ।
२०—पुस्तकालय	भित्त चित्र	सुधर्मदेव सभा के गणराज का चित्रण,
		१८५७ के स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण ।
२१—विधान दलीय मीटिंग हाल ।	भित्त चित्र	दो पेन्टिंग का रेखा चित्र ।
२२—मध्यवर्ती गलियारा	भित्त चित्र	औषधि प्रतिनिधि के रूप में धनवंतरि,
		शरशेय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह द्वारा उपदेश ।
		कनिष्क के दरबार में अश्वघोष ।
२३—मुख्य मंत्री सभा कक्ष ।	भित्त चित्र	राजा देवदास द्वारा ईश्वर की अवज्ञा
२४—प्रवेश हाल प्रथम तल ।	भित्त चित्र	बैलगाड़ी में बारात का दृश्य, फसल काटने का दृश्य, राजकीय तराई फार्म का दृश्य, पनघट का दृश्य, चैत मास में नवरात्रि मेले का दृश्य, कुछ उपर्युक्त चित्र, जौनसार-बावर नृत्य का दृश्य ।
२५—		उपर्युक्त पूरे तौर से बनाये गये चित्रों के लिये रोशनी का प्रबन्ध ।
२६—		गैर-सरकारी सदस्यों के लिये भत्ता आदि का प्रबन्ध ।
२७—		छोटे-बड़े आकार के चित्रों को फिर से खीचना ।
२८—		चित्रों के सम्बन्ध में फ्रेम आदि का खरीदा जाना ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७० पर)

तालिका 'क'

१ अप्रैल, १९६० ई० को रसायनिक खादें जो स्टाक में थीं उसकी मात्रा तथा मूल्य निम्नांकित तालिका में दी हुई है

तालिका टनों में

नाम रसायनिक उर्वरक	मात्रा जो १-४-१९६० के स्टाक में थी	(मूल्य रुपयों में)
१--अमोनियम सल्फेट	९४,३००	३,३०,०५,०००
२--यूरिया	१३,०६०	९०,७६,७००
३--अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ..	९,८०९	४०,७०,७३५
४--कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ..	५,३६०	१७,६८,८००
५--अमोनियम नाइट्रेट	१,१९२	७,२९,५०४
६--चिलियन नाइट्रेट	७५१	२,३०,७५१
७--अमोनियम क्लोराइड	१,३७५	५,३८,२५७*
८--अमोनियम फास्फेट	१,४३१	१०,०१,७००
९--नाइट्रोफास्फेट	५३७	३,०८,७७५
१०--सुपरफास्फेट	२६,६९६	५५,९२,८१२
योग ..	१,५४,५११	५,६३,२३,०३४

*नोट--यह आंकड़ा अंतिम नहीं है ।

तालिका 'ख'

१ अप्रैल सन् १९६० ई० से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६० ई० तक खरीदी गई खादों का विवरण निम्नांकित हैं

खरीदी गई उर्वरक का नाम	मात्रा टन	(मूल्य रुपयों में)
१--अमोनियम सल्फेट	७४,२६९	२,५९,९४,१५०
२--यूरिया	२,८६७	१७,६३,२०५
३--अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ..	६,२८२	२६,०७,०३८
४--कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ..	६,०११	१९,८३,६३०
५--अमोनियम क्लोराइड	५२१	२०,३९,५०*
६--सुपरफास्फेट	६,२६०	१३,११,४७०
योग ..	९६,२१०	३,३८,३६,४३५

*यह आंकड़ा अंतिम नहीं है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४८२ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) विधेयक, १९६१

फैक्टरियों तथा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली कतिपय इकाइयों द्वारा गन्ने के क्रय पर कर आरोपित करने और इन इकाइयों द्वारा गुड़ या राब बनाये जाने को विनियमित करने के लिये,

विधेयक

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ गवर्नर द्वारा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ के अधीन प्रख्यापित किया गया था; — उ० प्र० अध्यादेश संख्या २, १९६१

और यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश को विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में शब्द तथा पद— — परिभाषायें

(क) "कर-निर्धारण वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष में पहली अक्तूबर से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष की तीस सितम्बर को समाप्त होने वाली अवधि से है;

(ख) "फैक्ट्री का स्वामी या इकाई का स्वामी" अथवा "फैक्ट्री के स्वामी या इकाई के स्वामी" का तात्पर्य उस व्यक्ति या प्राधिकारी से है जो यथास्थिति फैक्ट्री या इकाई कर स्वामी हो या जिसे, यथास्थिति, फैक्ट्री या इकाई के मामलों में अंतिम नियंत्रण प्राप्त हो और यदि उक्त मामले किसी प्रबन्धक (मैनेजर), प्रबन्ध करने वाले डाइरेक्टर (मैनेजिंग डाइरेक्टर) या प्रबन्ध करने वाले एजेंट (मैनेजिंग एजेंट) को सौंपे जायं तो उसके अन्तर्गत ऐसा प्रबन्धक, प्रबन्ध करने वाला डाइरेक्टर या प्रबन्ध करने वाला एजेंट भी होगा;

(ग) "इकाई" का तात्पर्य गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई से है, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में परिभाषित है; तथा — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०

(घ) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुये हैं, किन्तु यहां पर परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिये उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में दिये गये हैं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०

३—(१) गन्ने के क्रय-पर— — कर आरोपित करना।

(क) फैक्टरी, यदि वह फैक्टरी के स्वामी द्वारा हो तो प्रति मन गन्ने पर पच्चीस नये पैसे की दर से; और

(ख) यदि वह इकाई के स्वामी द्वारा हो तो प्रति मन गन्ने पर छः नये पैसे की दर से,

ऐसी रीति से कर लगाया और वसूल किया जायगा, जो नियत की जाय।

(२) उप-धारा (१) के अधीन लगाया गया कर, यथास्थिति, फैक्ट्री के स्वामी या इकाई के स्वामी द्वारा देय होगा और उसका भुगतान ऐसे दिनांक को, ऐसे स्थान पर और उतनी किस्तों में किया जायगा, जो नियत की जाय।

(३) यदि इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर का भुगतान उस दिनांक तक न किया जाय, जो उसके भुगतान के लिये नियत किया गया हो, तो उस पर ऐसे दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज लगेगा।

(४) यदि इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या उसके व्याज, अथवा दोनों, जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान उसके भुगतान के लिये नियत दिनांक से पन्द्रह दिन से अधिक से न किया गया हो, तो उसका देनदार व्यक्ति बकाया कर और उसके व्याज की धनराशि के अतिरिक्त, दंड स्वरूप, उतनी धनराशि का और देनदार होगा जो ऐसी दर या दरों से, जो नियत की जायं, निर्धारित (Calculated) की जायंगी और कुल देय धनराशि के दस प्रतिशत से अधिक न होगी।

(५) इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण के आदेश, या उपधारा (३) के अधीन व्याज अथवा उपधारा (४) के अधीन दंड के आरोपण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, यथास्थिति, उस आदेश या आरोपण की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, गन्ना आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है।

(६) इस अधिनियम के अधीन देय कर की, किसी अन्य रीति से, वसूली के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति,, कर, व्याज या दंड की धनराशि, किसी भी ऐसी धनराशि से समायोजित (adjust) करके वसूल की जा सकती है जो राज्य सरकार द्वारा उस व्यक्ति को देय हो जिसके द्वारा कर, व्याज या दंड की धनराशि देय है।

(७) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन देय कर के निर्धारण और उसकी वसूली के प्रयोजनार्थ अधिकारियों तथा प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी।

(८) कर वसूल करने के लिये अधिकृत किया गया अधिकारी या प्राधिकारी उस जिले के कलेक्टर के पास जहां पर, यथास्थिति, फैक्ट्री या इकाई स्थित हो, अपने द्वारा हस्ताक्षर कृत एक ऐसा प्रमाण-पत्र भेज सकता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा देय कर की बकाया और व्याज की, यदि कोई हो, धनराशि का उल्लेख होगा और ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर निर्दिष्ट धनराशि को उस व्यक्ति से वसूल करने की उसी प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो।

(९) उप-धारा (४) के अधीन दंड-स्वरूप आरोपित कोई भी धनराशि उप-धारा (८) में व्यवस्थित रीति से भी वसूल की जा सकती है।

गुड़ या राब बनाने के लिये लाइसेंस देना

४—(१) उस इकाई के अतिरिक्त, जिसने उत्तर प्रदेश खंडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, १९६० के अधीन लाइसेंस प्राप्त किया हो, दूसरी कोई भी इकाई, शक्कर आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ अथवा राब बनाने या उसका उत्पादन करने से संबंधित कोई प्रक्रिया न करेगी और न जारी ही रखेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे लाइसेंस को, जो उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ के अधीन दिया गया अथवा स्वीकृत किया गया हो, या उसके अधीन दिया गया या नवीकृत किया गया अभिप्रेत हो, इस अधिनियम के अधीन उस अवधि के लिये, यथास्थिति, दिया गया या नवीकृत किया गया लाइसेंस माना जायगा जिस अवधि के लिये वह दिया गया या नवीकृत किया गया था मानो यह अधिनियम पूर्वोक्त अवधि में तथा सभी सारवान दिनांकों पर प्रचलित था।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६।

(२) उप-धारा (१) के अधीन लाइसेंस के लये प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त को ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे शुल्क के खजाना-चालान के साथ दिया जायगा जो नियत किये जायं।

(३) उप-धारा (२) के अधीन लाइसेंस देने अथवा उसका नवीकरण करने के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र का निस्तारण शक्कर आयुक्त द्वारा शीघ्रता के साथ किया जायगा और उसे अस्वीकृत नहीं किया जायगा, सिवाय उस दशा के जबकि शक्कर आयुक्त की यह राय हो कि ऐसी अस्वीकृति लोक हित में आवश्यक अथवा इष्टकर है, और विशेषत: उस दशा के जबकि लाइसेंस देने या उसका नवीकरण करने से किसी फैक्टरी को गन्ना सम्भरण करने के विनियमन पर अथवा किसी क्षेत्र में गन्ने के विकास पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(४) यदि उप-धारा (३) के अधीन शक्कर आयुक्त के किसी आदेश से कोई व्यक्ति क्षुब्ध हो, तो वह आदेश की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील-कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(५) लाइसेंस दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र देने वाला—

(१) उसके प्रार्थना-पत्र के अस्वीकार कर दिये जाने पर, और

(२) उपधारा (४) के अधीन अपील प्रस्तुत की जाने की दशा में, अपील के अस्वीकार कर दिये जाने पर

भुगतान किये गये शुल्क की वापसी का हकदार होगा।

(६) यदि लाइसेंस ग्रहीता उस लाइसेंस को, जो उसे दिया गया हो, उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, लौटा दे और लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसने किसी भी रीति से उसका उपयोग नहीं किया है तो वह लाइसेंस-शुल्क वापस पाने का हकदार होगा।

लाइसेंस का नवीकरण

५—धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन दिया गया. या इस धारा के अधीन नवीकृत किया गया, लाइसेंस उस कर-निधरिण वर्ष के लिये वैध होगा, जिसके संबंध में वह दिया गया या नवीकृत किया गया हो किन्तु उक्त अवधि के व्यतीत होने के कम से कम तीस दिन पूर्व शक्कर आयुक्त को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर और ऐसा शुल्क, जो नियत किया जाय, भुगतान करने पर उसके द्वारा समय-समय पर उसका नवीकरण, किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध है कि शक्कर आयुक्त के समाधान के लिये पर्याप्त कारण दिखाये जाने पर उपर्युक्त अवधि के बाद भी प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर और ऐसे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर, जो नियत किया जाय, लाइसेंस का नवीकरण किया जा सकता है।

लाइसेंस के निलम्बन या रद्द किये जाने की शर्तें।

६—(१) शक्कर आयुक्त, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध या लाइसेंस की किसी शर्त के उल्लंघन की दशा में, इस अधिनियम के अधीन किये गये या नवीकृत किये गये लाइसेंस को निलम्बित या रद्द कर सकता है या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकता है।

(२) यदि उप-धारा (१) के अधीन दिये गये शक्कर आयुक्त के आदेश से कोई व्यक्ति, क्षुब्ध हो तो वह उस आदेश की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(३) उप-धारा (१) के अधीन लाइसेंस के रद्द या निलम्बित किये जाने से लाइसेंस-ग्रहीता किसी प्रतिकर का या उस लाइसेंस के संबंध में दिये गये किसी शुल्क की वापसी का हकदार न होगा।

शक्कर आयुक्त के अधिकार

७—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये शक्कर आयुक्त—

(क) फैक्टरी के स्वामी या इकाई के स्वामी से ऐसे अभिलेख, आधार सामग्री (data) या सूचना, जो नियत की जाय, रखने, देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, और

(ख) यदि उसकी यह राय हो कि लाइसेंस-ग्रहीता ने इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के अथवा लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन किया है या उसके द्वारा उसका उल्लंघन किये जाने की संभावना है तो किसी फैक्ट्री या इकाई के भू-गृहादि में प्रवेश कर सकता है और उनकी तलाशी ले सकता है और गन्ने का रस, गुड़ या राब के, या उनसे बनने वाले किसी वस्तु के, बनाने या उत्पादन से सम्बद्ध किन्हीं उपकरणों या अभिलेखों को जब्त कर सकता है और उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले सकता है।

(२) शक्कर आयुक्त उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अपने समस्त या किसी अधिकार को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

अर्थ दंड तथा दंड

८—यदि कोई व्यक्ति धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन लगाये गये कर के भुगतान में चूक करे या अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों क किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करे, तो धारा ३ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन, यथास्थिति, व्याज या दंड, अथवा दोनों का भुगतान करने के उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना वह अभियोग चलाये जाने और सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय द्वारा सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर, कारावास के दंड का जो छः महीने तक हो सकता है अथवा अर्थ-दंड का जो पांच हजार रुपये से अधिक न होगा, अथवा दोनों का, भागी होगा और निरन्तर उल्लंघन करने रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रुपये से अधिक न होगा।

कार्यवाहियों का संस्थापन

९—(१) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोग संस्थित (instituted) नहीं किया जायगा सिवाय उस दशा के जब गन्ना आयुक्त अथवा उस जिले के जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा, यथास्थिति, फैक्टरी या इकाई स्थित हो, अथवा उनमें से किसी के प्राधिकार के अन्तर्गत, कोई परिवाद-पत्र प्रस्तुत किया जाय।

(२) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये दोषारोपित व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, गन्ना आयुक्त अथवा गन्ना आयुक्त की पूर्व सहमति से जिला मैजिस्ट्रेट, ऐसा अभिसंधान शुल्क (composition fee) आरोपित करके जो, पांच हजार रुपये से अधिक न होगा, किसी भी स्थिति में उक्त अपराध का अभिसंधान (compound) कर सकता है।

(३) द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर न्यायालय इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने किसी नियम के अधीन किसी अपराध पर विचार न करेगा।

मैजिस्ट्रेट के विशेषाधिकार ऐक्ट संख्या ५, १८९८

१०—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ३२ में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले की सुनवाई करने वाले प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के लिये, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत हो, यह बैध होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष किसी व्यक्ति पर ऐसा अर्थदंड आरोपित करे जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या के २, १९५६।

११—(१) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अधीन दिये गये किसी आदेश अथवा बनाये गये किसी नियम के अनुसरण में, अथवा उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश अथवा बनाये गये किसी नियम के अनुसरण में अथवा उक्त अधिनियम के अधीन दिये गये या बनाये गये अभिप्रेत किसी आदेश या नियम के अनुसरण में सद्भावनासे किया गया हो अथवा किया गया अभिप्रेत हो, अथवा जिसे करने का विचार हो, कोई भी बाद, अभियोग अथवा अन्य विधिक कार्यवाही न लाई जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६।

(२) राज्य सरकार के विरुद्ध किसी क्षति के लिये जो किसी ऐसे कार्य से पहुंची हो या जिसके पहुंचने की संभावना हो, जो इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अधीन दिये गये किसी आदेश या बनाये गये किसी नियम के अनुसरण में, अथवा उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ के अधीन अथवा उसके अधीन दिये गये किसी आदेश या बनाये गये किसी नियम के अनुसरण में अथवा उस अधिनियम के अधीन दिये गये या बनाये गये अभिप्रत आदेश या नियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किया गया अभिप्रेत हो, अथवा जिसे करने का विचार हो, कोई भी बाद अथवा विधिक कार्यवाही न लाई जा सकेगी।

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये स्वामी का अवधारण।

१२—(१) यदि किसी फैक्टरी का स्वामी या इकाई का स्वामी कोई फर्म हो अथवा व्यक्तियों का कोई अन्य अनिगमित समुदाय (association) हो तो उसके साझीदारों अथवा सदस्यों में से किसी एक या एक से अधिक को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसका स्वामी माना जायगा और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये उस पर या उन पर इस रूप में अभियोग चलाया जा सकता है तथा उसे या उन्हें दंड दिया जा सकता है।

ऐक्ट संख्या १, १९५६।

(२) यदि फैक्ट्री का स्वामी या इकाई का स्वामी इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ में तथा परिभाषित कम्पनी हो तो उसके संचालकों (directors) में से किसी एक या एक से अधिक को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, उसका स्वामी माना जायगा और इस रूप में उस पर या उन पर किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसके निमित्त फैक्ट्री या इकाई का स्वामी दंडनीय हो, इस अधिनियम के अधीन अभियोग चलाया जा सकता है तथा उसे या उन्हें दंड दिया जा सकता है।

नियुक्ति उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १५, १९४८ ई०।

१३—ऐसे गन्ने की, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर देय हो, बिक्री या क्रय के किसी व्यवहार के संबंध में किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन कोई-बिक्री कर या क्रय-कर देय न होगा, भले ही उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में इसके विपरीत कोई बात न दी हो।

राज्य सरकार का छट देने का अधिकार।

१४—(१) राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना इस उद्देश्य से आवश्यक है कि,

(क) फैक्टरियों को गन्ने के संभरण, अथवा उनके द्वारा गन्ने के क्रय, को प्रोत्साहित या विनियमित किया जाय; अथवा

(ख) नयी फैक्टरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय; अथवा

(ग) १९५७–५८ की पेराई के मौसम के पश्चात् स्थापित ऐसी फैक्टरियों को, जो ऐसा गन्ना क्रय करती हों जिसमें शक्कर कम मात्रा में प्राप्त होती हों, सहायता दी जाय ;

गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी कर-निर्धारण वर्ष में, इस अधिनियम के अधीन खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ऐसी फैक्ट्री द्वारा देय-कर में पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।

(२) इसी प्रकार राज्य सरकार, किसी रक्षित क्षेत्र से फैक्टरियों को किये जाने वाले गन्ने के सम्भरण को विनियमित करने के उद्देश्य से, प्रत्येक ऐसी इकाई द्वारा, जो किसी फैक्ट्री के भू-गृहादि से दस मील के अर्द्धव्यास से अधिक दूरी पर स्थित हो, किसी कर निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के अधीन देय-कर में पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दे सकती है।

नियम बनाने का अधिकार।

१५—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) उपर्युक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) वह रीति, जिसके अनुसार तथा प्रपत्र जिसमें धारा ३ की उपधारा (८) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र कलेक्टर को भेजा जा सकता है ;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कोई सूचना या आंकड़े एकत्र करना ;

(ग) वह प्रपत्र, जिसमें, तथा वह रीति, जिसके अनुसार, कोई विवरण तैयार और प्रस्तुत किया जायगा ;

(घ) लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र का प्रपत्र और इस अधिनियम के अधीन दिये गये लाइसेंस की शर्तें तथा लाइसेंस दिये जाने या उनके नवीकरण के लिये लिया जाने वाला शुल्क या अतिरिक्त शुल्क ;

(ङ) वह रीति जिसके अनुसार कर निर्धारित तथा वसूल किया जायगा ; और

(च) विषय जिन्हें नियत करना है और जो नियत किये जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्ति शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशुन्यनों (annulments) के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार की कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

१६--उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) अध्यादेश १९६१, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता ह और यू०पी० जनरल क्लाज्रेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गई अधिनियमिति (enactment) हो।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६१ का निरसन।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४ ई०।

उद्देश्य तथा कारण

उच्चतम न्यायालय ने १३ दिसम्बर, १९६० को दिये गये अपने निर्णय द्वारा यह घोषित किया कि शक्कर की फैक्टरियों आदि के भू-ग्रहादि में लाये गये गन्ने पर उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अधीन उपकर लगाना राज्य विधान मंडल की विधायी सक्षमता (Lagislative Competence) के बाहर है। न्यायालय ने यह भी मत प्रकट किया कि चूंकि धारा ३ शेष अधिनियम से पृथक नहीं की जा सकती है, इसलिये पूरे अधिनियम को ही असंवैधानिक ठहरा देना चाहिये।

२—चूंकि उपकर पिछले २० वर्षों से भी अधिक समय से राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है तथा लोक-हित में, विशेष कर राज्य की पंच-वर्षीय योजनाओं पर बढ़ते हुये व्यय को पूरा करने के लिये, आय के इस स्रोत को बनाये रखना आवश्यक है और चूंकि संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि ५२ के अधीन शक्कर की फैक्टरियों इत्यादि के भू-गृहादि में लाये गये गन्ने पर उपकर लगाने की राज्य विधान-मंडल की सक्षमता के बारे में सन्देह व्यक्त किया गया है, इसलिये राज्य सूची की प्रविष्टि ५४ के अधीन शक्कर की फैक्टरियों तथा गुड़, राब तथा खंडसारी बनाने वाली कतिपय इकाइयों द्वारा गन्ने के क्रय पर कर लगाना आवश्यक समझा गया था। चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिये २ फरवरी, १९६१ को उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) अध्यादेश १९६१ प्रख्यापित किया गया। राज्य की पिछली अधिनियमितियों के अधीन पिछली वसूलियों तथा उपकर आरोपणों (levies) के वैध करने के लिये राष्ट्रपति ने यू० पी० शुगरकेन सेस (वैलीडेशन) आर्डिनेंस, १९६१ (आर्डिनेंस संख्या १, १९६१) प्रख्यापित किया।

३—अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि शक्कर की फैक्टरियों और गुड़, राब तथा खंडसारी शक्कर बनाने वाली कतिपय इकाइयों द्वारा गन्ने के क्रय पर कर लगाने के संबंध में विधि अधिनियमित की जाय। कर लगाने के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) विधेयक, १९६१ कतिपय इकाइयों द्वारा गुड़ तथा राब बनाने के कार्य को भी विनियमित करता है। इन विषयों से संबंधित उपबन्धों को उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अधिनियम, १९६० में सम्मिलित कर लिया गया था, किन्तु मुख्य उपकर अधिनियम के अवैध घोषित कर दिये जाने के कारण उक्त उपबन्धों को अब प्रस्तावित अधिनियम में सम्मिलित करना आवश्यक है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२९२ एल० ए०—१९६१—८४५।